खण्ड–12, अंक–5
मंगलवार, 28 पौष, शक संवत् 1926
(18 जनवरी, 2005 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2005)

(खण्ड 12 में 07 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2005

मूल्य :–

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. "डा0" अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्री अरविन्द पाण्डे
5. श्रीमती आशा देवी
6. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8. " काशी सिंह ऐरी
9. " किशोर उपाध्याय
10. " कैलाश शर्मा
11. " कौल दास
12. " गगन सिंह रजवार
13. " गणेश प्रसाद गोदियाल
14. " गोपाल सिंह राणा
15. " गोविन्द लाल
16. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
17. " चन्द्रशेखर
18. " जोत सिंह गुनसोला
19. " तसलीम अहमद
20. " तिलक राज बेहड़
21. " तेजपाल सिंह रावत
22. " दिनेश अग्रवाल
23. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24. " नव प्रभात
25. " नारायण दत्त तिवारी
26. " नारायण पाल
27. " नारायण राम आर्य
28. " नारायण सिंह जंतवाल
29. काजी निजामुद्दीन
30. श्री प्रकाश पंत
31. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. डा0 प्रताप बिष्ट
33. श्री प्रदीप टम्टा
34. " प्रीतम सिंह
35. श्री प्रीतम सिंह पंवार
36. " प्रेमानन्द महाजन
37. " पुष्पेश त्रिपाठी
38. " फूल सिंह बिष्ट
39. " बलवीर सिंह नेगी
40. " विजयपाल सिंह सजवाण
41. " बिशन सिंह चुफाल
42. " भगत सिंह कोश्यारी
43. " मदन कौशिक
44. " महेन्द्र भट्ट
45. " महेन्द्र सिंह माहरा (गद्दू भाई)
46. " मातबर सिंह
47. " माल चन्द्र
48. चौ0 यशवीर सिंह
49. श्री रणजीत सिंह
50. " रसैल वैलेन्टाइन गार्डनर
51. " राम प्रसाद टम्टा
52. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53. श्री शूरवीर सिंह
54. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55. श्री सहजाद
56. " साधू राम
57. " सुबोध उनियाल
58. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
60. " सुरेश चंद
61. डा0 हरक सिंह रावत
62. श्री हरबंस कपूर
63. " हरभजन सिंह चीमा
64. " हरीदास
65. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66. " हीरा सिंह बिष्ट
67. " हेमेश खर्कवाल
68. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद टिहरी गढ़वाल के कोट–तोली–जाखणा पगेठी मोटर मार्ग की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ...	54
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल बणचुरी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका ...	54
जनपद टिहरी गढ़वाल के कोटी–जाख डखवाण गाँव, गनवाडी–चांजी हल्का वाहन मार्ग का निर्माण व डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका	54
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड, भिलंगना के अधीन जूनियर हाई स्कूल कांगड़ा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका ...	54
जनपद टिहरी गढ़वाल के लोकनिर्माण विभाग, घनसाली के डैला–थार्ति–बडियार–चिरबटिया मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका	54
श्री सैयद जमाल हसन अधीक्षक पुरातत्वविद्, देहरादून के विरुद्ध श्री मातबर सिंह कण्डारी (नेता प्रतिपक्ष) द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना	55–56
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	56
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) ...	57
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	58–82
प्रधानमंत्री राहत कोष में विधायक निधि से सुनामी पीड़ितों के सहायतार्थ धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	82–83
श्री प्रकाश पन्त सदस्य विधान सभा को शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने पर सदन द्वारा बधाई ...	83
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)	83–90
वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुतीकरण)	90
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (संशोधन अस्वीकृत, प्रस्ताव पारित)... ...	90–15
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	157
नत्थी	158–16

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
बसपा के सभी माननीय सदस्यों द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–47
कार्यसूची में अंकित प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	47–49
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	49
जनपद नैनीताल के ओखलकाण्डा में बादल फटने से प्रभावित गांवों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग पर हुई बस दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों की आजीविका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
बकरालवाला देहरादून से लेकर मण्डारी बाग तक बहने वाले गन्दे नाले की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के सूतोल कनोल मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
धर्मपुर चौक से बाईपास सहारनपुर तक मोटर मार्ग के निर्माण को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
उत्तरकाशी के विभिन्न गांवों में विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने से विद्युत सप्लाई बाधित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
जिला अल्मोड़ा के ग्राम सभा बिष्ट कोटली के "चमरेत" नामक स्थान पर झूला पुल बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल तलियावन के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका ...	52
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जाखणीधार के जूनियर हाई स्कूल, स्यूरी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका ...	53
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल ढाबसौड़ के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका ...	53
जनपद टिहरी गढ़वाल के पटागली–इन्द्रौला–बणचुरी मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका	53
जनपद टिहरी गढ़वाल के जखन्याली–ढाबसौड़–सौमल्य मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका	53

मंगलवार, दिनांक 18 जनवरी, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

बसपा के सभी माननीय सदस्यों द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री प्रेमानन्द महाजन-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

मैं, इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

काजी निजामुद्दीन-

मान्यवर, किसानों के उत्पीड़न का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

311 के महत्व को समझिए। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री सहजाद-

मान्यवर, हमें नियम 58 में तो सुन लीजिए।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

लैब टेक्नीशियनों के रिक्त पदों को अखिल भारतीय स्तर पर भरने के बाद राज्य में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त युवक-युवतियों का सेवायोजन

**1. श्री प्रकाश पन्त-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि राज्य में लैब टेक्नीशियनों के रिक्त पदों पर आवेदन अखिल भारतीय स्तर पर आमंत्रित किये गये हैं?

यदि हाँ, तो तृतीय श्रेणी के पद पर राज्य सरकार के बेरोजगार लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्राप्त युवक-युवतियों को सेवायोजित किये जाने की सरकार की योजना का स्वरूप क्या है?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)-

जी हाँ।

तृतीय श्रेणी के पदों पर राज्य के बेरोजगार लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्राप्त युवक–युवतियों को सेवायोजित किये जाने हेतु राज्य लैब टेक्नीशियन सेवा नियमावली के अनुसार अभ्यर्थी के पास इण्टरमीडिएट साइंस के साथ उ0प्र0/उत्तरांचल मेडिकल फैकल्टी का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उक्त शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर सेवायोजित करने का प्राविधान है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल स्थित मेडिकल कॉलेजों से प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारक क्या जिला चिकित्सालयों में 6 माह का एप्रेंटिस कोर्स करते हैं? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तरांचल में राजकीय एवं निजी क्षेत्र में लैब टेक्नीशियन कोर्स स्थापित है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर हमारी अपनी फैकल्टी बन चुकी है। जहां तक कोर्स का सवाल है तो यहां पर जॉलीग्रांट इंस्टीट्यूट को मान्यता मिली है। लेकिन वहां पर अभी बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसके लिए हमें हॉस्पिटल ट्रस्ट, हल्द्वानी और कृष्ण सेवा आश्रम से आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी पंजीकरण की कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो डिग्री धारक होते हैं, उनके लिए जो 6 महीने की इंट्रेन्सिप चलती है, जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं, क्या यह प्रैक्टिकल उत्तरांचल के जिला चिकित्सालयों में होता है? मेरा सीधा सा प्रश्न है। यदि चलती है तो हॉं कह दीजिए अन्यथा कह दीजिए नहीं चलती। दूसरा, यह कि जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में कोई भी डिप्लोमा कोर्स संचालित नहीं है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि पहले मेरे, पहले प्रश्न का उत्तर आ जाए, तब मैं अगला प्रश्न करूँगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, अभी हमारे यहां यह कोर्स नहीं चल रहा है। लेकिन जिला अस्पतालों में एप्रेन्टिस होती है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में डिग्री कोर्स धारी बेरोजगार लैब टेक्नीशियन सेवायोजित होते हैं, उनको स्टेट फैकल्टी से मुक्त किया गया है। मान्यवर, लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान की जाती है? क्या इसी के आधार पर डिग्री कोर्स धारी रिक्त पड़े हुये लैब टेक्नीशियन के पदों को सेवायोजित करने की कोई योजना बनी नहीं है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमारी फैकल्टी बन चुकी है किन्तु अभी उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। जब तक मान्यता नहीं मिलती, तब तक उन्हें सेवायोजित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमारे यहाँ कुमाऊँ एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उनको डिग्री दी जा रही है। यह बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूँ कि अभी उत्तरांचल में विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसमें न्यूनतम अर्हता डिप्लोमा लिखी थी, किन्तु हमारे यहाँ के अभ्यर्थियों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। क्या उसमें रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है? उत्तरांचल के बाहर के लोगों को नौकरियाँ दी जा रही है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वर्तमान में डिग्रीधारियों की नियुक्ति का प्राविधान नहीं है। इसके लिए इण्टरमीडिएट साइंस के साथ मैडिकल फैकल्टी का डिप्लोमा होना अनिवार्य है।

श्री प्रकाश पंत–

क्या इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, अभी परिवर्तन का कोई विचार नहीं है। क्योंकि हमारी फैकल्टी बन चुकी हैं हम इंस्टीट्यूशन से परमीशन देंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछले दिनों लैब टेक्नीशियनों की विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसमें साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा की बात का उल्लेख किया गया था। उस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तरांचल का कोई निवासी उसकी अर्हता को पूर्ण नहीं करता था। क्योंकि अभी फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के हैं। वहाँ के लोगों को इसमें बैठने का मौका मिला। इस सम्बन्ध में हमारी माननीय मंत्री जी से भी वार्ता हुई कि कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल में डिग्रीधारियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करें क्योंकि हमारे प्रदेश में अभी मेडिकल फैकल्टी को रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी हमें रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम किसी को सेवायोजित कर नहीं सकते। तो क्या माननीय मंत्री जी कुमाऊँ एवं गढ़वाल में जो डिग्रीधारी युवक हैं उनको मान्यता एवं पंजीकृत करने का कोई आदेश भविष्य में निर्गत करेंगे?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 07 नवम्बर, 2002 को अधिसूचित हो गयी है। जहां तक डिग्री धारकों का सवाल है, मैंने पहले भी कहा है कि इन पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, ठीक है अब उत्तरांचल की मेडिकल फैकल्टी बन गयी है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो पहले के डिग्रीधारी हैं, इनके बारे में सरकार विचार करेगी? मान्यवर, खासतौर से जिनका तीन वर्ष का अनुभव है, उनको रजिस्ट्रेशन में छूट देने का प्रस्ताव करेंगे?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आई0डी0टी0–16 के अन्तर्गत एक्ट बना हुआ है, इसके अन्तर्गत ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है और न ही किसी अन्य प्रदेश में ऐसा प्राविधान है, हम भी गलत परम्परा का निर्वहन नहीं करेंगे। मान्यवर, फिर भी हम इस पर विचार करेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य बनने के बाद सरकार द्वारा कुछ लैब टेक्नीशियन संविदा पर रखे गये थे? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी और क्या इनको बाद में निकाल दिया गया है और यदि निकाल दिया गया है तो इसका कारण क्या है? क्या यहां की मेडिकल फैकल्टी में उसका रजिस्ट्रेशन न होना इसका कारण है? मान्यवर, क्या जो लैब टेक्नीशियन अब तक काम कर रहे थे, उन्होंने अनुभवहीनता के कारण रिपोर्ट दी है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, लैब टेक्नीशियन संविदा पर थे और संविदा पर जो भी व्यवस्था होती है, वह अस्थाई रूप से होती है इसलिए इसको उसके साथ जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं होते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि संविदा पर क्या नॉन टेक्नीशियन रखे गये थे? क्या इतिहास के टीचर को डाक्टर बनाया जा सकता है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ये लोग एन0जी0ओ0 संस्था द्वारा संविदा पर रखे गये थे, शायद इसमें लैब टेक्नीशियन नियमावली का संज्ञान नहीं लिया है। मान्यवर, हम लैब टेक्नीशियन सेवा नियमावली के अनुसार ही आदमियों को लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या स्वास्थ्य विभाग ने इन लोगों को रखा? यदि रखा, तो किस आधार पर रखा? क्या वे लैब टेक्नीशियन की अर्हता नहीं रखते हैं, यदि रखते हैं तो उनको यहां पर क्यों नहीं रखा है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सरकार का जो निर्णय होगा उसे हमें मानना होगा। मान्यवर, डाट्स–16 के अनुसार हम लैब टेक्नीशियनों को लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या जितने भी संविदा पर लैब टेक्नीशियन नियुक्त किये गये थे? क्या इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार पुनर्विचार करेगी?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने कहा कि जो एन0जी0ओ0 डेट्स के लोगों को संविदा पर रखा है उसके बारे में भारत सरकार को प्रकरण गया है, और उनका जो भी निर्णय होगा उसको हम देखेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैंने पूछा कि जो कर्मचारी निकाल दिये गये हैं, क्या उनको भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में वरीयता और प्राथमिकता दी जायेगी? मान्यवर, भारत सरकार से जो भी योजना आती है वह राज्य सरकार को हस्तान्तरित हो जाती है और यह नहीं होता कि एन0जी0ओ0 को रख दें। मान्यवर, डाक्टर की जगह इतिहास के टीचर को नहीं रखा जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में उनको वरीयता दी जायेगी?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने कहा कि भारत सरकार को भेजा है वह जो कहेगा वह देखेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम भारत सरकार को नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि क्या हमारी सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने कहा कि जो नियमित रूप से रखे जाने हैं वह हमारे स्कूलों के माध्यम से होंगे, मैं एक्ट के बाहर नहीं जा सकूँगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न से सम्बन्धित ही प्रश्न पूछें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं उसमें से अधिकांश प्रदेश के बाहर के लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तरांचल के बेरोजगार भाई–बहनों को रोजगार देने के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद में उत्तरांचल के मूल निवासियों के लिए आरक्षित करने का कार्य यह सरकार करेगी या नहीं?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से हटकर है।

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में विधान परिषद् का गठन

*1. श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि सरकार उत्तरांचल में विधान परिषद् के गठन का प्रस्ताव कर रही है? यदि हॉ, तो उसका प्रस्तावित स्वरूप क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

उत्तरांचल में विधान परिषद् के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार द्वारा तत्सम्बन्धी कोई घोषणा उत्तरांचल राज्य में विधान परिषद् के गठन के सम्बन्ध में की गई थी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह बात सही है कि घोषणा की गई थी, परन्तु जब उसका विश्लेषण किया गया तो यह देखा गया कि छोटे राज्य में दो सदन बनने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक तरफ कह दिया कि उत्तरांचल में विधान परिषद् गठन का प्रस्ताव कोई विचाराधीन नहीं है और दूसरी तरफ कह दिया कि हमने घोषणा की है, तो फिर घोषणा का औचित्य ही क्या होता है? मान्यवर, राज्य सरकार की बाध्यता नहीं है, यह राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के बाहर की है, सरकार इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगी, ऐसी कोई घोषणा माननीय मंत्री जी करेंगी?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जब नया राज्य बनता है तो लीक से हटकर विचार मंथन करता है, क्या दो सदन की आवश्यकता है, इसमें अलग–अलग राज्यों में बहस भी हुई थी। मान्यवर, जो बड़े राज्य हैं उनमें उच्च सदन को समाप्त कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी दो बार यह प्रस्ताव आया, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश होने के नाते वहां दो सदनों के महत्व को मानते हुए यह स्थिति बनी रही। उच्च सदन के महत्व को भली प्रकार सभी जानते हैं। उच्च सदन का महत्व होता है, अधिक बौद्धिक बहस करने के लिए एक व्यवस्था बनायें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत सारी नजीरें वहीं से प्रकाशित हुई। उच्च सदन को नकारा नहीं जा सकता है। मान्यवर, हमारा नया राज्य शैशव अवस्था में है, इससे आर्थिक बोझ प्रदेश की जनता पर पड़ता है, यह हमारी चिन्ता है। मान्यवर, यह मन में विचारा गया कि दो सदन बनाये जाय, हम क्यों न उत्तरांचल में लीक से हटकर व्यवस्था दें। लेकिन आर्थिक संसाधन और परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि हम देश के अन्य राज्यों की तरह विधान परिषद् का गठन कर सकें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि उच्च सदन की प्रस्तावना है कि नहीं? मंत्री जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई, इसका परीक्षण किया। मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह स्वयं सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में उच्च सदन की सदस्य रही हैं दूसरा तथ्य यह भी है कि बहुत सारे प्रदेशों की विधान सभाओं ने जहाँ उच्च सदन हैं उनको खत्म करने की सिफारिश की है, बहुत सारे प्रदेशों ने उच्च सदन स्थापित करने की सिफारिश की है, मैं मंत्री जी से सहमत हूँ। अनावश्यक व्यय भार बढ़ाने की स्थिति में हमारा प्रदेश नहीं है। हमें किस चीज की आवश्यकता हो वह आवश्यक समझी जाये, व्यय भार को लेकर निर्णय करना उचित नहीं है। तमाम सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मेरा कहना है कि यह लाल बत्ती प्रदेश बना दिया है, लाल बत्ती बांटने के बजाय उच्च सदन में इन्हें आसीन किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए क्या उच्च सदन का प्रस्ताव पारित करते हुए इस पर विचार करेंगी?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जिन राज्यों में विधान परिषद् है, जैसे उत्तर प्रदेश में इसका दो बार प्रस्ताव भी आया। मान्यवर, लेकिन वह अंततः स्वरूप नहीं ले पाया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् समाप्त हो जाये। मान्यवर, आज बड़े राज्य भी इसे समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं तो छोटे राज्य इसे कैसे बना सकते हैं। इस नये राज्य में हम सब लोगों ने इस पर चिन्तन किया कि क्या यहां पर विधान परिषद् हो सकती है?

मान्यवर, मैं विधान परिषद् की उपयोगिता से इन्कार नहीं कर रही हूँ। मैं स्वयं इस सदन में सदस्य रही हूँ। मान्यवर, श्रेष्ठतम् और सार्थक बहस और संसदीय परम्पराओं के कई मानदण्ड उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने स्थापित किये हैं। यहां आज जो

परिस्थितियां हैं उनमें बहुत सारी कठिनाईयां हैं। अभी तो स्थाई राजधानी की ही दिक्कत है। अभी कल ही जब सदन में बिजली चली गयी तो मुझे बताया गया कि यहां पर एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। आपका जो सुझाव है, हमने भी महसूस किया है कि विधान परिषद् होने से अच्छी और सार्थक बहस होती है। पर व्यवहारिक रूप से आज यहां विधान परिषद् नहीं बनाई जा सकती है।

काजी निज़ामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माना कि सरकार ने घोषणा की थी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, घोषणा नहीं की थी।

काजी निज़ामुद्दीन–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 171 (1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "विधान परिषद् वाले राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी परन्तु किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी।" मान्यवर, इस सदन की सदस्य संख्या 70 है और एक तिहाई 24 बैठती है और संविधान कहता है कि विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। मान्यवर, जब इस सदन की संख्या के आधार पर विधान परिषद् का गठन हो ही नहीं सकता तो सरकार के दिमाग में यह बात आई ही कैसे? इसका मतलब है कि सरकार संविधान की अनदेखी कर रही है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, संविधान की तो बाध्यता होती है और जो नियम आपने पढ़े हैं वह बिल्कुल सही हैं। जब ये परिस्थितियां आयेंगी तो इस पर विचार किया जायेगा। फिलहाल सरकार विधान परिषद् बनाने पर विचार नहीं कर रही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कौन सी परिस्थितियां थी कि आपने चुनाव से पूर्व यह घोषणा की थी कि हम उच्च सदन का गठन करेंगे? इसका मतलब आपने जनता को छला।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मूल प्रश्न पर आएं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आप हमारा संरक्षण करें। मैं कहना चाहता हूं कि वे कौन सी परिस्थितियां थी कि आपने घोषणा कर दी और आज आप उससे मुकर गये अर्थात् आप उत्तरांचल की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं। व्यवहारिक है कि उत्तरांचल में विधान परिषद् का गठन नहीं हो सकता। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप इतनी अनुभवी हैं। माननीय

मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी को जितना अनुभव है, उतना तो हमको भी नहीं है, तो फिर यह भूल कैसे हो गई और क्यों हो गई?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियमानुसार तो कोई भी विधान सभा दो तिहाई बहुमत से पारित करा सकती है और इसके लिए संविधान में भी ....।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बेहतर होगा कि संवैधानिक बहस न हो क्योंकि यह प्रश्न काल है, सीमित समय है, इसके लिए बहस यदि करनी ही हो तो समय निश्चित कर दिया जाय। हम बहस करने को तैयार हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आकृष्ट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि आर्थिक स्थिति नहीं है तो जब बनाना ही नहीं है, तो क्यों आप इतने पोथा पत्री ढूंढ रही हैं, जब उत्तर दे ही दिया कि नहीं बनाना है तो ....।

श्री अध्यक्ष–

इस पर उत्तर आ गया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यही तो हम भी कह रहे हैं कि अब क्यों मंत्री जी संविधान ढूंढ रही हैं।

*2. श्री नारायण सिंह जंतवाल–(द्वितीय सोमवार के तारांकित 10 में स्थानान्तरित)

*3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–(द्वितीय सोमवार के तारांकित 12 में स्थानान्तरित)

औषधीय वनस्पति वन संस्था उत्तरांचल को दिये गये अनुदान के व्यय का ब्यौरा

*4. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पायी जाने वाली दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण संवर्द्धन व उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत "औषधीय वनस्पति वन संस्था उत्तरांचल" का गठन किया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त संस्था को अब तक कितना अनुदान दिया गया है और किन–किन योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (नवप्रभात)–

जी हाँ।

इस संस्था को अब तक भारत सरकार से 60 लाख रु० मात्र का अनुदान प्राप्त हुआ है।

संस्था द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को भद्रकाली (मुनि की रेती) एवं कौन्तालानी (चकराता) में स्थापित दो हाई–टेक पौधशालाओं की स्थापना व संचालन, गुण्डाली (चकराता वन प्रभाग) में औषधीय पादपों के संरक्षण क्षेत्र (एम०पी०सी०ए०) की स्थापना तथा स्थानीय ग्रामीणों को जड़ी–बूटी कृषिकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं के आयोजन पर व्यय किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस संस्थान को भारत सरकार द्वारा 60 लाख रुपये का अनुदान किया गया है तो प्रदेश सरकार द्वारा इस संस्थान को कितना अनुदान दिया गया? और दूसरा प्रश्न कि जो कार्यशालायें आयोजित की गई, वे कहां–कहां पर की गई और उन पर कितना व्यय आया और उनका क्या लाभ हुआ? तीसरा प्रश्न कि क्या सरकार दुर्लभ जड़ी–बूटियों के संवर्द्धन के लिए अलग सेल का गठन करने जा रही है?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह योजना भारत सरकार की सम्पूर्ण ग्रांट की है और 5 वर्ष के लिए 5 करोड़ की योजना है, जिसकी हमें स्वीकृति मिली है और इसमें राज्यांश नहीं है। इसकी दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25 एवं 26 जून को किया गया। जो खर्च की मद है 60 लाख में से उसमें 21 लाख रुपया चकराता में तथा 25 लाख रुपया मुनि की रेती में और 10 लाख रुपया कार्यालय व्यय में हुआ है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, कार्यशाला कहां–कहां आयोजित हुई और इनका क्या लाभ हुआ? यह भी मेरा प्रश्न था।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, कार्यशाला कहां आयोजित की गई, इसे मैं ढूंढ़ कर बता रहा हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विषय केन्द्र सरकार का विषय है यह कहकर काम नहीं चलाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष–

इसमें उत्तर आ रहा है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, कार्यशाला की तिथि की जानकारी मैंने दे दी है और स्थान की जानकारी दे रहा हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि प्रश्न काल है और समय की सीमा है, इस प्रकार से प्रश्न काल खिसकता जाएगा। इसका समय तो बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि चूँकि माननीय मंत्री जी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, कार्यशाला के स्थान का प्रश्न है। मैं इसकी जानकारी उपलब्ध करा दूँगा।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, उत्तर देने में इतनी देर क्यों हो रही है?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, चूँकि माननीय मंत्री जी को जवाब की जानकारी नहीं है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपके पास जानकारी नहीं है तो इसको स्थगित करने में क्या परेशानी है? इसमें दिक्कत क्या है, बहुत बार जानकारी नहीं होती है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी तैयारी करने में ठीक–ठाक हैं। आपका रिकार्ड अच्छा है। इसके बाद भी एक साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं आ पा रहा है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने इसके लिए कोई तैयारी की ही नहीं है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार ने भी एक नहीं, अनेक बार कहा है कि हम इस प्रदेश को हर्बल स्टेट बनाएंगे। मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न को आज स्थगित कर दें और इस प्रश्न पर पूरे एक दिन की चर्चा करा दें। मान्यवर, हर्बल स्टेट का मामला है। यह अच्छी बात है। हमारे प्रदेश को हर्बल प्रदेश बनना ही चाहिए। लेकिन केन्द्र से 60 लाख रुपये की कोई योजना आ गयी और आपने उस पैसे को खा

लिया, तो इस प्रकार से हर्बल स्टेट नहीं बन पाएगा। मान्यवर, इसका उत्तर आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत किसी सेल का गठन नहीं किया गया है। यह वन विकास निगम द्वारा संचालित की गयी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कार्यशाला कहां पर हुई, इसका उत्तर नहीं आया है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, कार्यशाला 21 और 22 अप्रैल को कोटी में हुई थी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। मान्यवर, औषधीय वनस्पति वन संस्था उत्तरांचल का गठन किया गया है, इसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि इसके गठन के बाद, इसके संवर्धन के लिए क्या–क्या प्रयास किये गये और जो 60 लाख रुपये का अनुदान भारत सरकार से इस संस्था को मिला था, वह किस कार्य हेतु इस संस्था द्वारा खर्च किया गया है? माननीय मंत्री जी इसे बताने की कृपा करें।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह संस्था एक पंजीकृत संस्था है। इस संस्था के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम, सचिव, प्रभागीय प्रबन्धक (नियोजन), प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष, लेखाधिकारी (आन्तरिक) सम्परीक्षाधिकारी, उत्तरांचल वन विकास निगम तथा अन्य सदस्य उत्तरांचल वन विकास निगम के अधिकारी हैं। मान्यवर, संस्था के गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की "वनस्पति वन" योजना के राज्य स्तर पर संचालन हेतु एक सरकारी संस्था के गठन की अनिवार्यता रखी गयी थी। मान्यवर, राज्य स्तर पर संचालन हेतु एक सरकारी संस्था के गठन की अनिवार्यता रखी गई और उसी के अनुरूप इस संस्था का गठन किया गया है। मान्यवर, हमें इसमें 60 लाख की ग्रांट मिली है। उसका मदवार विवरण इस प्रकार है।

इसमें कार्यशालाओं के ऊपर एक लाख छत्तीस हजार, यह कार्यशाला दो दिवसीय थी। आफिस एक्सपैंशन पर 29 हजार, किसान नर्सरी पर एक वर्ष 25 हजार, किसान नर्सरी

वर्ष 2002–03 में 25000 रुपये, व्हैकिल पर चार लाख सैंतीस हजार, कम्प्यूटर एसेसरीज पर बयानवे हजार, वेइंग स्केल पर 3900, फर्नीचर आदि पर 45 हजार, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी पर लगभग 25 हजार, व्हैकिल इंश्योरेंस पर 14 हजार, मीटिंग्स, आदि में 37 हजार तथा कंस्लटेंसी पर 7000 हजार।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मदवार नहीं मात्र नर्सरियों पर कितना खर्च हुआ वह बतायें यह तो बहुत लम्बा हो जायेगा।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं मदवार विवरण दे रहा था किन्तु यदि आप संक्षेप में चाहते हैं तो मुनि की रेती नर्सरी पर 25 लाख तथा चकराता नर्सरी पर लगभग 17 लाख का खर्च हुआ है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हर्बल स्टेट की बात आई है मान्यवर, औषधीय वनस्पति वन संस्थान की बात आई, यह एक रजिस्टर्ड संस्था है। कुल मिलाकर एक अशासकीय संस्था है मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह संस्था कब बनी और भविष्य में यह संस्था कहाँ–कहाँ और कौन–कौन से कार्यक्रम आयोजित करने वाली है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसका गठन सात सितम्बर, 2001 को हुआ था। इसका पाँच साल का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इसका मुख्यालय कहाँ है?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसका मुख्यालय वन विकास निगम के कार्यालय में ही स्थित है। मान्यवर, वन विकास निगम कार्यालय देहरादून में है। मान्यवर, इसका हेड ऑफिस चकराता में है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हैं आप चाहें तो इसका नाम उत्तरांचल से चकराता कर दीजिए।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसमें कंट्री एरिया होना बहुत जरूरी था तथा दूसरे प्रोजेक्ट इसमें नहीं जुड़े होंगे।

*5. श्री हरभजन सिंह चीमा–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

उत्तरांचल में निर्माण सम्बन्धी योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश निर्माण निगम एजेन्सी की बजाय उत्तरांचल निर्माण निगम एजेन्सी का गठन

*6. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश निर्माण निगम वर्तमान में उत्तरांचल की निर्माणाधीन अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहा है?

यदि हां, तो सरकार यह भी बतलाने का कष्ट करेगी कि उत्तरांचल की निर्माण सम्बन्धी योजनाओं हेतु उत्तरांचल की ही निर्माण एजेन्सी/निगम गठित न किये जाने के क्या कारण है?

क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का गठन किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल पेयजल संस्थान का गठन कब हुआ? राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को कितने रुपये का सेन्टेज चार्ज दिया गया? तीसरा प्रश्न यह है कि उत्तरांचल के गठन के बाद भी क्या कोई योजना उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को दी गयी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल पेयजल संस्थान का गठन 7–11–2002 को हुआ था, उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित एजेंसियां कार्यरत हैं। राज्य निर्माण, समाज कल्याण निगम, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज एवं जल निगम, ये तीनों उत्तर प्रदेश की हैं। इसमें राज्य गठन से पूर्व और राज्य गठन के बाद जो कार्य किये गये हैं उसका पूरा ब्योरा गढ़वाल क्षेत्र में राज्य गठन के बाद राजकीय निर्माण विभाग को 19 निर्माण आवंटित किये गये हैं, राज्य गठन के बाद 27 विभागों द्वारा 179 निर्माण कार्य आवंटित किये गये हैं। इसी तरह समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तर प्रदेश को राज्य गठन से पूर्व एक विभाग द्वारा

8 कार्य आवंटित किये गये हैं और राज्य गठन के बाद चार विभागों द्वारा 98 कार्य आवंटित किये गये। उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज को राज्य गठन से पूर्व 13 कार्य आवंटित किये गये हैं और राज्य गठन के बाद 29 कार्य आवंटित किये गये हैं। उत्तरांचल पेयजल संस्थान विकास विभाग में निर्माण निगम को 11 विभागों द्वारा 20 कार्य आवंटित किये गये।

श्री महेन्द्र भट्ट--

मान्यवर, मैं जानना चाहता था कि राज्य गठन के बाद उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को कितना सेंटेज चार्ज दिया गया?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, 29.84 करोड़ में से 7.5 की दर से।

श्री महेन्द्र भट्ट--

मान्यवर, पेयजल संस्थान के गठन होने के बाद कितनी योजनायें उत्तर प्रदेश की एजेंसियों को दी गई, इनको देने के क्या कारण थे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, उत्तरांचल सरकार के द्वारा जो गठित उत्तरांचल संस्था थी उनके पास भी 315 करोड़ रुपये के कार्य हैं, लेकिन कार्य बहुत था, कुछ चल रहा था और कुछ बाद में दिया गया, अधिक कार्य होने के कारण जो एजेंसियां कार्य कर रहीं थी उन्हें भी दिया गया और हमारी एजेंसियों के पास पर्याप्त कार्य था इस कारण देना पड़ा।

श्री महेन्द्र भट्ट--

मान्यवर, जब एजेंसी बन्द थी तो उत्तर प्रदेश को देने का क्या कारण था?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, कार्य ज्यादा था इसलिए दिया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में क्या कोई लिखित में था कि कार्य ज्यादा होने के कारण देना पड़ा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, फिजीकल वैरीफिकेशन के द्वारा हुआ। यह एजेंसी पेयजल की बनी और पी०डब्ल्यू०डी० भी 380 करोड़ रुपये का कार्य कर रही थी, इसके बाद भी नये जिलों के निर्माण के कारण, नये कार्यों के कारण उन्हें देना पड़ा, बाध्यता थी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तरांचल के ठेकेदार लगातार आन्दोलित रहे, कहा कि हमारे पास काम नहीं है। तो वे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और कहा कि काम नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में क्या बात की मुझे नहीं पता, लेकिन यह जानकारी है कि निर्माण कार्य किया गया और विभिन्न एजेंसियों ने किया, हमारी और उत्तर प्रदेश की एजेंसियों ने किया और पी0डब्ल्यू0डी0 का कार्य चल रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो सेंटेज चार्जेज होते हैं वह निर्माण एजेंसियों को दिये जाते हैं और वह कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 29.84 करोड़ रुपया सेंटेज चार्जेज के रूप में उत्तर प्रदेश को दिये, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की जो निर्माण एजेंसिया हैं उनको कुल कितना सेंटेज चार्जेज के रूप में दिया गया? मान्यवर, ग्राम विकास विभाग से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए निर्माण एजेंसी नामित की गई थी उसको पी0डब्ल्यू0डी0 ने ले लिया है, तो क्या पी0डब्ल्यू0डी0 के सर्वे करने के लिए दूसरी कम्पनी को नामित कर दिया गया है?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, पर मैं बता देती हूँ कि किसी कम्पनी को सर्वे के लिए नहीं रखा है। अमीन लोगों के माध्यम से करा रहे हैं, उनकी संख्या कम है तो उनकी नियुक्तियों के आदेश दे दिये हैं। मैं गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र में गई और परीक्षण किया तो मैंने स्वयं इसकी चिन्ता में चार्ट बनाकर रखा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सेंटेज चार्जेज में कितना दिया?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल में सेंटेज चार्जेज क्यों दिया जायेगा, जो सेंटेज चार्जेज जाता है वह वहीं के रूप में देते हैं। आपने उत्तरांचल में सेंटेज चार्जेज की बात कही तो उत्तरांचल में इसका कोई मतलब ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या (6) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बस स्टेशन की सुविधा की मांग

1. डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में बस स्टेशन की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये गंगोत्री धाम के बस स्टेशन से आधा किमी० पीछे तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

पी०डब्ल्यू०डी० में सेवा निवृत्त/मरणोपरान्त कर्मचारियों को भविष्य निधि के भुगतान का निस्तारण

2. श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त या मरणोपरान्त उनको या उनके वारिसों को भविष्य निधि का पैसा भुगतान किये जाने के प्रकरण लम्बित हैं?

कब तक सरकार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर देगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

39 प्रकरण।

महालेखाकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

डोईवाला के निकट सौंग नदी एवं धोरण के पास रिस्पना नदी पर बने पुलों की लागत एवं उन पर वसूले जाने वाले पैसे की अवधि

3. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि हरिद्वार–मसूरी मार्ग पर डोईवाला के निकट सौंग नदी पर बने मोटर पुल तथा रिस्पना नदी पर धोरण के पास बने पुलों के निर्माण पर

कितना व्यय हुआ और इनसे अभी तक सरकार को कितनी आय हुई है?

वसूली की यह व्यवस्था कब तक जारी रहेगी?

यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

सौंग नदी पर बना मोटर पुल राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत आता है, जिसकी लागत रु0 221.50 लाख है, जबकि रिस्पना नदी पर धोरण के पास बना पुल राज्य सरकार के अन्तर्गत है, जिसकी लागत रु0 18.00 लाख है, उक्त दोनों पुलों के सापेक्ष क्रमशः रुपये 336.14 लाख तथा रु0 35.35 लाख की वसूली की जा चुकी है।

पुल की लागत व उस पर आरोपित ब्याज की वसूली होने तक।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में वर्ष 2003–04 में स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण का आंगणन

1. श्री नारायण राम आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में वर्ष 2003–04 में कितने मोटर मार्ग स्वीकृत हुए एवं इनमें से कितने मार्गों के आगणन शासन को प्राप्त हो चुके हैं?

क्या स्वीकृत मोटर मार्गों का इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

21 नव निर्माण तथा 04 कार्य पुनर्निर्माण एवं सुधार के राज्य सैक्टर में स्वीकृत किये गये हैं। अतः स्वीकृति के पश्चात् शासन स्तर से आगणन की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

(1) नव निर्माण में वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

(2) पुनः निर्माण में कार्यवाही गतिमान है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में 2003–04 में आदमखोर बाघ द्वारा मारे व घायल किये गये परिवारों को पुनरीक्षित दरों से मुआवजे का भुगतान

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विभिन्न स्थलों/गांवों में दिसम्बर, 2003 व जनवरी, 2004 में आदमखोर बाघ द्वारा मारे गए तथा घायल किए बच्चों के सन्दर्भ में पीड़ितों को पुनरीक्षित दर पर मुआवजे का भुगतान किया गया?

यदि हाँ, तो कब और कितना?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्थलों/गांवों में दिसम्बर, 2003 व जनवरी, 2004 में आदमखोर बाघ (गुलदार) द्वारा मारे एवं घायल किए गये बच्चों/परिवारों को तत्कालीन निर्धारित दरों/व्यवस्था के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया है।

मृत पांच बच्चों के परिवारों को तात्कालिक राहत के रूप में रु0 तीन–तीन हजार का भुगतान दिनांक 17 दिसम्बर, 2003, 22 दिसम्बर, 2003, 06 जनवरी, 2004, 09 जनवरी, 2004 तथा 14 जनवरी, 2004 को तथा रु0 बाईस–बाईस हजार का भुगतान दिनांक 23 मार्च 2004, 16 जुलाई, 2004 तथा 05 अक्टूबर 2004 की तिथियों में किया गया है। घायल हुए चार बच्चों में से प्रत्येक को रु0 पांच–पांच हजार का भुगतान दिनांक 12 जुलाई, 2004 तथा 29 नवम्बर, 2004 को किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक मृतक के परिवार को रु0 25 हजार तथा प्रत्येक घायल को रु0 पांच हजार का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड जोगथ मोटर मार्ग पर भागीरथी पर बने डूब क्षेत्र के मोटर पुल का स्थानान्तरण

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड जोगथ मोटर मार्ग पर भागीरथी पर बने मोटर पुल को डूब क्षेत्र में आने के कारण कहां शिफ्ट किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अभी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है।

पुल पर यातायात चालू है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत लक्ष्मण झूला–कांडी, दुगड्डा एवं लक्ष्मण झूला लैंसडाउन प्रमुख मोटर मार्ग को स्टेट हाई–वे बनाने की मांग

4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लक्ष्मण झूला–कांडी, दुगड्डा, रथुवाढांब, मैदावन–धूमा कोट मोटर मार्ग एवं लक्ष्मण झूला–गैण्ड खाल, सिलोगी, चैलूसैण, लैंसडाउन रिखणी खाल–बीरोखाल मोटर मार्ग (जो कि प्रमुख मार्ग है) को स्टेट हाई–वे बनाने जा रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी स्थित यमकेश्वर के गण्डरखाल–आमसैण हल्का वाहन मार्ग पर यातायात की सुलभता

5. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के गण्डरखाल–आमसैण हल्का वाहन मार्ग का निर्माण कब किया गया था?

क्या मार्ग के निर्माण से पूर्व विभाग द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया गया था?

तो क्या मोटर मार्ग यातायात के लिये जनता को सुलभ है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मार्च 2003 में।

जी हां।

वर्तमान में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात हेतु सुलभ नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नई दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास का वर्षवार व्यय एवं अतिरिक्त भवन बनाने पर विचार

6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नई दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास में प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में आवासीय कक्ष उपलब्ध है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु अतिरिक्त भवन बनाने पर विचार करेगी?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 09 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल निवास पर वर्षवार कितना व्यय हुआ है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

जी हाँ।

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली जिसे अब उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली नाम दिया गया है, को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तरांचल राज्य को दिनांक 18 अप्रैल, 2001 को हस्तान्तरित किया गया। हस्तान्तरण की तिथि से माह–दिसम्बर, 2004 तक उत्तरांचल निवास पर वर्षवार व्यय की सूचना, जिसमें कार्मिकों के वेतन आदि पर हुए व्यय की धनराशि भी सम्मिलित है, निम्नवत् है:–

वर्ष	व्यय की गयी धनराशि (रू० में)
2001–2002	53,08,688.00
2002–2003	70,66,790.00
2003–2004	70,10,418.00
2004–2005 (माह दिसम्बर, 04 तक)	79,64,799.00
कुल योग–	2,73,50,695.00

(रू० दो करोड़ तिहत्तर लाख पचास हजार छः सौ पिचानब्बे मात्र)

जनपद पौड़ी के गुरुडचट्टी में लक्ष्मण झूला–कांडी रोड़ पर पुल का निर्माण कार्य

7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान गुरुडचट्टी (लक्ष्मण झूला–कांडी रोड) पर केन्द्रीय सड़क निधि से दो लेन पुल निर्माण हेतु 9 करोड़ 38 लाख रुपये स्वीकृत हुये हैं?

यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

यथाशीघ्र।

वित्तीय वर्ष 2007–08 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में कार्य प्रभारित श्रमिकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से ग्रेच्यूटी व पेंशन का लाभ

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण (उत्तरांचल) में कार्य प्रभारित श्रमिकों को नियमित कर उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि को ही आधार मानकर ग्रेच्यूटी व पेंशन का लाभ दिया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर पात्र कार्य प्रभारित श्रमिकों को प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित किये जाने की तिथि से ही ग्रेच्यूटी व पेंशन का लाभ दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी स्थित द्वारीखाल के ग्राम मंगोलीगांव में नयार नदी पर झूला पुल का निर्माण कार्य रोकने के कारण

9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के ग्राम मंगोलीगांव में नयार नदी पर पूर्व में स्वीकृत झूला पुल का निर्माण कार्य किन कारणों से रोक दिया गया?

क्या सरकार जनहित में उक्त झूला पुल का निर्माण यथाशीघ्र प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेंगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

अतिवृष्टि से एबटमैन्ट क्षतिग्रस्त होने से पुल का निर्माण कार्य 1993 में रोक दिया गया।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई मन्दिर से पेटसाल तक मानक के अनुसार निर्माण

10. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई मन्दिर से पेटसाल तक पांच किलोमीटर की दूरी का ग्रेडिंग, मानक के अनुरूप नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मानक के अनुसार सड़क का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

यह मार्ग पूर्व में सीमा सड़क संगठन के अधीन रहा है तथा मात्र तीन वर्ष पूर्व ही विभाग को हस्तान्तरित हुआ है।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट मृगविहार का क्षेत्रफल कम करने का प्रस्ताव

11. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट मृगविहार का क्षेत्रफल कम करने के लिए मा0 सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिए हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मृग विहार का क्षेत्रफल कम करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र से आने वाले हल्के वाहनों हेतु स्यास् व पीपलडाली में पुलों का निर्माण

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रतापनगर क्षेत्र से आने जाने वाले हल्के वाहनों के लिये स्यास् व पीपलडाली में पुलों का निर्माण कराया जा रहा है?

यदि हां, तो क्या भारी वाहनों के आने जाने के लिये भी कोई व्यवस्था की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम खोजा में वर्ष 2003 में दैवीय आपदा से बहे पुल का निर्माण

13. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत पमस्यारी के ग्राम खोजा में वर्ष 2003 में दैवी आपदा से गांव जोड़ने वाला पुल बह जाने से गांवों का आपसी सम्पर्क तथा विद्यालय में छात्रों का आना–जाना बन्द रहता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित तथा छात्रहित में पुल का निर्माण यथाशीघ्र करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

पुल के माध्यम से आना–जाना बन्द रहता है विद्यालय में छात्र अन्य मार्गों से पहुँचते हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1997 में गौरी नदी में फबुवा बगड़ में स्वीकृत झूला पुल के निर्माण कार्य बन्द होने के कारण एवं व्यय धनराशि

14. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1997 में गौरी नदी में फबुवा बगड़ में स्वीकृत झूला पुल निर्माण कार्य में कुल कितना रुपया खर्च किया गया है तथा किन कारणों से निर्माण कार्य रोका गया?

क्या सरकार पुल का पुनः निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

31 मार्च, 2003 तक 28.80 लाख रुपया व्यय हुआ। पुल का दायाँ एबटमैन्ट अस्कोट मृग बिहार क्षेत्र में पड़ता है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मृग बिहार क्षेत्र में निर्माण प्रतिबन्धित है।

जी हाँ।

मृग बिहार क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर काशीपुर में मुरादाबाद रुद्रपुर तथा रामनगर मार्ग को मुख्य मार्गों से जोड़े जाने हेतु बाईपास की योजना

15. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर में मुरादाबाद–काशीपुर मुख्य मार्ग, काशीपुर–रुद्रपुर एवं काशीपुर–रामनगर मुख्य मार्गों से जोड़े जाने हेतु बाईपास बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण।

राज्य के जंगलों में उपलब्ध गुच्छी (च्यूं) का संग्रहण व बिक्री पर प्रतिबंध

16. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के जंगलों में पाई जाने वाली गुच्छी (च्यूं) के संग्रहण व बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध है?

यदि हाँ, तो उक्त प्रतिबन्ध कब तक हटा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के पांखू, कोटमान्या मोटर मार्ग को ठीक करने की मांग

17. श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के पांखू, कोटमान्या मोटर मार्ग से दशोली तक 2 कि0मी0 सड़क जगह–जगह मलवा आने तथा दिवार टूट जाने से बन्द है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को यातायात हेतु ठीक करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत दूनाकोट रोतिस नदी में पैदल पुल के पास क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

18. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत दूनाकोट के पास रोतिस नदी में पैदल पुल के नजदीक 100 मीटर रास्ता 19 जून, 2004 को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके फलस्वरूप पुल में जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का अविलम्ब निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में जड़ी–बूटियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

19. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कौन–कौन सी जड़ी–बूटियों के उत्पादन पर वन विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है?

वह कौन–कौन सी जड़ी–बूटियां हैं जिन्हें काश्तकार अपनी भूमि पर उत्पादन कर बिक्री कर सकते हैं?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं, वन विभाग द्वारा काश्तकारों द्वारा जड़ी–बूटी उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

जड़ी–बूटी कृषिकरण योजनाओं के अनुसार पंजीकरण कराने तथा नियमों का पालन करने के बाद कृषक जड़ी–बूटी उत्पादित कर सकता है। उत्तरांचल औषधीय पादप बोर्ड तथा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान से भी मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में किसानों द्वारा उत्पादित वन सम्पदा के कटान व बिक्री की नीति का सरलीकरण

20. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि में उगाई जाने वाली वन सम्पदा के कटान व बिक्री हेतु, सरकार द्वारा निर्धारित नीति का सरलीकरण किया जाना विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि में उगाये जाने वाले वृक्षों में पौपलर के कटान व ढुलान को प्रतिबन्ध मुक्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त युकेलिप्टस सहित 27 प्रजातियों के कटान पर पूर्व में ही छूट दी गई है।

21. श्री महेन्द्र भट्ट–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

चमोली विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत पैढ़ी कुजांसू मोटर मार्ग पर यातायात की सुविधा

22. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत पैढ़ी कुजांसू मोटर वाहन मार्ग चलने योग्य हो गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

तथा यह मार्ग कब तक वाहन चलने योग्य हो जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

उक्त कार्य वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

23. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

(दिनांक 17–01–05 को अता0 184 द्वारा उत्तरित।)

24. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

(दिनांक 17–01–05 को अता0 181 द्वारा उत्तरित।)

25. श्री महेन्द्र भट्ट–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।)

जनपद चमोली स्थित कर्णप्रयाग के घार डुगी मेखुरा मोटर मार्ग पर यातायात की सुविधा

26. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के घार डुगी मेखुरा मोटर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है?

यदि नहीं, तो उक्त मार्ग के पूर्ण न होने के क्या कारण हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

हल्के वाहनों हेतु उक्त मोटर मार्ग 4.10 कि0मी0 लम्बाई में यातायात हेतु सुलभ है।

वन भूमि की स्वीकृति हेतु एन0पी0वी0 भुगतान का प्रकरण विचाराधीन है।

सूचना विभाग में संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति पर विचार

27. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सूचना मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि सूचना विभाग में वर्तमान में संविदा पर कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? क्या यह सत्य है कि विगत वर्ष कुछ कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दे दी गयी है? यदि हाँ, तो शेष कर्मचारियों को भी स्थायी नियुक्ति प्रदान किये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्तमान में सूचना विभाग में संविदा पर कुल सात कार्मिक कार्यरत हैं एवं गत वर्ष इनमें से किसी भी कार्मिक को स्थायी नियुक्ति नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के अन्तर्गत कीमती जड़ी–बूटियों के तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

28. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि चालू वर्ष में जनपद चमोली के अन्तर्गत कीमती जड़ी–बूटियों की तस्करी के आरोप में कतिपय लोगों को पकड़ा गया था?

यदि हाँ, तो इनसे कौन–कौन सी एवम् कितनी कीमत की जड़ी–बूटियां पकड़ी गयी तथा सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी हाँ।

पकड़े गये लोगों के पास से लगभग आधा किलो कच्चा कीड़ा जड़ी पकड़ी गई। पकड़े गये लोगों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर चमोली के न्यायालय में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–26 के अन्तर्गत वाद दायर कर उन्हें जेल भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के पुराने निरीक्षण भवनों की मरम्मत एवं विस्तारीकरण

29. श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के पुराने निरीक्षण भवनों का विस्तारीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक विस्तारीकरण व मरम्मत कार्य कराया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मरम्मत कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है।

मरम्मत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा व चिन्यालीसौड के मध्य सिलक्यारा–बणगांव–वनचौरा मोटर मार्ग का डामरीकरण

30. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा व चिन्यालीसौड के मध्य सिलक्याण–बणगांव–वनचौरा मोटर मार्ग का डामरीकरण कब तक करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के हैरिटेज भवन में आई0टी0अकादमी का क्षेत्राधिकार व कार्यों का स्वरूप

31. श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 12 जून, 2004 को आई0टी0 अकादमी का शिलान्यास कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के हैरिटेज भवन में किया गया है?

यदि हां, तो अकादमी में सम्पन्न होने वाले कार्यों का स्वरूप क्या होगा?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अकादमी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, (नैनीताल) की भूमिका क्या होगी तथा भवन एवं अन्य सम्पत्ति किसके क्षेत्राधिकार में रहेगी?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हां।

हैरिटेज भवन, नैनीताल की पुरातात्विकता को संरक्षित रखते हुए भारत सरकार की विशेषज्ञ संस्था INTACH द्वारा जीर्णोद्धार के उपरान्त, हैरिटेज परिसर को सूचना प्रौद्योगिकी अकादमी परिसर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

यहां सूचना प्रौद्योगिकी में विश्वविख्यात इकाइयों द्वारा यथा आई0बी0एम, माइक्रोसाफ्ट, ओरेकेल इत्यादि द्वारा शैक्षणिक कार्य चलाया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त शिक्षण/प्रशिक्षण रोजगारपरक होगा।

उपरोक्त कार्य में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की प्रमुख भूमिका है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्य किया जाएगा।

जनपद पिथौरागढ़ के थल, गोल, आमथल, मोटर मार्ग का निर्माण तथा ठेकेदारों के बिलों का भुगतान

32. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के थल, गोल, आमथल, मोटर मार्ग का कार्य वर्ष 2002 से बन्द है तथा सम्बन्धित ठेकेदारों का भुगतान भी नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण करायेगी तथा ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित करेंगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

33. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

(द्वितीय सोम0 के अता0 34 में स्थानान्तरित।)

34. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

(द्वितीय सोमवार के अता0 35 में स्थानान्तरित।)

जनपद टिहरी के अन्तर्गत कैम्प्टीफॉल पर्यटन स्थल में बाईपास का निर्माण

35. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कैम्प्टीफॉल पर्यटन स्थल को यातायात की समस्या से मुक्त करने हेतु कैम्प्टीफॉल में बाईपास बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हां।

कैम्प्टीफॉल बाईपास मार्ग 6.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में संविदा/दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण

36. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कुल कितने कर्मचारी संविदा/दैनिक मजदूरी पर कार्यरत हैं तथा उनका विवरण क्या है?

क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित सेवा में लेने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

राज्य सम्पत्ति विभाग में संविदा पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। वर्तमान में दैनिक मजदूरी के आधार पर कुल 03 शिक्षित श्रमिक समूह "ग" के पदों के सापेक्ष तथा 25 अशिक्षित श्रमिक समूह "घ" के पदों के सापेक्ष कार्यरत हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	श्रमिकों की संख्या
वर्ष 1986	02
वर्ष 1987	01
वर्ष 1988	03
वर्ष 1989	08
वर्ष 1990	02
वर्ष 1991	03
वर्ष 1995	03
वर्ष 1996	01
वर्ष 1997	05
कुल संख्या–	28

राज्य सम्पत्ति विभाग में दो दैनिक वेतन भोगी शिक्षित श्रमिकों को समूह ''ग'' के वेतनमान 3050–4590 के पदों में विनियमित किया जा चुका है, शेष दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सेवाओं को भी रिक्त पदों की उपलब्धता पर विनियमित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के विजार गांव को नन्दप्रयाग घाट मार्ग से जोड़ने हेतु झूला पुल का निर्माण

37. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के विजार गाँव को नन्दप्रयाग घाट मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार झूला पुल के निर्माण पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के घराली मोटर मार्ग का डामरीकरण

38. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के घाट घराली मोटर मार्ग का कुल कितने किमी0 तक डामरीकरण किया गया है?

क्या सरकार यह भी बतलाने का कष्ट करेगी कि उक्त मार्ग के पूर्ण डामरीकरण का आगणन शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक कराया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

1.00 किमी0 तक।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के सूतोल कनोल के अधूरे मोटर मार्ग का निर्माण

39. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के घाट सूतोल कनोल मोटर मार्ग कुल कितने किमी0 मार्ग बनकर तैयार हो गया है?

क्या सरकार शेष मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

32.00 किमी. हल्का वाहन मार्ग जनवरी 1985 में स्वीकृत हुआ, जिसमें 18.00 किमी0 मार्ग पूर्ण है।

हल्का वाहन मार्ग निर्माण नहीं किये जाने का निर्णय पूर्व में लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वन रक्षकों की श्रेणी निर्धारण, प्रोन्नति एवम् वेतन संशोधन की समस्या

40. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि वन रक्षकों के श्रेणी निर्धारण, प्रोन्नति एवम् वेतन संशोधन किये जाने पर सरकार विचार कर रही है? क्या यह सत्य है कि उक्त प्रकरण विगत कई वर्षों से लम्बित है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त समस्या का निराकरण कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी हाँ, इस सम्बन्ध में वन रक्षक संघ के साथ समझौता हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा वर्ष 2001 से नाप भूमि के लीसा सेवकों का भुगतान

41. श्री कैलाश शर्मा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001 से नाप भूमि के लीसा सेवकों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार उक्त लीसा सेवकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जो धनराशि अवशेष है उसका भुगतान लीसा सेवकों के बिल प्राप्त न होने तथा ढुलान, बिक्री आदि की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण नहीं किया जा सका है।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के सभी जनपदों में वर्ष 2004–05 में स्वीकृत नये मोटर मार्गों का निर्माण

42. श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल के सभी जनपदों में स्वीकृत नये मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

समरेखण स्वीकृति, भूमि अध्याप्ति एवं वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भैसियाछाना के तल्ला सेराघाट मोटर मार्ग की माँग

43. श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भैसियाछाना के अन्तर्गत भैसियाछाना से तल्ला सेराघाट मोटर मार्ग की स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड लमगड़ा में दौरा मोतियापाथर के निर्माणाधीन मोटर मार्ग के बन्द होने के कारण

44. श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा में लमगड़ा वि0ख0 में दौरा मोतियापाथर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किन कारणों से बन्द किया गया है?

क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र प्रारम्भ करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

31 मार्च 2000 तक स्वीकृत ऐसे समस्त निर्माणाधीन अपूर्ण कार्यों के आगणन वित्तीय अनियमितता रोकने हेतु, अन्तिमीकरण करने का निर्णय शासन द्वारा 28–10–02 में लिया गया। प्रश्नगत मार्ग 40 किमी0 हेतु वर्ष 1989 में स्वीकृत हुआ परन्तु मार्च/2003 तक केवल 5.50 किमी0 ही निर्मित हुआ। समरेखन में वनभूमि तथा स्थानीय विवाद मुख्य कारण रहे।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के ग्राम बलना एवं द्वाराहाट के ग्राम कोटयूडा के मध्य क्षतिग्रस्त झूला पुल का निर्माण

45. श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के ग्राम बलना एवं द्वाराहाट के ग्राम कोटयूडा के मध्य झूला पुल लम्बे समय से ध्वस्त है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त झूला पुल का निर्माण अविलम्ब कराये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

मोटर सेतु की स्वीकृति दी जा चुकी है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा वन क्षेत्रों की भूमि को निजी उद्यमियों को सौंपने पर विचार

46. श्री प्रकाश पन्त–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वन क्षेत्रों की भूमि को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निजी उद्यमियों को निर्धारित शर्तों के अधीन सौंपे जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कार्य योजना का स्वरूप क्या है?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की अनुमति से वन भूमि प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के विकास की योजना परिचालित है।

नोडल ऑफिसर तथा वन विकास निगम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जनपद टिहरी में सिरखोली भैतलाखाल मोटर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की जाँच

47. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी में सिरखोली भैतलाखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 10.50 किमी० लम्बाई और एक 42 मीटर स्पान पुल सहित शासनादेश संख्या 1645/28–5–51 में लोनी/92 टी०सी० दिनांक 31–3–93 में 91.30 लाख की स्वीकृति प्राप्त है?

क्या उक्त मार्ग के निर्माण पर मार्च 2003 तक 157.34 लाख धन व्यय हो चुका है?

क्या यह सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण में से एक 42 मी० लम्बाई का लोह सेतु एवं 4.50 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण अधूरा और तकनीकी मानदण्डों के विरुद्ध है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच तथा शेष मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में अविलम्ब करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

पुल का निर्माण कार्य पूर्ण है, प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। जाँचोपरान्त अवशेष निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के प्रतापनगर अन्तर्गत बगद्वारा कुराणी गाँव, रिडोल हल्का वाहन मार्गों पर यातायात सुविधा

48. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत धारकोट बगद्वारा कुराणी गाँव, रिडोल धारकोट, नेल्डा तथा कफलोग हल्का वाहन मार्गों हेतु कुल कितनी धनराशि कब स्वीकृत की गई थी?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगी कि उक्त सभी मार्गों पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया तथा मार्गों पर यातायात कब से प्रारम्भ हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

वर्ष 1997 से 2000 के मध्य अम्बेडकर ग्राम कफलोग हल्का वाहन मार्ग 10 किमी0 नेल्डा लिंक हल्का वाहन मार्ग दो चरणों में कुल लम्बाई 3.335 किमी0, रिडोल धारकोट हल्का वाहन मार्ग दो चरणों में 2.835 किमी0 एवं कुराणी गाँव बगद्वारा हल्का वाहन मार्ग 1.50 किमी0 के लिए कुल रु0 150.80 लाख की स्वीकृति दी गई।

उपरोक्त मार्गों में समस्त स्वीकृत धनराशि से 9.08 किमी0 मार्ग यातायात हेतु सुलभ हो पाया। रिडोल धारकोट एवं कुराणी गाँव बगद्वारा में कार्य प्रगति पर है।

हल्का वाहन मार्ग निर्माण नहीं किये जाने का निर्णय पूर्व में लिया गया है। अतः अवशेष कफलोग हल्का वाहन मार्ग निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

49. श्री फूल सिंह बिष्ट–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने के मानक

50. श्री तसलीम अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने हेतु प्रक्रिया अपनाई जाती है?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने हेतु क्या मानक निर्धारित किया गया है?

श्री नवप्रभात–

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 यथा संशोधित की धारा 3 में ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया उल्लिखित है।

संविधान के अनुच्छेद 243थ(2) में दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं।

राजाजी राष्ट्रीय पार्क में जनवरी 2004 से अब तक माफियों द्वारा पातन की गई लकड़ी का ब्यौरा एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

51. श्री तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजाजी नेशनल पार्क से जनवरी 2004 से अब तक कितने वृक्षों की चोरी हुई एवं कितनी लकड़ी वन माफियों के पास से बरामद हुई?

क्या यह सत्य है कि इन चोरियों में वन विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हुई है?

यदि हाँ, तो कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

राजाजी राष्ट्रीय पार्क में जनवरी 2004 से अब तक अवैध पातन के 149 प्रकरणों में कुल 497 वृक्षों (आंकलित प्रकाष्ट आयतन 126.242 घ0 मीटर) का अवैध पातन होने की सूचना है, उक्त अवैध पातित वृक्षों के 62.946 घ0 मीटर प्रकाष्ट की बरामदगी की गयी है।

जाँच चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जाँच पूर्ण होने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

जनपद टिहरी के मुनी की रेती में मांजफ–मन्दार मोटर मार्ग का निर्माण

52. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि मुख्य मंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2004 को हर्बल पार्क मुनीकीरेती के उद्घाटन अवसर पर मुनीकीरेती में मांजफ–मन्दार मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु 15 किमी0 निर्माण कराये जाने की घोषणा की गयी थी?

यदि हाँ तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी स्थित प्रतापनगर में लोक निर्माण विभाग का खण्डीय कार्यालय खोलने की माँग

53. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनीकीरेती में हर्बल पार्क के उद्घाटन अवसर पर मुनीकीरेती में प्रतापनगर के लिए टिहरी बाँध के कारण बदली भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग का अलग खण्डीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी?

यदि हाँ, तो खण्डीय कार्यालय प्रतापनगर में कब तक खोल दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के मोटना मदननेगी मोटर मार्ग का डामरीकरण

54. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनीकीरेती में हर्बल पार्क के उद्‌घाटन के अवसर पर मोटना मदननेगी मोटर मार्ग जनपद टिहरी हेतु 21 किमी0 में डामरीकरण कराये जाने की घोषणा की गई थी?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के ओनालगाँव–कोटालगाँव मोटर मार्ग का निर्माण

55. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि मुख्यमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनीकीरेती में हर्बल पार्क के उद्‌घाटन के अवसर पर ओनालगाँव–कोटालगाँव मोटर मार्ग जनपद टिहरी हेतु 5 किमी0 निर्माण कराये जाने की घोषणा की गई थी?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0डब्ल्यू0डी0 में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों का नियमितीकरण

56. श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में 'वर्कचार्ज' में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा क्या सरकार इन्हें नियमित करने की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो कब तक इन कर्मचारियों को नियमित कर दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

3025 कर्मचारी वर्कचार्ज में कार्यरत हैं। नियमितीकरण की नीति निर्धारित है।

शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2003 संलग्न है। (नत्थी 'क' पृष्ठ 158 पर)

रिक्त पदों पर नियमितीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है।

जनपद पिथौरागढ़ में मार्च 2003 से पूर्व विभिन्न मोटर मार्गों की स्वीकृति तथा निर्माणाधीन मार्गों की सूची

57. श्री प्रकाश पन्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में मार्च, 2003 से पूर्व कितने मोटर मार्ग स्वीकृत तथा निर्माणाधीन हैं?

क्या सभी स्वीकृत तथा निर्माणाधीन मोटर मार्ग, मार्च, 2005 तक पूर्ण हो जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

स्वीकृत–52

निर्माणाधीन–39

लम्बित मार्ग समरेखण स्वीकृति, भूमि अध्याप्ति एवं वन भूमि की स्वीकृति के उपरान्त पूर्ण किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के खण्डा सुगाड़ी–बुघाणी मोटर मार्ग के पक्कीकरण हेतु निविदाओं की जाँच

58. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि विभागीय सड़क निर्माण के कार्यों में निविदाओं की स्वीकृति हेतु ठेकेदारों से उच्च दरों पर निविदाएं प्राप्त होने की दशा में कम से कम 3 बार निविदाएं पुनः आमंत्रित करने का प्रावधान है?

यदि हाँ, तो उक्त प्रक्रिया का पालन जनपद पौड़ी के निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल की खण्डा–सुगाड़ी–बुघाणी मोटर मार्ग के पक्कीकरण की निविदाओं की स्वीकृति हेतु किया गया?

क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य 17 से 18 प्रतिशत अधिक दरों पर कार्य सम्पन्न किया जा रहा है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगी कि निविदा शर्तों का पालन न करने हेतु दोषी अधिकारी से सरकार को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की जावेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य वर्ष 1999 की शैडयूल दरों के आधार पर आगणित लागत पर 15 से 18 प्रतिशत अधिक किन्तु वर्तमान दरों के आधार पर आगणित लागत से 2.96 प्रतिशत से 21.14 प्रतिशत से कम दरों पर किया जा रहा है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी स्थित प्रतापनगर के पट्टी भदूरा के विभिन्न गांवों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा की गई क्षति का कृषकों को मुआवजा

59. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल की पट्टी भदूरा के ग्राम खिट्टा, आबकी, खलडगांव, पोखरी, तिनवालगांव, पट्टी ओण के मांजफ, घुल्डानी, पट्टी रैका के ग्राम बनाली, पट्टी धारमण्डल के ग्राम म्यूण्डा, पट्टी दुगमन्दार के ग्राम मन्दार, करताल के कृषकों की फसलों को प्रतिवर्ष जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुँचाई जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषकों को मुआवजा मुहैया करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी हाँ।

जी हाँ, लागू शासनादेशों में निहित प्रक्रिया के अनुरूप मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है।

आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के सेरागाड़ में पिण्डर नदी पर झूला पुल निर्माण का प्रस्ताव

60. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र सेरागाड़ के गाड़ गंगा से पिण्डर नदी पर झूला पुल बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उक्त के संदर्भ में कोई कार्यवाही की गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण

61. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग पर कितने किमी0 तक डामरीकरण एवम् चौड़ीकरण स्वीकृत है?

क्या उक्त कार्य पूर्ण कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

24.00 किमी0।

जी नहीं।

कार्य प्रगति में है।

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग का कालूसैंड तक विस्तार

62. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग का विस्तार कालूसैंड तक करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी स्थित प्रतापनगर के ग्राम खिट्टा इत्यादि में जंगली जानवरों से बचाव हेतु तारबाड़

63. श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद टिहरी गढवाल के प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम खिट्टा, मंजखेत, आबकी में जंगली जानवरों से फसल को सुरक्षित रखने हेतु तारबाड़ लगाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं।

योजना के अन्तर्गत साधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बन्दरों द्वारा फसलों के नुकसान को रोकने के उपाय

64. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बन्दरों द्वारा फसलों को किये जा रहे नुकसान को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) वन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–2724/23–2–11, दिनांक 12 मई, 1995 तथा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल, देहरादून के पत्रांक–73/5–3, दिनांक 13 जुलाई, 2001 जो कि शासनादेश संख्या–736/14–4–94–854/92, दिनांक 09 मार्च, 1994 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं, में इस सम्बन्ध में व्यवस्था प्राविधानित की जा चुकी है।

जनपद नैनीताल के भीमताल में भारत रत्न पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जी की मूर्ति एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण

65. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के भीमताल में स्थित पंत पार्क (पूर्व में शहीद पार्क) में स्थित भारत रत्न पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी की मूर्ति अत्यन्त जर्जर अवस्था में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मूर्ति तथा पार्क के सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं।

जनपद नैनीताल की झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत झील विकास प्राधिकरण द्वारा पंत पार्क के सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रावण मास में कांवडियों हेतु हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के अलावा अन्य वैकल्पिक मार्ग की मांग

66. श्री मदन कौशिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि श्रावण मास में कांवडियों हेतु सरकार हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के अलावा अन्य वैकल्पिक मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

ऊधमसिंह नगर स्थित काशीपुर में बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के वर्गों को आवासों की सुविधा

67. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002–03 व 2003–04 में जनपद ऊधमसिंह नगर की विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गये हैं?

यदि हाँ, कितने व किस–किस को?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ऊधमसिंह नगर की काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिका परिषद्, काशीपुर में 205 नये मकानों एवं नगर पंचायत, महुआखेड़ागंज में 27 मकान निर्माण का प्रोजेक्ट हडको/भारत सरकार से स्वीकृत कराया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।

हरिद्वार अर्द्धकुम्भ मेले पर व्यय धन का ब्यौरा

68. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003 में हरिद्वार अर्द्धकुम्भ मेले पर सरकार द्वारा किस मद में कुल कितना धन खर्च किया गया है?

केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि अर्द्धकुम्भ मेले हेतु दी गयी है?

श्री नवप्रभात–

01 जनवरी, 2003 से 31 दिसम्बर, 2003 तक हरिद्वार अर्द्धकुम्भ मेले हेतु अवस्थापना सुविधा मद में कुल रुपये 9758.72 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

केन्द्र सरकार द्वारा अर्द्धकुम्भ मेले हेतु रु0 136.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यसूची में अंकित प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आज कुल 6 प्रश्न आये जिसमें से दो प्रश्न द्वितीय सोमवार के लिए स्थानान्तरित कर दिये गये। पहला द्वितीय सोमवार के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तारांकित 10 में स्थानान्तरित कर दिया गया और दूसरा द्वितीय सोमवार के तारांकित 12 में स्थानान्तरित कर दिया गया, एक प्रश्न स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया। इस प्रकार तीन प्रश्न इस प्रश्नकाल में आये। मान्यवर, समय हमारे पास अभी 25 मिनट का है इन 25 मिनट में हम 6 प्रश्न ले सकते हैं। मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली के नियम 33 में यह स्पष्ट निर्देश है। नियम 33 के भाग-2 में कहा गया है कि मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की प्रश्न सूची में तारांक लगाकर विभेद किये गये, 20 से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे तथा एक सदस्य का एक से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं रखा जायेगा। सदस्यों के किसी एक दिन के लिये निर्धारित एक से अधिक तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिये जायेंगे। मान्यवर, इस तरह से 20 प्रश्नों को लिया जा सकता है। मान्यवर, यह व्यवस्था आपकी पीठ से आये, जो एक घंटा 20 मिनट का समय रखा गया है वह 20 प्रश्नों के आधार पर ही रखा गया है। सरकार प्रश्नों के उत्तर से बचने के लिए ऐसा कर रही है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जो आप कार्य संचालन नियमावली का प्रयोग कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश की है, वहाँ पर 425 सदस्य संख्या के संदर्भ में यह है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा कहना है कि हमारे पास जितने प्रश्न आये वह लिये, जब प्रश्न नहीं आयेंगे, तो कहाँ से लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 25 मिनट का उपयोग हम इन प्रश्नों का उत्तर देकर कर सकते हैं। मान्यवर, प्रश्नों को निर्धारित करना सरकार का कार्य है।

श्री अध्यक्ष–

निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जो प्रश्न आयेंगे, हम ले लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आगे से आपकी तरफ से निर्देश हो जायं कि अधिकतम 20 प्रश्न लिये जायं।

श्री अध्यक्ष–

समय सीमा के अन्तर्गत जो प्रश्न आये उनको लिया गया। जो निर्धारित समय सीमा है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आने चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक दिन में 5 प्रश्न दिये जा सकते हैं। अब इसे सदस्य तो निर्धारित करते नहीं हैं।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं तारांकित प्रश्न संख्या–2 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज यह जो प्रश्न लगा हुआ है इसे द्वितीय सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–10 में स्थानान्तरित कर दिया गया है। मान्यवर, सरकार इस प्रश्न का जवाब देने से क्यों बच रही है? द्वितीय सोमवार को भी यह प्रश्न 10वें नम्बर पर लगा हुआ है, अतः उस दिन भी इस पर चर्चा नहीं हो पायेगी। मैं मान्यवर, तीन सत्रों से लगातार यह प्रश्न लगा रहा हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कोई व्यवस्था तो बननी ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें से मैं 7 सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ। श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री हरबंस कपूर, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह पंवार और श्री अजय भट्ट जी की सूचनाओं को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

जनपद नैनीताल के ओखलकाण्डा में बादल फटने से प्रभावित गांवों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र धारी जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दिनांक 25 अगस्त, 2004 को अचानक बादल फटने से ओखलकाण्डा के कई ग्राम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे सड़क, बिजली, पानी/नहर, पनचक्की, पशुओं एवं कृषि क्षेत्र का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक पर्याप्त सहायता नहीं मिली है। इसी दिन चोरगलिया में नन्दौर नदी का पानी चोरगलिया लाखन मण्डली में आने से ग्राम कोटलिया में भारी नुकसान के तहत आवासीय मकान बह गये एवं कृषि क्षेत्र रौखड़ हो गया, अचानक भारी वर्षा के कारण सूखी नदी से गौलापार में भी कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। साथ ही गौला

नदी का जल स्तर बढ़ने से शीशम मुजिया व श्रीलंका टापू में भी कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मान्यवर, यह मामला लोक महत्व एवं जनहित का है, इस समस्या के समाधान के लिए मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग पर हुई बस दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों की आजीविका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, दिनांक 21–12–2004 को जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग पर हुई बस दुर्घटना में 26 सवारियों की तत्काल घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और 16 यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गये, जिनका उपचार विभिन्न चिकित्सालयों में चल रहा है। कितने ही परिवारों के मुखियाओं की मृत्यु होने से उनके आश्रितों के सामने आजीविका का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। मृतकों व घायलों को अभी तक कोई राहत राशि न मिलने से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। मृतक के परिवारों व घायलों को अविलम्ब मुआवजा एवं सहायता राशि दिये जाने की कार्यवाही की जाय। यह घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की है। इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अतएव सरकार को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये जायें।

बकरालवाला देहरादून से लेकर भण्डारी बाग तक बहने वाले गन्दे नाले की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, बकरालवाला देहरादून से लेकर भण्डारीबाग तक बहने वाला नाला शहर के घनी आबादी क्षेत्र जैसे चुक्खुवाला, लूनिया मौहल्ला, हकीकतराय नगर, खुडबुडा, इन्द्रेश नगर, भण्डारी बाग आदि क्षेत्रों से गुजरता है। इसकी स्थिति अत्यन्त ही जीर्ण–शीर्ण है तथा सफाई व्यवस्था का कोई प्रबन्ध नहीं है। नाले में सफाई कर्मचारी एवं क्षेत्रीय नागरिक भी क्षेत्र की गन्दगी को डाल देते हैं। स्थान–स्थान पर क्षेत्रवासियों ने अपने सीवर के मेनहोल इस नाले में खोल दिये हैं। नाला आबादी के बीच से होकर गुजरता है। जीर्ण–शीर्ण स्थिति, गन्दगी सीवर के मेनहोल आदि के कारण नाले के दोनों ओर रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है और अभी भी महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। मान्यवर, अति लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना की ओर मैं नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के सूतोल कनोल मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के सूतोल कनोल मोटर मार्ग जो कि 1985 में 32 किलो मीटर हल्का वाहन मार्ग के रूप में स्वीकृत हुआ था परन्तु उसका निर्माण मात्र 18 किलोमीटर ही हो पाया है। बार–बार सम्बन्धित विभाग को ज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराने पर भी उक्त मार्ग को स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण नहीं किया गया है। जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।

(उक्त सूचना पढ़ी हुई मानी गई।)

धर्मपुर चौक से बाईपास सहारनपुर तक मोटर मार्ग के निर्माण को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान निर्माणाधीन मोटर मार्ग धर्मपुर चौक से बाईपास सहारनपुर रोड से उत्पन्न हो रही समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मान्यवर, उक्त मार्ग 2002–03 की राज्य योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। जिसमें एक सिंचाई नहर को भूमिगत कर तैयार होना है। नहर को भूमिगत किये लगभग एक साल होने जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए समतलीकरण भी लगभग हो गया है। लेकिन न जाने किन कारणों से आगे का कार्य रोक दिया गया है।

सड़क पर नाली आदि सभी टूट गई हैं तथा सड़क पर डामरीकरण न होने से गहरे–गहरे गड्ढे बन गये हैं, जिनमें घरों का गन्दा पानी, बरसात का पानी भरा रहता है तथा चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि लोक निर्माण विभाग को अधूरे पड़े मोटर मार्ग को शीघ्र निर्माण हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरकाशी के विभिन्न गांवों में विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने से विद्युत सप्लाई बाधित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड, चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत ग्राम जोगथ तल्ला, कान्धला, तिलपड़ व रिखाण गांव में विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर काफी लम्बे समय से फुंके हुये हैं। विद्युत उपभोक्ताओं, प्रधानों और स्वयं मेरे द्वारा भी ट्रांसफार्मर बदले जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिखा गया है। किन्तु अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये हैं, जिस कारण विद्युत आपूर्ति ठप्प है।

विद्युत विभाग की निष्क्रियता व अकर्मण्यता से लोगों में घोर असंतोष व्याप्त है। उपरोक्त के अलावा जहाँ पर भी जनपद में विद्युत ट्रांसफार्मर जले हैं उन्हें शीघ्र बदला जाये और विद्युत आपूर्ति शीघ्र बहाल की जाय।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जिला अल्मोड़ा के ग्राम सभा बिष्ट कोटली के "चमरेत" नामक स्थान पर झूला पुल बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

माननीय, मेरी विधान सभा क्षेत्र रानीखेत जिला अल्मोड़ा के कई गाँवों को जोड़ने के लिए ग्राम सभा बिष्ट कोटली के चमरेत नामक स्थान पर एक झूला पुल बनाने की माँग लम्बे समय से क्षेत्रीय जनता द्वारा उठायी जाती रही है, बरसात के मौसम में गगास नदी में कई लोग एवं जानवर अक्सर हर साल ही बह जाते हैं, स्कूली बच्चे तो कई बार 15–15 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर पुल बनाना अति आवश्यक है, कई बार सरकार को झूला पुल बनाने का आग्रह करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए इस अति महत्वपूर्ण जनहित के विषय को सदन के सम्मुख उठाना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर सरकार को तुरन्त झूला पुल बनाने के निर्देश देने का कष्ट करें।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल, तलियावन के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल, तलियावन के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री सुन्दर सिंह कठैत एवं अन्य निवासीगण जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जाखणीधार के जूनियर हाई स्कूल, स्यूरी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड, जाखणीधार के जूनियर हाई स्कूल, स्यूरी के उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री भगवान सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल, ढाबसौड़ के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड, भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल, ढाबसौड़ के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री जय प्रकाश कुकरेती एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के पटागली–इन्द्रौला–बणचुरी मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग, घनसाली के पटागली–इन्द्रौला–बणचुरी मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री हिम्मत सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के जखन्याली–ढाबसौड़–सेमल्थ मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग, घनसाली के अधीन जखन्याली–ढाबसौड़–सेमल्थ मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रेम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कोट–तोली–जाखणा पंगेठी मोटर मार्ग की स्वीकृति किए जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग, घनसाली के कोट–तोली–जाखणा पंगेठी मोटर मार्ग की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में" श्री हुकुम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल, बणचुरी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाई स्कूल बणचुरी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री हिकमत सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कोटी–जाख डखवाण गाँव, गनवाडी–चांजी हल्का वाहन मार्ग का निर्माण व डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग घनसाली के कोटी–जाख डखवाण गाँव, गनवाडी–चांजी हल्का वाहन मार्ग निर्माण तथा डामरीकरण व सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री पुरूषोत्तम पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड, भिलंगना के अधीन जूनियर हाई स्कूल, कांगड़ा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड, भिलंगना के अधीन जूनियर हाई स्कूल, कांगड़ा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री गोविन्द सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग, घनसाली के ठेला–थार्ति–बड़ियार–चिरबटिया मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग, घनसाली के ठेला–थार्ति–बड़ियार–चिरबटिया मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सूरत सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री सैयद जमाल हसन अधीक्षक पुरातत्वविद् देहरादून के विरुद्ध श्री मातबर सिंह कण्डारी (नेता प्रतिपक्ष) द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने विशेषाधिकार हनन के मामले पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह घटना 21–12–2004 को शाम 5 बजकर 25 मिनट पर घटित हुई। मैं प्राचीन और ऐतिहासिक मन्दिर लाखामण्डल गया और पाया कि इस मन्दिर में जो जीर्णोद्धार हो रहा है, वह घटिया किस्म का हो रहा है। श्री सैयद जमाल हसन, जो अधीक्षक, पुरातत्वविद्, देहरादून में कार्यरत हैं, मैंने उनसे टेलीफोन पर बात करनी चाही, मैंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष मातबर सिंह कण्डारी बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा "मुझे अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। मैं किसी नेता को नहीं जानता हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अपना पुतला नेता की तरह नहीं जलवाना है, मैं अधिकारी हूँ। मुझे सरकार ने नौकरी दी है, तुम कहाँ से बोल रहे हो, मैं वहीं आकर तुम्हें देख लेता हूँ।" मान्यवर, ये शब्द उन्होंने मुझे कहे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बहुत खेद की बात है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने कहा कि मैं विधान सभा भवन के अपने कक्ष से बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनने को वह तैयार नहीं हुए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह हाल तो हमारा है। मान्यवर, मेरा निवेदन है, मुझे अधिकार है, किसी भी अधिकारी से बात करने का, अगर कहीं पर कोई गलत बात दिखती है। मैंने लाखामण्डल मन्दिर, जो कि प्राचीन मन्दिर है, मैंने मौके पर जाकर देखा कि उसमें घटिया किस्म का काम हो रहा है। जो पुरानी लकड़ी थी, उसी को काट–छांट कर उसी से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा कहना है, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ घटिया निर्माण न कराया जाय और मन्दिर के स्वरूप को न बदला जाय। मान्यवर, जनता भी यह चाहती है कि उस पौराणिक मन्दिर के स्वरूप को न बदला जाय।

माननीय मंत्री जी भी इससे अवगत होंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सैयद जमाल हसन ने हनोल मन्दिर में भी झगड़ा किया और वहाँ से पुजारी के साथ दुर्व्यवहार किया। मान्यवर, उन्होंने गोपेश्वर जनपद चमोली में जबरन जूते पहनकर मन्दिर में प्रवेश किया जिसके मेरे पास पुष्ट प्रमाण है जिसे मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मान्यवर, इसी प्रकार के अधिकारी हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधियों के साथ बात करने का तरीका नहीं है, इससे ऐसा लगता है कि अफसर शाही हावी है। मान्यवर, इस मन्दिर के बारे में जब श्री गीता राम गौड़ जी द्वारा समाचार

पत्रों में छापने हेतु लिखा गया कि यहाँ पर बहुत घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा है और उसके स्वरूप को बदला जा रहा है तो अफसरान महोदय ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मान्यवर, यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी से सरकार के पैसे के दुरुपयोग की बात करता है तो उसे धमकी दी जाती है। इसी प्रकार बहन श्रीमती सुशीला बलोनी जी ने अफसर महोदय से इस सम्बन्ध में बात की तो उन्होंने उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया।

माननीय अध्यक्ष जी, यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं माना तथा मुझसे यह भी कहा मैं आपको देख लूँगा, आप कहाँ पर हैं, वहीं मैं आ रहा हूँ। मान्यवर, अफसर पर सरकार का अंकुश होना चाहिए। कल ही हमारे साथी श्री तसलीम अहमद जी द्वारा भी एस0डी0एम0 रुड़की का मामला उठाया गया था। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस मामले को भी विशेषाधिकार हनन का मामला मानते हुए आप इसे भारत सरकार के लोक सभा अध्यक्ष महोदय को भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 जनवरी, 2005 की बैठक में दिनांक 18 जनवरी, 2005 से दिनांक 20 जनवरी, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

जनवरी, 2005

18 मंगलवार

सुनामी पीड़ितों हेतु संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर मतदान:–

"मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों (यथा अद्यतन संशोधित) के अनुसरण में विधायक निधि वर्ष 2004–2005 में प्रत्येक माननीय सदस्य को अनुमन्य विधायक निधि से देश के दक्षिणी भाग में आयी सुनामी लहरों के कारण उत्पन्न आपदा के राहत हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ रु0 10 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी जाय।"

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा)

19 बुधवार

उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (आधा घन्टा)

20 गुरूवार

श्री महेन्द्र भट्ट द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गौ–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाए।"

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री काशी सिंह ऐरी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री मदन कौशिक तथा श्री नारायण पाल की सूचना को नियम 56 की ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखकर यह अनुरोध किया है कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट में जिस प्रकार की अनियमितताए, भ्रष्टाचार और अराजकता व्याप्त है उसके चलते मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कालेज अपना स्वरूप और उद्देश्यों को खोता जा रहा है। मान्यवर, जिस उद्देश्य के लिए हमारे स्व0 त्रिपाठी जी ने इस कालेज की स्थापना की थी और हमारे नेता सदन माननीय तिवारी जी का विशेष योगदान इस कालेज की स्थापना में है। मान्यवर, बड़ी उम्मीदें थी इस कालेज से कि यह कालेज न केवल प्रदेश बल्कि देशभर के विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होते और ये भी उम्मीद थी कि जिस प्रकार का वातावरण वहाँ था और वहाँ पर जगह पर्याप्त है, इस दृष्टि से वह एक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज बनने की योग्यता रखता था, लेकिन वहाँ आज जो कुछ भी घट रहा है, इससे तो रीजनल इंजीनियरिंग कालेज बनने की बात तो दूर की है, आज यह अपना अस्तित्व बचा पायेगा या नहीं इसमें भी संदेह है। मान्यवर, वहाँ पर कार्यरत् कुलसचिव हैं उनके खिलाफ जांच को लेकर, इंजीनियरिंग कालेज को ठीक किये जाने को लेकर कई पत्र स्व0 त्रिपाठी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिनांक 27–01–2002 एवं 23–09–2002 को तथा माननीय मंत्री जी तकनीकी शिक्षा को भी दिनाँक 12–11–03 को पत्र लिखे तथा समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। मान्यवर, कुल सचिव के भ्रष्ट आचरणों की जांच को लेकर विधान सभा में भी एक तारांकित प्रश्न के रूप में उसका जवाब आया, पर शासन की कार्य प्रणाली को देखिये कि जिस व्यक्ति के लिए जाँच का प्रश्न पूछा गया शासन ने उसी को जाँच अधिकारी बना दिया, उस अधिकारी को अपने खिलाफ जाँच करनी थी ऐसा अनोखा प्रयोग शासन ने किया, तो वह क्या जाँच करता तब फिर मजबूर होकर स्वर्गीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने 31–12–2003 को यह मामला कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में माननीय सदन के सम्मुख रखा और जाँच की मांग की, इस मामले को पुनः 17–02–2004 को सदन में उठाया गया। माननीय त्रिपाठी जी द्वारा और जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर जाँच होगी और माननीय त्रिपाठी जी से कहा गया कि आप जाँच के बिन्दु दे दें और हम इसकी जाँच करायेंगे और जाँच की कार्यवाही सदन के पटल पर रखेंगे, यह आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया था। मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी ने वे जाँच के बिन्दु न केवल माननीय मंत्री जी को दिये बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी दिये, पर उस जाँच का आज तक कोई अता–पता नहीं है। वह जाँच हुई या नहीं, कौन दोषी पाया गया, इसका कोई अता–पता नहीं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वहाँ पर स्थाई प्रधानाचार्य की नियुक्ति की, यह अच्छी बात है लेकिन मेरा कहना है कि प्राचार्य को स्थाई कर देने से कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज की हालत सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि सारा काम कुलसचिव करता है और उसके खिलाफ जाँच नहीं होगी तो उस कालेज को नहीं सुधार सकेंगे, इसलिए आवश्यक था कि, हटाकर, उसके खिलाफ कार्यवाही हो पर आज तक नहीं हुई, मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मान्यवर, एक सहायक प्रोफेसर डा0 आर0के0 सिंह और वे सहायक प्रोफेसर की अर्हता भी नहीं रखते हैं, इसके लिए मेरे पास तथ्य भी हैं। सन् 1998 में सहायक प्रोफेसर पर साक्षात्कार के लिए कमेटी बनी और उस कमेटी ने टिप्पणी दी कि "नॉट टु बी कन्सीडर्ड" इसका मतलब साक्षात्कार के लिए विचार किये जाने के योग्य नहीं हैं, पर कुलपति ने उसे सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित करा दिया और कुलसचिव सहायक प्रोफेसर की गुटबन्दी से काम करा रहे हैं।

मान्यवर, दो प्रवक्ताओं को कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज से निष्कासित किया गया। मान्यवर, वहाँ पर ये लोग आये दिन छात्रों को उकसाते हैं। हमारे चुनाव हो रहे थे उन्होंने छात्रों को उकसाया और छात्र हॉस्टिल से आकर उन्होंने तोड़-फोड़ की। मान्यवर, सहायक प्रोफेसर श्री आर0के0 सिंह के बारे में जैसी हमारी जानकारी है, कहना चाहता हूँ कि 45 करोड़ रुपया विश्व बैंक के सहयोग से आया है, यह राज्य परियोजना सरलीकरण के तहत 28 करोड़ अवमुक्त भी हुआ है, इसके लिए राज्य इकाई सरलीकरण का गठन किया गया उसमें कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज है, पंत नगर इंजीनियरिंग कालेज और आई0आई0टी0 रुड़की है, तमाम सारे तकनीकी शिक्षण संस्थायें हैं। मान्यवर, उस योजना में प्रो0 आर0 के0 सिंह की नियुक्ति हुई है यह अपर मुख्य सचिव के कार्यालय ज्ञाप से दिनांक 23 नवम्बर 2004 को हुई जो इस प्रकार है-"एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से डा0 आर0के0 सिंह, सहा0 प्रोफेसर, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट एवं श्री एस0पी0 सचान व्याख्याता फार्मेसी राजकीय पॉलीटेक्निक श्रीनगर को राज्य परियोजना सरलीकरण इकाई कार्यालय, देहरादून में एक वर्ष के लिए तैनात किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन उनके मूल संस्थान से ही आहरित किया जायेगा।

मान्यवर, इस पत्र के आधार पर इनको कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज से कार्यमुक्त नहीं किया गया था। श्री आर0के0 सिंह इतनी जल्दबाजी में थे कि वे पत्र पहुँचे बिना ही जिसमें कि उनका कोई पद या दायित्व भी नहीं लिखा था, 27 नवम्बर को श्री आर0के0 सिंह जी ने संयुक्त निदेशक, राज्य परियोजना सरलीकरण इकाई प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल की हैसियत से कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुलपति, हे0न0 बहुगुणा, विश्वविद्यालय, सचिव, आई0टी0 विभाग उत्तरांचल शासन, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, डीन कालेज ऑफ टैक्नोलॉजी पंतनगर, प्रो0 एस0पी0 निगम, मैकेनिक एण्ड इंडस्ट्रियल इंजी0 विभाग आई0आई0टी0 रुड़की प्राचार्य,

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट, प्राचार्य जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कालेज पौड़ी, निदेशक, डी0आई0टी0 देहरादून, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, देहरादून को पत्र लिखा कि विश्व बैंक पोषित तथा भारत सरकार द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की पाँच चयनित संस्थाओं में परियोजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु दिनांक 29 नवम्बर, 2004 को 12.00 बजे अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में एक बैठक की जा रही है। जब उनका यह पत्र मिला तो प्राचार्य, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज ने जानना चाहा तो मान्यवर, तीन दिसम्बर को यह स्पष्टीकरण लिखा गया। कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक के0ई0सी0/1281/84 दिनांक 01-12-2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा डा0 आर0के0 सिंह द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति से एवं उनके द्वारा दिनांक 27-11-2004 से 29-11-2004 तक कार्यालय द्वारा निर्गत कतिपय पत्रों में संयुक्त निदेशक के रूप में हस्ताक्षर किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 29-11-2004 को परियोजना से सम्बन्धित अपने मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक एवं समस्त चयनित संस्थाओं एवं राज्य सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न किये जाने प्रस्तावित थे। अतः कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए डा0 सिंह को दूरभाष पर निर्देश दिये गये थे कि वे इस कार्यालय में तत्काल उपस्थित होकर बैठकों से सम्बन्धित आवश्यक तैयारी कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।

आपको यह भी अवगत कराना है कि डा0 सिंह द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अतः अनुरोध है कि इस कार्यालय में कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए कृपया डा0 सिंह को शीघ्र कार्यमुक्त करने का कष्ट करें। मान्यवर, यह 3 दिसम्बर को लिखा गया लेकिन कई दिन पहले ही पत्र लिख चुके थे कि आप इस बैठक में आयें। यह पत्र उन्होंने किसकी हैसियत से लिखा यह मान्यवर, जाँच का विषय है। इसका स्पष्टीकरण आया है कि उनको दूरभाष पर निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, यदि सारा काम दूरभाष पर ही होने लगेगा तो फिर इतनी सारी फाइलें बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह इस पत्र से साबित हो जाता है। इसके बाद जब यह सारा प्रकरण आ गया तब उन्होंने कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य को पत्र लिखा। यह पत्र 4 दिसम्बर को लिखा गया कि उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाये। ये कहते हैं कि पढ़ाई की व्यवस्था मैं स्वयं कर लूँगा। मुझे 4 दिसम्बर, 2004 से कार्यमुक्त कर दिया जाये। लेकिन कार्यमुक्त होने से पहले 27 नवम्बर, 2004 को ही निर्देश जारी कर दिये हैं संयुक्त निदेशक, राज्य परियोजना सरलीकरण इकाई के सहयोग से, मान्यवर, 22 करोड़ रुपये की स्वीकृति हो चुकी है। सभी विश्वविद्यालयों और तकनीकी विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए 45 करोड़ रुपये की परियोजना भारत सरकार की है जो विश्व बैंक द्वारा पोषित है। इस तरह वहाँ पर शासन चल रहा है। हम

शिकायत करते हैं मा० मंत्री जी से, मा० मुख्यमंत्री जी से लेकिन वे इतने शक्तिशाली हैं, इतने सक्षम हैं कि कोई भी हमारी बात नहीं सुनता, जाँच कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इस सदन में दो–दो बार यह मामला उठाया जा चुका है। स्व० त्रिपाठी जी आज स्वर्ग में हैं। उन्होंने यह मामला सदन में उठाया था और कहा था कि यदि ये बिन्दु जाँच में गलत पाये जायें तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूँगा। लेकिन मान्यवर, उसके बाद भी हमारी सरकार के कान में जूँ नहीं रेंगी, पता नहीं सरकार इतनी मूक क्यों बनी हुई है, किंकर्तव्यमूढ़ क्यों बनी हुई है? स्व० त्रिपाठी जी की आत्मा की शान्ति के लिए इस प्रकरण की पूरी जाँच कराई जाये और जो कि मैंने कहा कुल सचिव, डा० आर०के० सिंह के बारे में तो उनकी जाँच करायेंगे और एक निश्चित समय सीमा के अन्दर करायें क्योंकि अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और बार–बार इस सदन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो मैं अपने अगले कार्यक्रम की घोषणा करूंगा, क्योंकि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी यह सरकार और माननीय मंत्री जी को इस विषय पर अवश्य जवाब देना होगा। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य जवाब दें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, नियम 56 में मैंने यहाँ प्रश्न उठाया और यह मामला कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है और इस विद्यालय में उत्तरांचल राज्य के ही नहीं बल्कि देश के कोने–कोने से शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र आते हैं और आज उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, अधर में लटका हुआ है। अभी माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने इससे सम्बन्धित सारे बिन्दु रखे हैं। मान्यवर, यह मामला इस सदन में 2–3 बार उठ चुका है और करीब 10 बार इससे सम्बन्धित पत्र माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, महामहिम राज्यपाल, मा० मुख्यमंत्री को दिये जा चुके हैं। जो कि कुल सचिव और पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य, कुमाऊँ इंजीनियरिंग द्वाराहाट के खिलाफ आरोप–पत्र थे और माननीय मंत्री जी द्वारा स्वयं सदन में इसकी जाँच की बात कही गयी है, लेकिन इस मामले में 3 साल हो गये लेकिन यह जाँच रिपोर्ट नहीं आई, इस जाँच को बिड़ला इंस्टीट्यूट नैनीताल के प्रधानाचार्य प्रो० पी०के० पाण्डे को सौंपा गया था और उन्होंने आज से 2 वर्ष पहले ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, लेकिन उसकी जाँच रिपोर्ट आज तक सदन में नहीं आ पाई है। मान्यवर, कुमाऊँनी में एक कहावत है कि "दै पहुरे बढ़ु" अर्थात् जब दही का पहरेदार बिल्ला हो तो समझा जा सकता है क्या होगा।

मान्यवर, मैं माननीय तकनीकी मंत्री जी का पत्र भी पढ़ना चाहता हूँ जिसमें लिखा गया है कि "मेरे निजी स्टाफ में तैनात निम्नलिखित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2002–03 में इनके द्वारा कड़ी मेहनत और लगन एवं निष्ठापूर्वक किये गये राजकीय कार्यों के निर्वहन हेतु यथोचित मानदेय की धनराशि उपलब्ध करायें" यह पत्र प्रधानाचार्य कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट को भेजा गया है और इसके अतिरिक्त एक और पत्र पौढ़ी के प्रधानाचार्य

को दिया गया है कि "मेरे निजी स्टाफ में निम्नलिखित कर्मचारीगण अपने कार्यों का निर्वहन कर्तव्यनिष्ठा एवं लगनशीलता से सम्पादित कर रहे हैं, इन कार्मिकों को उचित मानदेय इसी वित्तीय वर्ष हेतु प्रदान किया जाय।" और यही पत्र द्वाराहाट के प्रधानाचार्य को भी लिखा गया है। इसके साथ ही साथ तमाम अखबारों ने माननीय मंत्री जी के खिलाफ यह आरोप लगाया है कि अगस्त 1998 को कालेज में कुलसचिव नियुक्त किये गये श्री सी0के0 सोनी लगातार विवादों के घेरे में रहे हैं। उन पर आरोप है कि वह राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट की शह पर मनमानी करते हैं। कालेज में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नियुक्त न होने के पीछे भी कुल सचिव का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन इन सबके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त एक और पत्र माननीय मंत्री जी जो अखबारों में भी छपा, उसमें लिखा था कि कु0 अर्चना सिंह कृषाली, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट में मैकेनिक इंजीनियरिंग में द्वितीय वर्ष की छात्रा है, उनका स्थानान्तरण इलेक्ट्रानिक्स अथवा कम्प्यूटर साइंस में किया जाना है। अतः आप कु0 अर्चना सिंह कृषाली को इलेक्ट्रानिक्स अथवा कम्प्यूटर साइंस शाखा में स्थानान्तरित कर दें। मान्यवर, इस तरीके से भारतीय तकनीकी संघ परिषद् के नियमों की अनदेखी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

जो बात आप कहना चाह रहे हैं, उसे कहें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आज 3 साल जाँच के हो गये लेकिन यह जाँच रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी गई, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी को यह रिपोर्ट यहाँ पर रखनी चाहिए। मान्यवर, यह जाँच रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ और न जाने कहाँ–कहाँ चली गई, पर सदन में नहीं आई है। मान्यवर, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय को निर्देशित करना चाहिए कि एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर इस जाँच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाय। मान्यवर, जैसा कि स्वर्गीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने इसी सदन में कहा था कि जाँच गलत साबित होने पर वे विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूँगा, लेकिन माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इन विवादों के चलते यह सरकार संदेह के घेरे में आ गई है।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री काशी सिंह ऐरी जी और नव निर्वाचित सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी ने कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में विस्तार से चर्चा की

और चर्चा करते–करते काशी सिंह ऐरी जी कह गए कि "मंत्री जी भी [XXX] के घेरे में आ गए हैं। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो मैं आमरण अनशन करूँगा।" मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी को दोषी कहना उचित नहीं है। मैं त्याग–पत्र दे दूँगा, अगर मैं [XXX] में लिप्त पाया जाता हूँ तो।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने कहा था कि माननीय मंत्री जी क्यों चुप हैं, क्योंकि किंकर्तव्यविमूढ़ हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, कार्यवाही में लिखा है, आपने भावुकता में कहा। मान्यवर, भावुकता से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चलता। मान्यवर, सोनी सचिव हैं और आर०के० सिंह वहां पर प्रोफेसर हैं और इन्हें थोड़े दिन प्रिंसिपल के छुट्टी पर जाने पर उनका कार्य करने का मौका मिला। मान्यवर, मैं वित्तीय अनियमितता सहन नहीं करता।

मान्यवर, बिरला इंस्टीट्यूट के प्राचार्य द्वारा जांच की गयी और सोनी के विरुद्ध जो आरोप था, वह निरर्थक पाया गया। हाँ, उन पर एक आरोप है कि उन्होंने बिल बनाया लेकिन यात्रा नहीं की। मान्यवर, क्या इस बात के लिए किसी को फांसी के फन्दे पर चढ़ा देंगे। मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूँ कि सभी जगह के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रियों व नेताओं तथा जिलाधिकारी आदि से सम्पर्क करते हैं। अगर कोई अधिकारी मेरे घर पर चाय पीने नहीं आया तो, क्या उसे फांसी के फन्दे पर चढ़ा देंगे? मान्यवर, इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी राजनीतिक दल का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मान्यवर, बहुत मेहनत के बाद हमने प्रधानाचार्य की नियुक्ति की, बहुत सुयोग्य प्रधानाचार्य यहां पर आये। मान्यवर, उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा कार्य किया है। मान्यवर, मैं लगातार देखता रहता हूँ कि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई है। मान्यवर, चाहे सोनी हों या आर०के० सिंह, इनके लिए बहुत से धरना प्रदर्शन भी हुए। जब जांच हो गयी है तो अब उनके पीछे क्यों पड़े हैं। अगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है, तो उसे दें। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम लोगों की बात नहीं मानते, कोई सबूत दें। मान्यवर, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यताओं के आधार पर ही चलेगा। जितना पैसा भी इंजीनियरिंग-कॉलेज को चाहिए, वह हम देंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ, स्वर्गीय त्रिपाठी जी को, उनको इसकी बहुत अधिक चिन्ता थी। जब मैं वहां पर जाता था तो वे मेरे साथ ही घूमते थे और देखते थे कि कहां पर क्या काम होना है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि वे बहुत मेहनत करते थे।

नोटः– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, सोनी के बारे में बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रार का काम रजिस्ट्रार से न लेकर काफी समय तक क्लर्क से उसका काम लिया गया। इसी तरह मान्यवर, आर0के0सिंह के बारे में आपने कह दिया कि यह छपा है, इसमें यह कहा गया है, मैंने यह कहा है। ये सब आरोप लगाने के अपने–अपने तरीके हो सकते हैं। मान्यवर, जिन संसदीय परम्परा का पालन करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को बचाने के पक्ष में हम नहीं हैं अगर किसी ने कोई वित्तीय अनियमितता की होगी या किसी ने बदनियति से कोई कार्य किया होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मान्यवर, कहा गया कि छात्राओं के साथ बदसलूकी की गयी, उनके साथ छेड़खानी की गयी, मैं कहना चाहता हूँ कि यह कहीं पर भी रिकार्ड में नहीं है। मान्यवर, जनहित में यह उचित नहीं है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मैं कोई कार्यवाही करूँ और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर किसी को कार्यवाही करनी भी नहीं चाहिए। हमें व्यक्तिगत विद्वेष की भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में अनियमिततायें हैं, कोई दुराचरण की घटना हो तो आप प्रमाण लाए तो हम अवश्य जाँच करेंगे और ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं किया जायेगा।

मेरा भ्रष्टाचारियों से कोई सरोकार नहीं है। बार–बार किसी व्यक्ति को बिना तथ्यों के टारगेट किया जा रहा है। हम इस कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं इसलिए हमने प्रिंसिपल की भी वहाँ पर नियुक्ति की ताकि इसमें सुधार हो सके और कुछ सुधार हुआ भी है। मान्यवर, धन के दुरुपयोग की बात कही जाती है तो मैं फिर कहूँगा कि इसके आप प्रमाण लायें। यह विश्व बैंक की योजना है और भारत सरकार द्वारा संचालित है, मैं स्वयं भी सजग हूँ कि धन का दुरुपयोग न हो। माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी ने अखबारों का हवाला देकर अनियमितता की बात कही है। मान्यवर, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यह अखबारों में कौन छाप रहा है और क्यों छाप रहा है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, समाचार–पत्र में आपका नाम छपा है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अखबार का मैं संज्ञान नहीं लेता, कभी–कभी समाचार–पत्रों में दुर्भावनावश भी बातें छपती हैं। हम कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए प्रयासरत हैं और इस दिशा में प्रयासरत भी हैं। अनावश्यक रूप से किसी कॉलेज की छवि को इस तरह से खराब नहीं करना चाहिये इससे कॉलेज की ही बदनामी होती है। हम वहाँ पर रेग्यूलर अध्यापकों की नियुक्ति भविष्य में करेंगे।-मान्यवर, इसमें कार्यस्थगन की सूचना का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो उसकी ओर मेरा ध्यान

अवश्य ही माननीय सदस्य आकर्षित करायें। मुझे माननीय सदस्य से मार्गदर्शन भी मिलता है। मैं तो अपनी ओर से यही प्रयास करूँगा कि पौड़ी और द्वाराहाट के दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज आगे बढ़े, समृद्धशाली बनें, बहुत प्रयासों के बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति वहाँ पर हुई है। यदि कोई अनियमितता का प्रमाण आप लायेंगे तो हम उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भावावेश में आकर माननीय मंत्री जी को [XXX] कहा। इस अंश को कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपकी और हमारी भी यही मंशा है कि कॉलेज आगे बढ़े लेकिन मैं कुछ दृष्टांत आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आप इसकी जाँच करेंगे। स्वर्गीय त्रिपाठी जी इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल महोदय से मिले भी थे और उन्होंने जाँच बिन्दुओं की ओर ध्यान भी आकर्षित किया था। मान्यवर, आपको, महामहिम राज्यपाल महोदय को तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को जाँच के बिन्दु दिये थे। इन्हीं में से दो–तीन बिन्दु मैं यहां पर पढ़ रहा हूँ। मान्यवर, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज के कुल सचिव को गम्भीर अनुशासनहीनता के चलते दो बार दो प्रधानाचार्यों के कार्यकाल में प्रशासनिक आधार पर जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी से सम्बद्ध किया गया। मान्यवर, दिनांक 08–02–2000 में उक्त कुलसचिव के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के बावजूद उत्तरांचल शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलसचिव द्वारा वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित जांच हेतु तत्कालीन प्राचार्य ने दिनांक 02–09–2000 को शासन को विस्तृत पत्र लिखा। फलस्वरूप बिड़ला इन्स्टीट्यूट भीमताल के निदेशक जांच अधिकारी नियुक्त हुए, परन्तु आज तक जाँच रिपोर्ट अज्ञात है।

मान्यवर, प्रधानाचार्य द्वारा 08–02–2002 को उत्तरांचल शासन को कॉलेज के कुलसचिव के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं एवं कॉलेज विरोध अनियमितताओं से अवगत करवाया। प्राचार्य द्वारा कुल सचिव पर कॉलेज के विरुद्ध मुकदमा दायर करवाने का गम्भीर आरोप लगाते हुए कुलसचिव के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की मांग की गई। मान्यवर, कुलसचिव द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के क्रम में तत्कालीन प्राचार्य, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज ने दिनांक 22–09–2000 को सचिव, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ को कुलसचिव द्वारा सप्लायर से रिश्वत मांगे जाने की सप्रमाण सूचना प्रेषित की गई।

नोटः– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, कुलसचिव श्री सी0के0 सोनी सहित छः कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत कार्यों हेतु संस्थान से निजी कार्य हेतु अवकाश के लिए आवेदन किया। इसी दिनांक को माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त सभी छः शिक्षकों/अधिकारियों को संस्थान के हित में 11 से 13 दिसम्बर, 2002 तक अपने कार्यालय में बुलाया जाना दिखाया गया है जो गम्भीर अनियमितता ही नहीं, अनुशासनहीनता भी है।

माननीय मंत्री जी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र कुलसचिव की हस्तलिपि में लिखा गया है जो ऐसे तत्वों को संरक्षण प्रदान करने की शंका की श्रेणी में आते हैं। मान्यवर, यह बहुत छोटी बात नहीं है। मान्यवर, दिनांक 28-03-2001 में यह मांग फिर उठी है। मान्यवर, वे बिना छुट्टी लिये यहाँ आये और देहरादून वार्ता दिखाकर उन्हें ड्यूटी में माने जाने के लिये निर्देशित किया गया, जिस पर कि कुलसचिव और मा0 मंत्री जी द्वारा हस्ताक्षरित है, यह प्रकरण गम्भीर है। मान्यवर, इस तरह की बात आयेगी तो संदेह होगा। हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे कार्यों से लोग बहुत सीखते भी हैं और बहुत बात करते भी हैं। मान्यवर, जो बिन्दु संज्ञान में रखे हैं उन पर कोई जाँच नहीं हुई यह गलत है, आपको थोड़ा सा बुरा लगा है, मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ, मैंने कार्यवाही से हटाने की बात भी कही है। मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी की अन्त्येष्टि में माननीय मंत्री श्री कुँजवाल जी गये थे और वहाँ जनता ने कहा था कि माननीय त्रिपाठी जी के नाम से कुमाऊँ विश्वविद्यालय का नाम हो जाए तो अच्छा होगा।

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल)–

मान्यवर, मैंने यह जरूर कहा था कि मैं जाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि लोगों की मांग रही है और यह उचित मांग है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने मुझसे भी कहा था कि यह ठीक है। मान्यवर, मैं और मा0 पुष्पेश जी तीन बार कह चुके हैं और मा0 मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने तो सहमति दे दी है इसमें शासनादेश क्यों नहीं हो रहा है, तो मा0 मंत्री जी यह आपका विषय है इसको दिखवा लें। मान्यवर, सहमति होने के बाद भी मा0 मंत्री जी के कहने के बाद भी यह शासनादेश नहीं निकल रहा है तो ऐसी शंकायें होती हैं कि शायद मा0 मंत्री जी नहीं चाह रहे हैं, आम आदमी भी यह कहने लगा है। मान्यवर, ऐसी बात होती है तो संदेह पैदा होता है लोगों के प्रति, हमारे आप लोगों के प्रति कम से कम संदेह हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो बिन्दु दिये हैं और जो कुमाऊँ इन्जीनियरिंग कॉलेज के नाम बदलने की बात कही है, उस पर आप कृपया बता दें कि इस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय ऐरी जी ने 2–3 बिन्दु रखे हैं, एक तो कुलसचिव के फर्नीचर के बारे में कहा, तो निश्चित रूप से फर्नीचर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिया है, उसमें शासन का कोई लेना–देना नहीं है, उन्होंने कमीशन की बात कही है, मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है अगर ऐसी बात है तो मैं उसको निश्चित रूप से दिखवाऊँगा, मैं उसको देख लूँगा। मान्यवर, चूँकि अपराध हुआ ही नहीं है और भुगतान हुआ नहीं था, यात्रा बिल बने हों, लेकिन लिया नहीं। मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसमें सजा नहीं दे सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमारे साथी जो हमारे बीच में नहीं हैं श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी के बारे में तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा।

श्री अध्यक्ष–

श्री ऐरी जी, श्री पुष्पेश जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 में हमारी सूचना को ग्राह्यता पर सुनने के लिए हमें अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, जनपद नैनीताल मुख्यालय के समीपवर्ती गाँवों ज्योलीकोट, गांजा, सडियाताल, चोपड़ा रिया, डोलमार, रानीबाग आदि लगभग 20–22 गाँवों के काश्तकारों द्वारा नाप भूमि में तेजपात का उत्पादन करते हैं जो उनकी रोजी रोटी चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समस्त कृषक भेषज संघ द्वारा रजिस्टर्ड भी है, पिछले वर्ष तक कृषक भेषज संघ द्वारा सीधी निकासी कर निकटवर्ती मण्डी में तेजपात ले जाकर बेचते थे।

मान्यवर, छोटे–छोटे काश्तकारों को भेषज संघ द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे कि वह अपना उत्पादन बढ़ा सकें। परन्तु इस वर्ष सीधी निकासी बंद कर वन विकास निगम की अनुमति से रामनगर मंडी इनके लिए निर्धारित कर दी, रामनगर मण्डी कृषकों के लिए बहुत दूर पड़ती है वहाँ के लिए उन्हें ट्रक करना पड़ता है जिससे कि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती। मान्यवर, जो यह उत्पादन बड़ी कड़ी मेहनत के बाद किया जाता है उसे बिचौलियों को दिया जा रहा है, इससे पूरे काश्तकारों और जन प्रतिनिधियों में रोष है उन्होंने भेषज संघ और आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के माध्यम से सचिव स्तर पर अपनी बात रखी है जिसका आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है। मान्यवर, काश्तकारों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है यह बड़ी अजीब व्यवस्था कर दी है। मान्यवर, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे निवेदन करता हूँ कि काश्तकारों से जुड़े इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इस प्रकरण पर अपनी बात कहने से पहले मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, वैसे सभी माननीय सदस्य इस चीज से पूरी तरह अवगत ही होंगे और समय–समय पर चर्चा भी करते रहते हैं। अभी तक सामान्यतः जड़ी–बूटी का कार्य विदोहन पर आधारित है। हमने हर्बल स्टेट की स्थापना की बात शुरू की है। मान्यवर, विदोहन से यह स्थापित नहीं होगा। इसके लिए आवश्यकता है कि कृषिकरण का कार्य किया जाये। जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें भेषज संघ कार्य कर रहे थे, वह विदोहन पर आधारित थे। हमें कृषिकरण के लिए जड़ी–बूटी की पौध देने में 2 चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। वह कृषक अपनी जड़ी–बूटी को किस प्रकार ले जायेगा क्योंकि ऐसा न हो कि वह जड़ी–बूटी का उत्पादन तो कर ले पर कहीं उत्पाद खराब न हो जाये। हम जड़ी–बूटियों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। नं0–1 जो विलुप्ति के कगार पर हैं उनका संरक्षण किया जाना। नं0–2 जिनको प्रतिबंधित किया गया हुआ है जिनका कृषिकरण तो किया जा सकता है लेकिन उनको नियंत्रित रखना होगा। नं0–3 छूट प्रजाति की है।

मान्यवर, हमारे सामने यह स्थिति भी आई जब हमने कृषिकरण के क्षेत्र में शुरूआत की तब तक प्रजातिवार उत्पादन का पता नहीं था, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसका मूल्य वास्तव में क्या है, न हमें इनके खरीदार के बारे में पता था जिससे कि हम कृषकों को सम्पर्क करा सकें, न इनकी मूल्य वृद्धि के बारे में पता था। यह मूल्य वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कृषकों से सम्पर्क स्थापित करने का कार्य तीन संस्थाओं को सौंपा। भेषज संघ, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को यह अधिकार दिया गया और इसके साथ–साथ वन विकास निगम को भी यह अधिकार दिया।

अब सवाल यह आया कि जैसे एक सामान्य कृषक की उपज की बिक्री के लिए मण्डियों की व्यवस्था होती तो हमने जड़ी–बूटी के लिए 3 मण्डियों की स्थापना ऋषिकेश, रामनगर और टनकपुर में की। जड़ी–बूटी के व्यवसायी इन तीन स्थानों पर अधिक संख्या में हैं। इस व्यवस्था को करने के साथ–साथ हमने यह व्यवस्था भी की कि एक कृषक जो छोटी मात्रा में जड़ी–बूटी का उत्पादन करता है वह स्वयं बाजार तक आये और अपने उत्पाद को बेचे और स्वयं बाजार में उसे बेचे तो उसके लिए यह संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में तो लघु और सीमान्त कृषक ही ज्यादा हैं। हमने अपने तीनों निगमों को यह भी निर्देशित किया है कि वे कृषक से सामान लेने पर निर्धारित मूल्य पर मूल्य का 70 प्रतिशत इन्हें अविलम्ब उपलब्ध करा दें और जब वह भेषज संघ, वन विकास निगम या कुमाऊँ मण्डल विकास निगम उसे मंडी में लेकर

आयेंगे, तो मंडी में बेचने पर जो अतिरिक्त लाभ मिले उसे भी कृषकों को दिया जाय। किसानों को उनकी उपज का अच्छा लाभ मिले इसके लिए पहले ही 70 प्रतिशत मूल्य भुगतान की व्यवस्था की गई है, जो भेषज संघ से सम्बन्धित हैं, वह प्रकरण भी भेषज संघ से सम्बन्धित है तो वे भेषज संघ से 70 प्रतिशत मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जड़ी–बूटी के कृषकों को लाभकारी व्यवस्था से लाभ मिल सके उन्हें उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए यह व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था में इसके लिए भेषज संघ के माध्यम से रवन्ने काटे जाते थे।

हमारा मानना है कि वह कृषक भी हमारे राज्य का सम्मानित नागरिक है, उनके उत्पाद का सही बाजारीकरण और सही मूल्य देने के लिए हमने इन मंडियों को दायित्व दिया है और आगे आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी स्थापना की जायेगी, किस–किस किस्म की जड़ी–बूटी कहा–कहा पर मिलती है इसके लिए कृषकों को भंडारण की भी आवश्यकता होगी और जाहिर है कि कृषकों के पास भंडारण की समस्या रहेगी, तो इसके लिए इन केन्द्रों में भंडारण भी शुरू किया गया है। कृषकों को इन चीजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना होगा और हम चाहेंगे कि इसके लिए वह अपनी ट्रेडिशिनल कार्य को छोड़कर इसकी ओर आयें। पहले कुछ जड़ी–बूटियों के सम्बन्ध में खरीदार नहीं आते थे लेकिन आज इनके लिए खरीदार भी आगे आयें हैं, अब जितने खरीदार आयेंगे उनको यह उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी हमें करनी होगी। जो अनुभव हमारे सामने आये हैं पिछले वर्ष की तुलना में, शेष के बारे में 30 रुपये का रेट आया था आज यह बढ़कर 50 से 55 रुपया हो गया है और इसी तरह से मास में 10 रुपये से बढ़कर 18 रुपये आया है और तेजपात जिसका जिक्र इस प्रकरण में भी हुआ है उसका भी 13 रुपये से बढ़कर 18 रु० का रेट आया है। अगर इस प्रकार हम इसका औसत मूल्य 13 रुपया कर दें और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, वन विकास निगम और भेषज संघ द्वारा इसे 20 रुपये में मण्डी में बेचा जाता है, तो इस प्रकार जो यह अतिरिक्त लाभ किसानों को इसमें से भी मिलेगा।

हाँ, यह सही है कि इस व्यवस्था की स्थापना में समय लगेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इन सभी कार्यक्रमों से हम उन्हें लाभ देंगे। इसमें तीन विभाग काम कर रहे हैं, वन विभाग भी इसमें काम कर रहा है और सहकारिता भी इसमें कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास होगा कि ये तीन विभाग जितने अधिक कृषकों को इस ओर लायें, उतनों की बिक्री की व्यवस्था कर दें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदोहन कितना हो, यदि अनियंत्रित विदोहन होगा, तो हमारे यहां की कितनी ही प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, यह अनियंत्रित विदोहन का ही दुष्परिणाम है। इसमें निंटेक भी करना होगा और काश्तकारों को बढ़ावा देंना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं इस ओर भी आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट करना चाहूँगा कि कृषिकरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि विदोहन को बहुत कम कर दिगा

जाय। मान्यवर, विदोहन में प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम आती है क्योंकि इसके लिए सिर्फ जंगल में जाकर एकत्र करना होता है लेकिन जब कृषक अपनी जमीन पर इसको लगाता है तो वह चाहेगा कि जमीन का प्रयोग करने पर उसे कुछ मिले, उपज में उसने जो काम किया है, उसका मेहनताना उसे मिले। वह यह भी चाहेगा कि वह फसल उसके लिए कैश क्रॉप के रूप में हो। मान्यवर, कृषिकरण और विदोहन के बीच सामन्जस्य बैठना आवश्यक है। माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, मैं इसको देख लूँगा और इसके लिए नीति में कोई परिवर्तन भी करना पड़े तो इस संक्रमणीय समय में उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम उनको आगे भी हर तरह की मदद देंगे। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह विषय कार्य स्थगन के रूप में लाने योग्य नहीं है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कृषकों की जो समस्याएं हैं, उन पर वह ध्यान देंगे और आवश्यकता हुई तो जो प्रक्रिया है, कृषकों के हित में उसमें बदलाव भी करना पड़ेगा तो करेंगे, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत विस्तार से हर्बल स्टेट की बात कही, इससे पता लगता है कि शासन की मंशा काश्तकारों के उन्नयन की है। लेकिन मान्यवर, थ्योरेटिकली तो यह बात सही है लेकिन इसके लिए तैयार भी रहना होगा। मान्यवर, मैंने जिन काश्तकारों का जिक्र कार्य स्थगन की अपनी सूचना में किया, उनके सामने बहुत भारी दिक्कत उत्पन्न हो गयी है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ जैसा कि आपने कहा कि रामनगर तथा दूसरी जगहों पर मंडी स्थापित करेंगे तथा भण्डारण और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करेंगे, तो मेरा निवेदन है कि जब तक यह सब नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम इस साल जो पुरानी प्रक्रिया है, उसी को लागू करें अभी नयी व्यवस्था न लागू की जाय। मैं समझता हूँ कि इससे काश्तकारों का उत्साह बढ़ेगा और वे उत्पादन को बढ़ाने में सफल होंगे।

श्री नवप्रभात-

मान्यवर, यह हमारे अनुभव का दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष भी हमने स्थिति को देखते हुए छूट प्रदान की थी। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में जिस क्षेत्र के काश्तकारों का जिक्र किया है, लगभग 20-25 गांव वहां पर होंगे। हमारा लक्ष्य कृषकों को सुविधा तथा लाभ पहुँचाने का है। मैं इसका पूरा अध्ययन करूँगा और व्यक्तिगत रूप से इसमें रूचि लूँगा। मैं यह मान कर चलूँगा कि कृषिकरण का बड़ा मामला हमारे सामने आया है। जो भी संभव होगा हम उनको सहायता देंगे। प्रक्रिया में शिथिलीकरण करना होगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारियों को यह पता चलना चाहिए कि उत्तरांचल के बाजार में फलां-फलां समय में फलां-फलां फसल तैयार हो सकती हैं। हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण सिंह जंतवाल तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कृपापूर्वक मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, संभवतः माननीय सदस्य, हरिद्वार वाले प्रकरण पर बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब भी कोई प्रकरण यहां पर उठाते हैं तो सूचना में तारीख और माह का जिक्र अवश्य करें क्योंकि इससे विषय सुनिश्चित हो जाता है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। .... व्यवधान

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मुझे सदन में जवाब देना है। मुझे इनकी सूचना से यह जानकारी मिल पा रही है कि यह किस तारीख की घटना का जिक्र कर रहे हैं। मैं इनकी सूचना को पढ़ देता हूँ।

''हरिद्वार सामाजिक वानिकी वन प्रभाग में अवैध कटान किये जाने के बाद वन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में अवैध कटान का मामला बनने के कारण क्षेत्र के लोगों में अवैध कटान से आक्रोश व्याप्त है एवं धरना प्रदर्शन कर अवैध कटान के मामले की जाँच की मांग की जा रही है। विषय अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं तात्कालिक है। अतः सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

मान्यवर, मैं किसी को बचाने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि यह घटना किस तारीख की है। तभी मैं इसका जवाब भली प्रकार से दे पाऊँगा।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, रिपोर्ट 10 तारीख केस में तो हुई नहीं है, माननीय मंत्री जी स्वयं उस केस में हरिद्वार गये थे। मान्यवर, यह प्रकरण मार्च, अप्रैल, मई तथा जून 2004 का है। हरिद्वार सामाजिक वानिकी वन प्रभाग में अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस अवैध कटान की सूचना वहाँ के पर्यावरण प्रेमी, वहाँ रहने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले गाँव के निवासियों तथा जागरुक पत्रकार बंधुओं को सूचना मिलती है और इस अवैध कटान की सूचना उनके द्वारा वन विभाग को दी गई और वन विभाग द्वारा अवैध कटान हुई सारी लकड़ियों को बरामद किया लेकिन जिन्होंने अवैध रूप से कटान किया था उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मान्यवर, इसके बाद 25 जुलाई, 2004 को इसी प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई समाचार–पत्रों के माध्यम से, पर्यावरण प्रेमियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना के बाद श्यामपुर पुलिस लगभग 10–20 वहाँ के गाँव के लोगों को लेकर पहुँची और उस क्षेत्र में गई जहाँ पर लकड़ियाँ कटने की बात कही गई थी वहाँ जाकर उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उनके सामने लगभग 4 ट्रक में बहुमूल्य लकड़ियाँ भरी थी उन ट्रकों के ऊपर यूकेलिप्टस के झाड़ और उसकी लकड़ियों से उन्हें ढका गया था ताकि कोई व्यक्ति यह समझे कि इसमें यूकेलिप्टस है। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस ने दो ट्रकों को तो कब्जे में ले लिया लेकिन दो ट्रक जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे भाग कर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गये। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए जो दो ट्रक पकड़े गये उनका नम्बर बता रहा हूँ, उन दो ट्रकों के नम्बर क्रमशः यू0टी0एस0 1410 और ड्राईवर युसूफ यू0ए0बी0 40681 ड्राईवर का नाम शमशाद है। इन लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि उसमें वन विभाग का कोई कर्मचारी भी था किन्तु वे उसे नाम से नहीं जानते वह आगे रवन्ना देगा। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आगे गई किन्तु वे दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गये थे। मान्यवर, पकड़े गये ड्राइवरों को बन्द कर दिया गया और अन्य व्यक्ति जिसमें वन विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी बताये जाते हैं पहले दो ट्रकों के साथ निकल भागने में सफल हो गये।

मान्यवर, श्यामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पकड़े गये ड्राइवरों के खिलाफ। किन्तु मान्यवर, यह वन विभाग की साजिश है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ उन दो पकड़े गये ड्राइवरों के खिलाफ। लेकिन एक सप्ताह बाद ही 31 अगस्त एवं 1 सितम्बर को पुनः हरिद्वार के जिलाधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि श्यामपुर चिड़ियापुर रेंज में अवैध लकड़ी काटी जा रही है। मान्यवर, जिलाधिकारी, हरिद्वार ने एस0डी0एम0, हरिद्वार थानाध्यक्ष, श्यामपुर और अन्य पुलिस कर्मियों को आदेश दिया कि यह क्या प्रकरण है, इसको देखें। मान्यवर, एस0डी0एम0, हरिद्वार, थानाध्यक्ष, श्यामपुर 10–15 पुलिसकर्मियों तथा गांव के कुछ लोगों के साथ घटना स्थल पर गये। मान्यवर, वहा पर सैकड़ों कुंतल खैर एवं अमलतास की लकड़ी थी।

मान्यवर, इस प्रकरण में दो मुकदमें दर्ज किये गये। मान्यवर, ये मुकदमें आई0पी0सी0 की धारा 34 के अन्तर्गत 379, 411, 120 बी0, 506 दर्ज किया गया और लकड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मान्यवर, ये धाराएं वन विभाग के

कर्मचारी/अधिकारियों के खिलाफ थी। मान्यवर, आश्चर्यजनक तथ्य फिर सामने आया जब पुलिस ने लकड़ी उठाने के लिए कहा तो वन अधिकारियों ने वहां के लोगों को रोक दिया और उन्हें वहां से भगा दिया गया। फिर वहां के अधिकारियों के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा–134 के अन्तर्गत 342, 420, 506 के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

मान्यवर, इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस विभाग में विवाद पैदा हो गया और एक–दूसरे विभाग ने एक–दूसरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मान्यवर, बात देहरादून पहुंची। माननीय मंत्री जी ने दूरभाष पर मुख्य सचिव को कहा तुरन्त इस प्रकरण का निपटारा करें। मुख्य सचिव ने एक्शन लिया और गढ़वाल मण्डल के कमिश्नर को इसकी जांच सौंप दी। इसके बाद दोनों विभाग के अधिकारियों को देहरादून बुलाया और निर्देशित किया कि आप इस प्रकरण को यहीं रख दें तथा एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही न करें जब तक जांच नहीं हो जाती।

मान्यवर, चार माह व्यतीत हो गये हैं, तारीख भी निश्चित है और धाराएं भी निश्चित हैं, रिपोर्ट भी आ गयी शायद अभी फाइलों में होगी यह सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, स्वयं मंत्री जी जंगल में गये थे, उन्होंने शीघ्र कार्यवाही के लिए कहा था, लेकिन अभी तक क्या कार्यवाही हुई इसका कोई पता नहीं है। मान्यवर, हरिद्वार की जनता, पर्यावरणविद् और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग निश्चित रूप से चिंतित हैं। मान्यवर, चार माह व्यतीत होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह क्यों नहीं हुई? इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस प्रकरण का जिक्र किया, उसमें यह बात सही है कि ऐसी स्थिति उत्पन हुई थी कि पुलिस विभाग और वन विभाग के बीच में एक मतैक्य न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई थी और बाद में मैंने सूचना के आधार पर स्वयं स्थल का भ्रमण किया। मान्यवर, वास्तविकता यह थी कि हरिद्वार वन प्रभाग के अन्तर्गत जब भी हम प्लांटेशन के किसी प्लाट को काटते हैं तो एक समस्या तो उसकी रिप्लाऐशन की रहती है और एक समय बाद हम नया प्लांटेशन करते हैं। चूँकि यह पातन कई साल तक हुआ और फिर हमने प्लांटेशन की योजना बनाई और प्लांटेशन के साथ–साथ इनका ऑक्शन भी किया गया। लगभग 24 प्लांट का ऑक्शन हुआ। सामान्यतया वन निगम जब यूकेलिप्टस काटता है तो जो कीमती होती है उसको उठा लेता है और उसके बाद भी कुछ पेड़ और उसकी जड़ें रह जाती हैं। जिन लोगों ने यह लीज प्लाट लिया था इन्होंने वन विभाग से इस तरह की चीजों को निकासी के रूप में प्राप्त किया। वह लकड़ी श्यामपुर थाने में पकड़ी गई और मैंने भी देखा, उसमें जिस–जिस किस्म की लकड़ी थी उसको चिन्हित भी किया गया। मैं

पुलिस के उन अधिकारियों का उत्साहवर्द्धन भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया। 24 प्लांटेशन को साफ करना और इनमें नया प्लांटेशन करना यह नये प्लांटेशन के लिए आवश्यक है। यहां पर एक प्लाट और भी मिला जिस प्लाट में वन निगम द्वारा काम किया गया और वह लीज प्लाट में सम्मिलित नहीं था, उस प्लाट के अन्तर्गत हमें कुछ शीशम के कटे हुये पेड़ मिले, जिसमें कुछ में घन का निशान था और कुछ में नहीं था और जब वन निगम कार्य करके हटा तो यह प्रश्न उठा कि इस किस्म को क्यों छोड़ दिया तो हमने जाँच की और जाँच करने के बाद वन निगम के तीन कर्मचारी जिसमें से दो स्केलर को निलम्बित किया गया और एक लॉगिंग का स्थानांतरण किया गया, इनको आरोप-पत्र दिया जा चुका है, वन विभाग के जो लोग देखते थे उनको भी निलम्बित किया गया और तीन वन दरोगाओं को वहां से स्थानान्तरण किया गया।

मान्यवर, इसमें यह तो निश्चित है कि थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी से इस प्लाट में काम किया गया। अगर कोई भी चीज वहां रह गयी थी तो उनकी जिम्मेदारी थी कि अपने उच्चाधिकारियों को बताते, पर यह अवैध कटान का प्रकरण और अवैध कटान में लगातार इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों को आना-जाना नहीं पाया गया, इसलिए कहा गया कि प्रमुख स्तर पर दोनों विभागों में सामन्जस्य स्थापित किया जाए। मान्यवर, यह 24 प्लाट जो लगभग 6550 हेक्टेयर के हैं। मान्यवर, चूँकि प्लान्टेशन हो रहा था, इसलिए उन्होंने पुलिस की मदद ली। मान्यवर, राज्य के राजस्व के हित में 5.50 हेक्टेयर में पुनः प्लान्टेशन किया जाना आवश्यक है।

मान्यवर, जहाँ तक अवैध कटान और लापरवाही से छोड़ी गई लकड़ी ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं। मान्यवर, श्यामपुर थाने में पकड़ी गई लकड़ी हमने देखी। वन विभाग में एक श्रेणी है कोकाट इसको हम अच्छी प्रजाति में नहीं रखते हैं, हम ऐसे प्रकाष्ट को कोकाट मानते हैं। मान्यवर, यह कहीं किसी रूप में मूल्यवान हो जाता है, यह वन विभाग की जानकारी में नहीं है। कोकाट की परिभाषा भी कर ली जाय यह पूरा प्रकरण देखना है। मान्यवर, मेरा कहना है कि जितनी प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है, की जायेगी। अगर इसमें अन्य विभाग का सहयोग लिया जा सकता है तो लिया जायेगा। हमने इस मामले की जाँच आयुक्त को सौंपी है, वह जो अपनी संस्तुति देंगे तो उसे हम सदन के पटल पर रख दें, यह कार्य स्थगन का विषय नहीं है।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, उन्होंने शीशम के पेड़ काटे थे, आपने उन्हें निलम्बित किया और कुछ को स्थानान्तरित किया इतना बड़ा जो कटान हुआ वह दो-दो ट्रक निकलकर उत्तर प्रदेश की सीमा में पाये गये, उनके खिलाफ नियमित रिपोर्ट दर्ज हुई। मान्यवर, उसको सदन के पटल पर कब तक रखेंगे, कब तक अवगत करा देंगे?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, आपने इसमें कई प्रकरण मिला लिए हैं। इसमें दो ट्रक निकले और दो पकड़े गये। इसमें झार की लकड़ी निकली। मान्यवर, और जो होता है वह मेरे से सुनना चाहोगे तो खराब होगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या सही है और क्या गलत है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि .... (व्यवधान) मान्यवर, आप मुझे बोलने दें।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इस जनपद में हमारे कुछ हक–हकूक भी हैं। सिरबोझी पर लकडी ले जाने का अधिकार है, लेकिन मान्यवर, लोग सिर पर लकड़ी ले जाने की जगह साईकिल लेकर जंगल जाते हैं। साईकिल पर जो लकड़ी ले जायी जाती है उसकी मात्रा सिर पर ले जायी जाने वाली लकड़ी की मात्रा से 3–4 गुनी होती है। इसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में बहुमूल्य लकड़ी का कटान हो रहा है। मान्यवर, शीशम की लकड़ी बहुमूल्य तब होती है जब शीशम का पेड़ तैयार हो जाता है। जंगल से लकडी लाने के कारण कई बार हमारा गांव के लोगों से टकराव भी हुआ है, वहां पर वन विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों के ऊपर आक्रमण भी हुआ है, वहां पर पुलिस की गश्ती टोली पर भी आक्रमण हुआ है। लेकिन अपने प्रदेशवासियों के हक–हकूक को मानते हुए हम सिर्फ उतनी सख्ती ही कर रहे हैं जिससे उन्हें यह समझ में आ जाये कि उन्हें यह कार्य नहीं करना है। यह कटान भी तनाव की भूमिका में पीछे से था।

हम वन विभाग के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। पुलिस पर भी हमने दबाव बनाया है। वहां इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में हमें सफलता भी मिली है। हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। वन विभाग के लिए अतिरिक्त हथियारों की भी व्यवस्था की जा रही है। हथियारों का क्रय हो चुका है मूल्य भुगतान के बाद इन्हें कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हम तो सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वहां पर माननीय मदन कौशिक जी ने बात रखी कि अवैध कटान हुआ और पुलिस विभाग और वन विभाग ने इसे रफा–दफा कर दिया। मान्यवर, इस

पर मा0 मंत्री जी के शब्दों को सुनकर हैरानी हुई। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अवैध कटान हो रहा है। सरकार का काम है, अवैध पातन, अवैध कटान, अवैध शिकार पर अंकुश लगाये। मेरा निवेदन है कि यह प्रकरण बहुत ही गम्भीर है, अखबारों में यह प्रकरण खूब उछला कि वन विभाग और पुलिस विभाग आपस में लड़ रहे हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं मैं दोनों में सामन्जस्य स्थापित कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा विभाग दोषी है, पुलिस विभाग या वन विभाग।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसमें यह जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है, आपके ही समय में यह प्राविधान हुआ और उनको असीमित अधिकार दिये गये हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा था कि .... ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस अवैध कटान पर क्या कार्यवाई की गई है?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, अवैध कटान और इस मामले में काफी फर्क है, आप ही यह कह .... ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

माननीय जन्तवाल जी, आपने अनुरोध किया था कि आपका तारांकित प्रश्न संख्या–2 शासन के शहरी विकास विभाग को भेजा गया था ....।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

रावत जी आप कृपया बैठ जायं, माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपनी बात रखें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, अभी–अभी सूचना मिली है कि विधान सभा के बाहर दो व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गये हैं और वहां से आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है और सरकार सोयी हुई है।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा परिसर के अन्दर या बाहर?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विधान सभा परिसर के बाहर जो पानी की टंकी है, उसमें सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर दो लोग उसके ऊपर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा कराई जानी चाहिए। मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत दिनांक 12 जनवरी को संविदा परिवहन कर्मियों का मामला उठाया था और परिवहन मंत्री जी ने उत्तर भी दिया था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने उसमें भी कहा था, ऐसे पानी की टंकी पर चढ़कर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर सकता है, मान्यवर, उन लोगों की जान बचाई जानी बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, इन्तहा हो गई इन्तजार की।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुबोध जी आप कृपया बैठ जायं।

माननीय जन्तवाल जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका तारांकित प्रश्न संख्या–2 शासन के शहरी विकास विभाग को भेजा गया था। शहरी विकास विभाग ने सूचित किया कि प्रश्न की विषय वस्तु आवास विभाग को स्थानान्तरित किया गया। यह प्रश्न विगत सत्र में प्रथम सत्र, 2004 के तृतीय मंगलवार के लिए निर्धारित था जो सत्रावसान के बाद व्ययगत हो गया। दिनांक 25 सितम्बर, 2004 को पुनः प्राप्त होने पर इसको वर्तमान सत्र में आज की कार्यसूची में तारांकित प्रश्न संख्या–2 के रूप में निर्धारित किया गया और इसको शासन के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसे शासन के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया गया है। मान्यवर, शासन उत्तर .....।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह विभाग अलग था इसलिए अनुरोध किया गया है और शासन तो अनुरोध करता ही है, अब आखिर कौन सी क्राइसिस हो गई। मान्यवर, शासन ने मात्र अनुरोध ही तो किया है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम 56 के माध्यम से आपका ध्यान माह अगस्त 2004 में ऊधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज में आयी बाढ़ की ओर दिलाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपको जानकारी होगी कि अगस्त 2004 में जो बाढ़ आयी थी, इसमें 15 लोगों की अकाल मृत्यु हो गयी थी और सैकड़ों की संख्या में जानवरों की मौत हो गयी थी। सितारगंज ब्लाक की हजारों एकड़ जमीन जिसमें फसल लगी थी, नष्ट हो गयी और सैकड़ों किलोमीटर सड़क टूट गयी। मान्यवर, नेशनल हाई वे के कई पुल टूट गए, कई तटबन्ध ध्वस्त हो गए और संचार व्यवस्था बाधित हुई, स्कूल की इमारतें टूट गयीं। मान्यवर, जब बाढ़ आयी तो मैंने वहां के लोगों के पास जाकर पूछा तो उन्होंने 100 करोड़ रुपये के आस–पास के नुकसान का आंकलन बताया। लेकिन जिला प्रशासन ने पहले 17 करोड़ का आंकलन किया, बाद में 27 करोड़ का आंकलन किया। क्षेत्रीय जनता के कहने पर इसे बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया और फिर

जब मैंने आग्रह किया तो इसे 47 करोड़ कर दिया गया। मान्यवर, यह जो 47 करोड़ का आंकलन जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के माध्यम से किया गया, आज तक इस मद में एक भी पैसा नहीं दिया गया। नेशलन हाई वे के पुल टूटने की वजह से जो दूसरे रास्तों से आवागमन की व्यवस्था की गयी, उसके कारण कई किलोमीटर की जो सड़क थी, वह भी खराब हो गयी।

मान्यवर, यह क्षेत्र अनुसूचित जाति, जनजाति का क्षेत्र है। इसमें बंगाली समुदाय और थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। आज भी ये लोग टापू पर रहने को विवश हैं। मैंने जब कहा तो उपरोली गांव के एक टापू से 80 परिवारों को 3 दिन बाद वहां से उतारा गया। वहां पर जो सम्पूर्णानन्द शिविर कारागार है, उसमें से 80 लोगों को चिन्हित करके 60 लोगों को जमीन के पट्टे देने की बात कही गयी। मान्यवर, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम भी डाल दिए गए जो इसके पात्र नहीं थे। मान्यवर, जो शक्ति फार्म है वहां पर बाढ़ की वजह से आज कई बीमारियां फैल रही हैं। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम ने यहां पर खनन के लिए जो पट्टे दे रखे थे, उनके लिए बड़े-बड़े दावे किए गए थे। खनन करने वालों ने वहां पर इतना अधिक खनन कर दिया कि वहां पर रहने वालों की जो जगह थी, वह भी खराब हो गयी। उसके बाद बड़े-बड़े दावे किए गए कि उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी, जिला प्रशासन से सम्बन्धित जो लोग थे, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। मान्यवर, आज भी वहां पर खनन का कार्य चालू है। बहुत मना करने के बाद भी लोग वहां पर खनन कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान साधूनगर ग्राम गरौली की ओर दिलाना चाहता हूँ, यह बहुत उपेक्षित क्षेत्र है। यहां पर कई तरह की समस्याएं हैं। यहां पर कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, जिसमें महिला चिकित्सक हो तथा 2 डॉक्टरों के अलावा कोई डाक्टर भी नहीं है। मान्यवर, मैंने स्वयं देखा वहाँ पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दौरे पर गये और उन्होंने वहाँ पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो भी रोजी-रोटी की व्यवस्था हो सकती थी, की। शासन प्रशासन ने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया किन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ एक बार भी नहीं गये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि एक मिनिस्टर वहाँ कैम्प लगाकर रहा, शासन के बड़े अधिकारी मजिस्ट्रेट, कमिश्नर भी वहाँ पर थे। वे सभी राहत कार्यों में लगे हुए थे। आपको तो सराहना करनी चाहिए कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वयं कैम्प लगाकर राहत कार्यों को देख रहे थे।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, उनके वहाँ रहने से ही लोगों को रिलीफ मिल जाता तो बात ही क्या होती और फिर मुझे यहाँ पर बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। आज भी वहाँ पर रोटी की समस्या है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने प्रभाव से मण्डी से उनके लिए अनाज की व्यवस्था कर दी थी। मान्यवर, जो 47 करोड़ का आगणन बनाया गया था आज तक उसका कहीं नामोनिशान नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी वहाँ पर पुल टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं और जो इमारतें नष्ट नहीं हुई हैं उन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, आज इस सम्बन्ध में अपनी तरफ से जानकारी प्राप्त कर लें। कमिश्नर वहाँ पर बैठे हैं, जिलाधिकारी महोदय वहाँ पर हैं शासन के और भी बड़े अधिकारी वहाँ पर हैं फिर जो 47 करोड़ का आगणन बनाया गया था, उसका प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ पर जब बाढ़ आई तो इस धनराशि का प्रयोग किया जाना चाहिए था। [XXXX]

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदन में [राज्यपाल महोदय] का उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस अंश को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

इस अंश को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आज तक भी मृतक लोगों को चिन्हित नहीं किया गया है, मुआवजा नहीं मिला है। मैं संसदीय मर्यादाओं का पालन करता रहा हूँ और मेरे क्षेत्र की जनता भूख से तड़पती रहे यह ठीक बात नहीं। वहाँ के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हम सुनामी में 10 लाख रुपये दे दें और अपने क्षेत्र की ओर कोई ध्यान न दें यह ठीक बात नहीं। पहले मुझे अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र के विकास के मद में कटौती की गई, उसके विकास को रोका गया, मैं सरकार पर यह आरोप लगा रहा हूँ।

नोट:– [XXXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें, आपकी सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, आपको कैसे पता कि सारी बातें आ चुकी हैं। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावना को समझ गया हूँ। (हँसी)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दिनांक 26 अगस्त, 2004 को तहसील सितारगंज के कैलाश नदी में आयी बाढ़ से व्यापक क्षति हुई जिसमें 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 10 पशुओं की हानि हुई, 2500 है0 धान की फसल की क्षति हुई, 2200 है0 गन्ने की फसल की क्षति तथा 20 है0 अन्य फसलों की क्षति आंकलित की गई। चिकाघाट पुल, नानक सागर के तटबन्ध को क्षति होने से 54 ग्राम प्रभावित हुए, जिसमें से 5913 परिवार प्रभावित हुए। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ किए गये तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान के रूप में रु0 2983466/– प्रभावित परिवारों में वितरित की गयी। सार्वजनिक एवं विभागीय परिसम्पत्तियों की 25.19 करोड़ की क्षति आंकलित की गई, जिसमें मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग, सिंचाई विभाग, सम्पूर्णानन्द शिविर कारागार आदि प्रमुख रूप से क्षतिग्रस्त है। शासन द्वारा 125 लाख की धनराशि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित की गई है। माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में दि0 8–12–2004 को सभी माननीय विधायकों के साथ बैठक हुई तथा क्षेत्रों में हुई क्षति के अनुसार धनराशि निर्धारित की गई।

मान्यवर, सितारगंज क्षेत्र के लिए रु0 30 लाख की धनराशि निर्धारित की गई है। माननीय विधायकों से उनके क्षेत्र में क्षति के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में ही सितारगंज क्षेत्र में रु0 18.58 लाख की धनराशि के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 में जनपद ऊधमसिंह नगर को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान में वितरण हेतु रु0 54 लाख एवं विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य हेतु रु0 1.14 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जैसे ही बाढ़ की सूचना मिली सेना के हेलीकॉप्टरों को मंगाकर आवश्यक सामग्री गिराई गई। पांच दिन तक लगातार बैठकर कैम्प किया और एक भी जगह से यह सूचना नहीं मिली कि कोई भूख से मरा या किसी को

निकालने में कोई कोताही की गयी हो। मान्यवर, क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आप भी स्वयं हेलीकॉप्टर से क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। मान्यवर, वह कार्य भी प्रशंसनीय है कि हेलीकॉप्टर ने डूबे हुए लोगों को तत्काल निकाल कर उनकी जान बचायी। मान्यवर, 05 दिन तक स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी मौके पर डेरा डाले हुए राहत कार्यों को देखते रहे और सभी अधिकारियों ने 5 दिन तक कैम्प किया। मान्यवर, बाढ़ बहुत खतरनाक आयी थी, उसमें सारे लोगों की जान भी जा सकती थी। शासन ने तत्काल राहत पहुँचायी और लोगों को राहत पहुंचायी। आवागमन व्यवस्था बाधित न हो उसकी भी व्यवस्था की गयी।

मान्यवर, जिस पुल की आपने बात की वह राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत आने वाला है, यदि नहीं आयेगा तो प्रदेश सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की जायेगी। आवागमन बाधित न रहे इसके लिए समुचित व्यवस्था कर दी गयी है। मान्यवर, लोगों को तत्काल धन उपलब्ध कराया गया। कमिश्नर एवं जिलाधिकारी एक-एक मिनट की सूचना ले रहे थे। मान्यवर, यह सही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थाई निर्माण की आवश्यकता है। मान्यवर, प्रभावित क्षेत्रों का निर्माण होगा। मान्यवर, जब भयंकर बाढ़ आती है तो उस क्षेत्र में जीवन दान देंगे, जितना समय लगना चाहिए था उतना लगेगा। मान्यवर, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गम्भीर हैं, कमिश्नर से समीक्षा कर रहे हैं और हम आगे भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ शासन की ओर से। मान्यवर, क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष या केवल विधायक की जिम्मेदारी नहीं होती है, शासन की भी जिम्मेदारी होती है स्थाई रूप से कार्य हो, आवागमन का कार्य हो, इसके लिए प्रयासरत् हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं 3.30 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रधानमंत्री राहत कोष में विधायक निधि से सुनामी पीड़ितों के सहायतार्थ धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

मान्यवर, "मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों (यथा अद्यतन संशोधित) के अनुसरण में विधायक निधि वर्ष 2004-2005 में प्रत्येक माननीय सदस्य को अनुमन्य विधायक निधि से देश के दक्षिणी

भाग में आयी सुनामी लहरों के कारण उत्पन्न आपदा के राहत हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ रु0 10 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी जाय।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जिस विधायक के पास 2004–2005 के विधायक निधि में पैसा न हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–110 के अन्तर्गत माननीय विधायक श्री मदन कौशिक, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्रीमती आशा देवी, श्री अनिल नौटियाल, श्री अरविन्द पाण्डे आदि सदस्यों द्वारा बधाई का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री मदन कौशिक जी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरे पास इस समय प्रस्ताव नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त सदस्य विधान सभा को शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पद प्राप्त करने पर सदन द्वारा बधाई

श्री अध्यक्ष–

इस सदन के माननीय सदस्य श्री प्रकाश पन्त द्वारा 5 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2004 तक कोयम्बटूर में आयोजित चौदह–वी0जी0वी0 मावलुंकर अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता की प्वांइट 22 राइफल के 50 मीटर दूरी की खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर रजत पदक जीत कर उत्तरांचल का नाम रोशन किया है। अतः यह सदन श्री प्रकाश पन्त जी की इस विजय पर उनको बधाई देता है। (मेजें थपथपाई गई)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मान्यवर, पहले श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने अभिभाषण पेश किया और उसके बाद श्री सुदर्शन जी ने अभिभाषण

पेश किया और यहाँ आकर उन्होंने शोभा बढाई। मान्यवर, निश्चित रूप से अभिभाषण इसलिए पढ़ा जाता है कि सरकार की नीतियाँ आम आदमी तक पहुँच जाएं, पर मान्यवर, मैं समझता हूँ कि यह सरकार घोषणा तो कर देती है पर होता कुछ भी नही है।

सबसे बड़ी ज्वलन्त समस्या इस प्रदेश में बेरोजगारी की है। जो सरकार खुद बेरोजगारी के द्वार पर खडी हो वह बेरोजगारी कैसे दूर करेगी। यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकार के पास न साधन हैं, न पैसा हैं हमारी सरकार हमेशा केन्द्र सरकार की ओर देखती रहती है। जब तक सरकार के पास अपने साधन नहीं होंगे, अपना राजस्व नहीं होगा जिससे उत्तरांचल का कार्यभार चल सके तब तक इस राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी की बात कर लें, उस टाइम जब यह सरकार बनी थी उस समय 2 लाख 70 हजार 114 बेरोजगार थे आज उनकी संख्या 3 लाख 30 हजार हो गयी है। अर्थात् करीब 60 हजार बेरोजगार बढे हैं। मान्यवर, सरकार ने केवल 7 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार अर्थात् 21167 (इक्कीस हजार एक सौ सड़सठ) बेरोजगारों को रोजगार दिया है। मैंने जो संख्या बताई है वह पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या है। गैर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या इससे भी कहीं अधिक ही होगी। सरकार के पास बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई नीति ही नहीं है। बेरोजगारी कैसे दूर होगी।

मान्यवर, अगर छोटी-छोटी इंडस्ट्री लगायी जायें तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी काफी हद तक दूर हो सकती हैं अगर एक छोटा मिनरल वाटर का प्लांट लगा दिया जाये तो उसमें 50-100 लोगों को काम मिल सकता है। यदि यह प्लांट एक दिन में 500 से 1000 लीटर पानी की बोतल बनाती है, यदि 5 रुपये भी एक बोतल में बचता है तो ऐसे 25 प्लांट लगाकर सरकार 10 करोड़ रुपये प्रतिदिन मुनाफा कमा सकती है। मान्यवर, दूध और पानी से सम्बन्धित उद्योगों की इस राज्य को आवश्यकता भी है। उत्तरांचल में जहां टमाटर का उत्पादन अधिक होता हो वहां सॉस की फैक्ट्री लगायी जा सकती है, जहां सेब अधिक होता है वहां मुरब्बा की फैक्ट्री लगायी जा सकती है, इसी प्रकार जहां जिसका उत्पादन अधिक होता है वहां उससे सम्बन्धित छोटे-2 उद्योग लगाकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन मान्यवर, यह सब करे कौन? सरकार तो केवल वाहवाही लूटना चाहती है।

उद्योग जिले के रूप में सरकार ने 2 जिलों के लिए ज्यादा घोषणाएं की हैं। दो ही जिलों में जमीन भी अधिक है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में। इसके अलावा जो 11 (ग्यारह) जिले शेष हैं उनका क्या होगा? अन्य जिलों में उद्योग-धन्धे न होने के कारण वहां के लोग पलायन करके हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में आ जाते हैं। यदि दूसरे जिलों में भी छोटे-छोटे उद्योग लगाये जाएं तो इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे उत्तरांचल के राजस्व में भी बढोत्तरी होगी। अगर

प्रदेश के शेष 11 जिलों में उद्योग पर दी जाने वाली सब्सिडी 15 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी जाये और सेल टैक्स व इन्कम टैक्स पर छूट 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाये तो शेष जिलों में भी उद्योगपति को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

अभी एक पिक्चर आई थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, नतीजा ना पूछो लाल, नतीजा ठन–ठन गोपाल तो माननीय अध्यक्ष जी, जब तक राजस्व सरकार नहीं बढ़ायेगी तब तक काम चलने वाला नहीं है, राजस्व बढ़ सकता है, अगर जैसा अभी हरिद्वार की बात चल रही थी तो आज उत्तर प्रदेश सरकार हरिद्वार को लेना चाहती है, अगर हमारी सरकार भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद जनपदों को अपने यहां लेने का प्रस्ताव करे तो निश्चित ही राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। मान्यवर, सहारनपुर जनपद का कुल राजस्व 1800 करोड़ रुपये का है और टैक्स आदि मिलाकर के वह 2000 करोड़ रुपये हो जाता है और इसी तरह से जनपद मुजफ्फरनगर का राजस्व 1000 करोड़ है और यह 1300 करोड़ हो जाता है तथा बिजनौर जनपद का राजस्व 800 करोड़ रुपये है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, 10 मिनट दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष–

10 मिनट पूरे हो गये हैं।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, मान्यवर, मुरादाबाद का 1500 करोड़ का राजस्व है, इस तरह से इन चारों जिलों का राजस्व होता है 6300 करोड़ रुपये, यह राजस्व हमको मिल सकता है। मान्यवर, इसके लिए हमें प्रस्ताव करना चाहिए। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा गया है कि लगभग 1337 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह अच्छी बात है सड़कें बननी चाहिए, लेकिन उन सड़कों में गुणवत्ता भी होनी चाहिए। बिना गुणवत्ता के सड़क का क्या काम? मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक सड़क इकबालपुर–झबरेड़ा, गुरुकुल–नारसन बनी है, 50 जगह से वह सड़क टूट चुकी है, वहां पर पैचिंग का भी कार्य हुआ लेकिन आज भी सड़क की स्थिति जर्जर है, जबकि इस सड़क को बने मात्र 1 साल ही हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जब प्रसंग आ गया तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी सड़कों का कार्य, कुम्भ में हुआ था और इसकी 3–3 एजेन्सियों से जांच हुई और इसे पास किया गया था। आई0आई0टी0 रुड़की और मेलाधिकारी ने भी इसे देखा और ओ0के0 कर दिया था, आपकी सड़क भी इसी में, बाद में बनी थी।

चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, कि वह सड़क अभी भी वहीं पर है। कोई भी माननीय सदस्य या मंत्री जी वहां पर जाकर जांच कर सकते हैं। लेकिन अंत में चूंकि माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आदेशित भी कर दिया है और मैं आपका आदेश मान कर बैठ भी रहा हूँ, लेकिन यह कहना चाहूंगा कि कार्य में गुणवत्ता होनी ही चाहिए और यह अभिभाषण भारतीय अनुच्छेद की धारा 13, 14, 15, 25, 28, 29, 51, 340 एवं 341 का उल्लंघन करता है। अतः यह जनहित में नहीं है और मैं दिल की गहराइयों से इसका विरोध करता हूँ और यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ–

रजकण को बिना चूमे–कंचन मिला है किसको,

कांटों को बिना चूमे–मधुबन मिला है किसको,

जल को बिना बांधे–प्रकाश मिला है किसको,

देहलीज को बिना लांघे–आंगन मिला है किसको। धन्यवाद।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है, सरकार ने विगत में क्या कार्य किये और भविष्य में क्या करने जा रही है, उसका एक दर्पण होता है और मैं बधाई देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को कि जो साहसिक काम इस सरकार ने किये, जो हमारा आउटलेट बजट 1810 करोड़ की योजनाओं का था वह बढ़ाकर 2700 करोड़ कर दिया गया है इस प्रकार 890 करोड़ की बढ़त है, जैसा महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में योजना आयोग के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। मान्यवर, इस विधान सभा की तरफ से भी एक धन्यवाद का प्रस्ताव उन लोगों को जाना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। मान्यवर, यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। यह उत्तरांचल राज्य के विकास में आधार शिला का काम करेगा। मान्यवर, इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। बहुत सी बातें अभिभाषण में नहीं आ पाती हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर भाषण में ये बातें आ जाएंगी। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों के बारे में एक सुझाव मैं इस सदन में रखना चाहता हूँ। मान्यवर, जिस तरह मैदानी क्षेत्र के कृषकों के लिए हमने समर्थन

मूल्य की घोषणा की है, उसी तरह से जो हमारे सीमान्त क्षेत्र के कृषक हैं, उनकी छोटी–छोटी जोते हैं, उनके लिए भी समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, सड़कों के बारे में कहना चाहता हूँ, कल जब मैं टिहरी से आ रहा था तो रास्ते में दो दुर्घटनाओं हुई थीं। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की जान होती है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था वहां पर आश्रम चौक पर पुल बना है, उसमें गार्ड बनाया गया है। मैंने पूछा कि इसका क्या फायदा है, तो मुझे बताया गया कि जब कोई गाड़ी इससे टकराती है तो पीछे की ओर जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जो संभावित दुर्घटनास्थल हैं, वहां पर इस तरह के गार्ड बनाये जा सकते हैं। मान्यवर, अभी राजस्व के बारे में चौ0 यशवीर सिंह जी ने कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि टिहरी बांध से सबसे ज्यादा पीड़ित मैं हूँ। लेकिन मान्यवर, मैंने आंकड़े तैयार किए हैं। इसके बन जाने के बाद 2884 करोड़ का फायदा पूरे देश को तथा 386 करोड़ रुपये का फायदा हमारे प्रदेश को होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां–जहां पर भी इस तरह के बांध बन रहे हैं, उनके लिए इस पैसे में से अलग से व्यवस्था की जाय। नहीं तो होता क्या है, अभी तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह विशाल हृदय के हैं, कभी–कभी बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे भी होते हैं कि सारा पैसा उनके निर्वाचन क्षेत्र में चला जाता है। इससे सुबोध उनियाल जी भी सहमत होंगे क्योंकि टिहरी बांध से आप भी पीड़ित हैं। इसके लिए निश्चित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि जो लोग इससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनका विकास किया जा सके। मान्यवर, एक तीसरी बात कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जो तकनीकी विश्वविद्यालय की बात कही गयी है, वह बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब तकनीकी विश्वविद्यालय के कांसेप्शन की बात हो रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यह तय हुआ था तकनीकी विश्वविद्यालय वात्साहित थौल में बनाया जाय। यह जगह पंतनगर के पास है और टिहरी बांध बनने की वजह से भी इसको लाभ मिलेगा। मान्यवर, उस समय प्रमुख सचिव, शिक्षा भी वहां पर उपस्थित थे। यह तय किया गया कि तकनीकी विश्व विद्यालय वात्साहित थौल में ही बनाया जाय क्योंकि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मान्यवर, टिहरी बांध की वजह से सारी महिलाएं सड़क पर हैं, भानियावाला में भी सारे लोग धरने पर बैठे हैं। मान्यवर, लोग आन्दोलन कर रहे हैं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए।

मान्यवर, टी0एच0डी0सी0 बहुत बड़ा उपक्रम है। इसे उत्तरांचल की नई–नई अन्य जल विद्युत योजनायें देनी चाहिए। वाटर स्कीम की योजना बनाकर कोश्यार ताल, सारजुला, टिपरी एवं प्रतापनगर में दी जानी चाहिए, वहाँ के लोग जल की समस्या से बहुत अधिक पीड़ित हैं। मान्यवर, टिहरी बांध के पानी से 663 करोड़, 442 करोड़ एवं 4.37 करोड़ का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। प्रदेश को इससे कुल 345 करोड़ का लाभ हो रहा है और देश को इससे 2884 करोड़ का लाभ हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कोश्यार ताल, सारजुला टिपरी और प्रतापनगर में वाटर स्कीम की कोई योजना नहीं बनाई जाती है तो वहाँ पर पेयजल का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा। इसका उल्लेख मैंने पूर्व में भी किया। निश्चित रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना उत्तर भाषण देंगी तो इन बिन्दुओं का अवश्य ही समावेश करेंगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर जी अब समाप्त करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साथियों ने फैसला लिया है कि प्रत्येक सदस्य 2–2 विषयों पर बोले और जिससे ठोस सुझाव सरकार के पास जाए। इसलिए मुझे केवल उद्योग एवं खेती पर ही बोलना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दो विषयों पर बोलने के लिए आप मुझे पर्याप्त समय देंगे। किसी भी सरकार की कार्य कुशलता का आंकलन प्रदेश में सड़कों, बिजली, पानी, खेती उद्योग तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं कानून व्यवस्था और आम जनता की समस्याओं में आई कमी से किया जाता है। यदि इनमें थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो यह माना जाता है कि सरकार द्वारा समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उद्योगों के बारे में जिक्र किया गया है। मान्यवर, माननीय नेता सदन भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उद्योग नीति के बारे में कुछ विचारणीय बिन्दुओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति मात्र केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल एवं उत्तरांचल को करों में दी गई छूट ही है। प्रदेश द्वारा अपनी तरफ से इस नीति के प्रति कुछ नहीं जोड़ा गया है।

मान्यवर, मैं विकास के हित में कुछ आवश्यक बिन्दुओं को चिन्हित करना आवश्यक समझता हूँ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री बुजुर्ग अनुभवी नेता हैं।

मान्यवर, यहां के उद्योगों से सम्बन्धित एक वाद जो उच्च न्यायालय नैनीताल में उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा दी गई छूट को चैलेंज करते हुए किया है।

मान्यवर, केन्द्र सरकार का कोई वकील तारीख में नहीं आता, अपने प्रदेश के वकील ने केस दर्ज होते समय उसका विरोध नहीं किया अब मार्च में उच्च न्यायालय में तारीख लगी है, हार जाने पर प्रदेश का समस्त पेपर उद्योग उजड़ जायेगा।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, इसे इलाहाबाद ने किया या नैनीताल ने?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, नैनीताल ने। सरकार के एडवोकेट ने रिट लगाने में आपत्ति नहीं की इसलिए यह तत्काल हो गया। मान्यवर, यहां पर लगे हुए 20 से 25 उद्योग इस समय अपने माथे से पसीना पोंछ रहे हैं, कोर्ट में तारीख लगी हुई है, किसी भी दिन आदेश आ सकता है। मान्यवर, प्रदेश में औद्योगिक घरानों से जो उद्योग लगाने के प्रस्ताव आये हैं। ये उद्योग हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पंतनगर, देहरादून, कोटद्वार में लगने बताए गऐ हैं। मान्यवर, सम्भवतः इन पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। मान्यवर, महामहिम के बजट भाषण के क्रम संख्या 21 में लिखा हुआ है कि हरिद्वार में प्रथम चरण में 1150 एकड़ क्षेत्र लिया गया है। मान्यवर, 630 एकड़ भूमि में 600 इकाईयों को 750 से अधिक भूखण्डों का आवंटन किया गया है, अगर 600 इकाई 750 भूखण्ड में बांटी जाय तो एक के मात्र 0.1 एकड़ भूमि एक के हिस्से में आती है। इनसे दो हजार करोड़ से अधिक पूंजीनिवेश की अपेक्षा करना सर्वथा अकल्पनीय है। मान्यवर, या तो यह गलत लिखा गया है, या मैं ही इसे गलत पढ़ रहा हूँ।

मान्यवर, पंतनगर में 3400 एकड़ भूमि को पहले सरकार द्वारा ली गयी है, इसमें से प्रथम चरण में 1500 एकड़ भूमि विकसित की जा रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान तक 102 इकाईयों की स्थापना हेतु 220 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। मान्यवर, इस प्रकार 2.16 एकड़ भूमि प्रति इकाई आती है। मान्यवर, इससे 400 करोड़ के विनियोजन की अपेक्षा करना कैसे संभव है? मान्यवर, यह भी या तो गलत छपा है या मेरे समझने में गलत हो रहा है। मान्यवर, अभिभाषण पुस्तिका के पैरा नं0 22 में भावर में ग्रोथ सैन्टर की स्थापना लगभग 100 एकड़ भूमि में रु0 16.85 करोड़ की लागत से की जा रही है। मान्यवर, 100 एकड़ भूमि पर 16.85 रु0 लगाना आसान नहीं है। मान्यवर, क्रम संख्या 23 में राज्य में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए विगत वर्ष के लक्ष्य 6000 के सापेक्ष 7000 कर दिया गया है, यह क्या चीज है?

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इसका अध्ययन कर लिया जाय, यदि यह गलत छपा है तो ऐसी गल्तियाँ नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, क्रम संख्या 24 में लिखा है कि काशीपुर तथा जसपुर की बन्द कताई मिलों के कार्मिकों के वी0आर0एस0 मामलों में से अब तक रु0 35 करोड़ की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। इसके उपरान्त इन मिलों को निजी निवेशकों के माध्यम से चलाये जाने का प्रयास किया जा रहा है, यह अच्छी बात है। इस प्रयास के लिए हमारे मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में पैरा संख्या 26 में सरकार ने मदिरा अवैध व्यापार होना स्वीकार किया है और यह लिखा है कि 13 चौकियाँ स्थापित की हैं, क्या इससे मदिरा की तस्करी रुक गई है? मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि मदिरा पाऊचों की पहले तस्करी जीपों एवं कारों से हुआ करती थी और आज ट्रकों में हो रही है, कारण मदिरा के प्रति बनाई गई पॉलिशी में कहीं न कहीं ढील है। मान्यवर, पैरा संख्या 29–30 में औद्योगिक संस्थाओं का जिक्र किया गया है। मान्यवर, आई0टी0आई0 में 1971 में मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल एवं ऑटोमोबाइल के संयत्र देकर चलाया गया था, यह सारे टूल टूटे हुये हैं और यह इतने पुराने हैं कि उनके द्वारा किसी भी बच्चे को शिक्षा दिये जाने से मैं तो कहूँगा कि उनको और पीछे ले जाने की बात है, वहाँ पर नये टूल होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। चर्चा जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जाए।

(प्रतियाँ वितरित की गई)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी आप अपनी चर्चा आगे जारी करें।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, वहाँ पर 1991 में कम्प्यूटर दिये गये थे वह 14 साल पुराने कम्प्यूटर हो गये हैं और उनसे टाइपराइटर का काम भी नहीं लिया जा सकता है। मान्यवर, मैं

सरकार का ध्यान जमीन के वर्ग 4 पर दिलाना चाहूँगा, तीन साल से कांग्रेस की सरकार है, उस दिन से ही किसानों की जमीन को नियमितीकरण किये जाने की मांग कर रहा हूँ और हमेशा किसान अपनी इस मांग को रखते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इसमें नहीं है। मान्यवर, चकबन्दी के मामले में बताना चाहता हूँ कि यदि सरकार इस प्रदेश में चकबन्दी को रोककर बन्दोबस्त कार्य करा ले तो समस्या का समाधान हो जायेगा, लम्बे समय से बंदोबस्त न होने से चकबन्दी करना मुश्किल हो गया है। मान्यवर, अनाज की मंडियों में सरकारी कांटे तब लगते हैं जब किसान औने-पौने दामों पर अपना अनाज आढ़तियों को बेच चुके होते हैं।

मान्यवर, नहरों से अपासी के बहाने किसानों को सरकार द्वारा लूटा जा रहा है, जिन किसानों के खेतों तक पानी पहुँचता भी नहीं है उनसे कमान्ड एरिया कह कर अपासी वसूली जाती है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, मैं डीजल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा में इस पर टैक्स कम है जब कि हमारे उत्तरांचल में यह टैक्स 21 है और रेट 28 रु० 22 पैसे हैं। मान्यवर, इससे उत्तरांचल के किसान और ट्रान्सपोर्ट वाले इसकी मार झेल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर सरकार ध्यान दे। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मान्यवर, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जो दिया जाय, किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है। मान्यवर, उत्तरांचल का नाम ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर रखा जाय। पिछले दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस के दौरान सभी माननीय सदस्यों ने गौर किया होगा कि जब-जब राज्य के नाम की बात आती है तब-तब सदस्यों की वाणी से उत्तराखण्ड ही निकला। मान्यवर, राज्य के नाम का सवाल संस्कृति और अखण्डता से जुड़ा है इसका नाम उत्तराखण्ड होना चाहिए। उत्तरांचल की स्थायी राजधानी गैरसैंण करने की बात थी। मान्यवर, जब उत्तरांचल के साथ-साथ झारखण्ड और छत्तीसगढ़ बनाये तो उनकी स्थायी राजधानी बनायी गई लेकिन उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून बनायी गई जिससे जनता में रोष व्याप्त है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह की सरकार ने इसके लिए कौशिक समिति का गठन किया जिसमें 6 सदस्य थे। जिसमें कि श्री राम शंकर कौशिक जी के साथ उत्तरांचल सचिव और अन्य सचिव भी थे जिन्होंने उत्तराखण्ड का सर्वेक्षण किया, इसमें उत्तरांचल की 67 प्रतिशत जनता ने अपना मतदान किया।

अतः मैं कहना चाहता हूँ कि जिन दिनों राज्य आन्दोलन की लड़ाई चल रही थी तमाम लोगों द्वारा इस आन्दोलन को तोड़ने के प्रयास किये जा रहे थे। मान्यवर, तब 1982 में बागेश्वर में उत्तरांखण्ड दल ने अपना ब्लू प्रिन्ट जारी किया जिसे जनता ने स्वीकार किया। मान्यवर, इसके साथ ही मोतीलाल बोरा जी ने साढे सात लाख रुपया अवमुक्त किया। मान्यवर, पूर्व सरकार ने अदूरदर्शी निर्णय लेते हुये उस गलती को दोहराते हुये एक सदस्यीय दीक्षित आयोग का गठन किया और यह सरकार उसका कार्य काल बढ़ा रही है और जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है।

मान्यवर, मेरा कहना है कि अविलम्ब राजधानी घोषित की जाय। राज्य आन्दोलन के दौरान घायल और यातनायें सहने वाले आन्दोलनकारियों को स्वतंत्रता आन्दोलनकारियों की भाँति सम्मानित करना चाहिए।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया कि उत्तरांचल में बड़े उद्योगपति आ रहे हैं यह अच्छी बात है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि यहां बड़े उद्योग लगाये जायें, यह तो तराई भावर तक ही सीमित हो जाते हैं। मान्यवर, सरकार यदि भूल रही हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तक गांव-गांव में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल नहीं फैलाया जायेगा तब तक यहां के लोगों का भविष्य अंधकारमय ही रहेगा। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना सरकार ने शुरू की है, लेकिन इसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर, राज्य गठन के 4 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी भी गांवों में पेयजल स्रोत होने के बाद भी पेयजल की व्यवस्था आज भी अधूरी है। मान्यवर, द्वाराहाट में 18 ग्राम सभाएं हैं। इन्होंने एक खीरोघाटी व संघर्ष समिति भी बनाई है और आमरण अनशन भी किया है। सरकार के द्वारा इस पेयजल योजना को शीघ्र बनाने का आश्वासन भी दिया गया था। आज 2 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस योजना का पता नहीं है। अभिभाषण में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। पर्यटन के नाम पर अभिभाषण में नया कुछ भी नहीं है। नैनीताल अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया, मसूरी अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया, रानीखेत अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया, हमारी सरकार द्वारा नये स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है। मान्यवर, अच्छा होता कि दुनागिरी, द्वाराहाट, पाण्डखोली, तड़ागताल,जौरासी, बैजनाथ, मानिला, चौखुटिया को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाता।

मान्यवर, जो उद्यान बाहरी लोगों को लीज पर दिये गये हैं यदि वे स्थानीय लोगों को दिये जाते तो इससे बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर करने में मदद मिलती। मान्यवर, उत्तरांचल में 80 प्रतिशत जनता परिवहन हेतु सड़कों पर निर्भर है। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि सम्पत्ति के बंटवारे में हमें पुरानी बसें मिली हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ बसें पूर्व में चला करती थी, जिन्हें अब बन्द कर दिया गया है। मैं मांग करता हूँ कि उन्हें फिर से चलाया जाये। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुये संशोधनों पर बल देता हूँ।

श्री सहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल प्रदेश में 3 जिलों में गन्ने की उपज पैदा होती है और गन्ना किसान कई सालों से परेशान हैं। यह साल गन्ना किसानों के लिए माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही अच्छा साल था। लेकिन आज गन्ने का रेट 200 रुपये होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 22 रुपये में चीनी है और शीरा 450 रुपये बिक रहा है। गन्ना मिलें 3 सालों का बकाया अभी तक नहीं दे पाये हैं। जो गन्ना सेन्टर पर उतर रहा है उसका 120 रुपया दिया जा रहा है और नम्बर–2 की ट्राली को 150 रुपये में खरीदा जा रहा है। यह बहुत शोषण की बात है, जो 2 नम्बर से गन्ना दे रहा है वह 150 रुपये में ले रहा है जब कि जो किसान उनसे बंधा है उसे 120 रुपया ही दे रहे हैं।

हरिद्वार जनपद में चकबन्दी किसानों के लिए बहुत ही घातक रूप धारण कर चुकी है। मान्यवर, 15–20 साल से वहां पर चकबन्दी चल रही है, वह आज तक पूरी नहीं हुई है। उसका कोई निर्धारण नहीं हो पाया है, मान्यवर, वहां पर चक का एलाटमेंट कर दिया गया है और जमीन नहीं मिली है, कहीं–कहीं पर तो जितनी जमीन नहीं है उससे ज्यादा चक काट दी गई है और किसान 10–15 सालों से मुकदमा लड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहादुरपुर सैनी, बढ़ेडी राजपुतान, शाहशाह और दौलतपुर ऐसे चार गांव हैं जिनका आज तक सीमांकन नहीं हुआ है। इस ओर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मान्यवर, वहां पर एक किसान है, प्रीतम सिंह उसका नाम है, वह 10 साल से मुकदमा लड़ रहा है। (व्यवधान)

मान्यवर, एक मंत्री जी का भी नाम है, आप अपने नाम की वजह से उस गरीब की मदद कर दें। मान्यवर, दूसरी बात है वक्फ बोर्ड की, जिसका मैं सदस्य भी हूँ। आज वक्फ की जमीनों पर धड़ाधड़ कब्जे किये जा रहे हैं। अभी रामगढ़ में रामगढ़ के पास वक्फ की 6 एकड़ जमीन में बिल्डिंग बनाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

रामगढ़ के पास रामगढ़ में?

श्री सहजाद–

मान्यवर, यह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, शायद आपके विधान सभा क्षेत्र में भी हो, वहां पर वक्फ की 6 एकड़ जमीन में एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, मैंने इस सम्बन्ध में वक्फ के सदस्य के नाते सूचना जाननी चाही तो मुझे आज तक वह सूचना नहीं मिली है। इसके लिए कोई प्रयास किया जाना चाहिए। मान्यवर, हरिद्वार की बात करें यह शिवालिक पहाड़ की तलहटी में बसा है और काफी नदियों का यहां पर जमावड़ा है, पिछली बार एक–दो बारिश ज्यादा हो गई तो पूरे क्षेत्र में पानी भर गया

और एक पोर्शन कट गया, तो वहां पर बांध की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछली बार इस पर एक आश्वासन भी आया था। मान्यवर, बिहारीगढ़ से हरिद्वार आने के लिए लोगों को छुटमलपुर के रास्ते करीब 80 किलोमीटर का फासला तय करके आना पड़ता है यदि यहां पर हरिद्वार से बिहारीगढ़ का बाईपास बन जाये तो लोगों को सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री सहजाद–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, कोटा नूरनगर जाने के लिए बीच में कांसरों नदी पड़ती है, उससे 50 गांवों का सम्पर्क हो सकता है यदि वहां पर एक पुल बन जाय। मान्यवर, पिछले साल नलकूपों का बंटवारा हुआ तो हरिद्वार जनपद में मात्र 100 या 150 हैण्ड पम्प ही आये जो कि बहुत कम हैं। हरिद्वार में स्वजल परियोजना भी चल रही है परन्तु वहां पर विधायकों को इसमें हैण्ड पम्प नहीं दिये गये हैं। मेरा अनुरोध है कि हर विधायक को 50 हैण्डपम्प देने चाहिए, यह उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। तो यहां पर भी मिलने चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें, अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री सहजाद–

मान्यवर, बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के सम्मान में जगह–जगह पर शहीद स्मारकों का निर्माण व लोकार्पण कर रही है। इस प्रकार हमारी सरकार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मानित कर रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन से जुड़े हुए जो आन्दोलनकारी हैं, उनको राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाय। मैं अपनी सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान जो आन्दोलनकारी 7 दिन से अधिक जेल में रहे उनको सम्मानित करने के लिए उनको सेवायोजित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2005–06 के लिए जो वार्षिक योजना है, उसमें वृद्धि करते हुए 2700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसके लिए हमारी सरकार

बधाई की पात्र है और मैं खास तौर पर परम आदरणीय पं0 नारायण दत्त तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात आती है, हमारी सरकार ने इसको रोकने के लिए लोकायुक्तों की नियुक्ति के माध्यम से पहल की है। मान्यवर, पहली बार उत्तरांचल को यह गौरव हासिल हुआ है, पूरे देश के लोकायुक्तों का जो 3 दिवसीय सम्मेलन यहां पर हुआ, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका समापन किया गया। यह अपने आप में बहुत बडी पहल है। निश्चित रूप से हमारी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को समाज से हटाने का जो प्रयास किया गया है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन की जो शुरूआत हुई थी, मैं इसके परिप्रेक्ष्य में अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि दीक्षित आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी हिमालयी क्षेत्र के राज्य हैं, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अन्य कोई पर्वतीय राज्य हो, उनकी राजधानी अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य का जो आन्दोलन हुआ था वह गैरसैंण को केन्द्र मानकर शुरू किया गया था। मान्यवर, कौशिक समिति की रिपोर्ट में भी इसकी संस्तुति की गयी है और दीक्षित आयोग द्वारा जो प्रारम्भिक रिपोर्ट दी गयी है, उसमें भी इसकी संस्तुति की गयी है। मेरा सुझाव है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय। जनभावनाएं भी रही हैं कि गैरसैंण को उत्तरांचल राज्य की स्थाई राजधानी बनाया जाय। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मैं अपनी सरकार को सीमान्त विकास प्राधिकरण का गठन किये जाने के लिए बधाई देता हूँ। यह जो सीमान्त विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है, यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन हो रहा है इस पलायन का मुख्य कारण शिक्षा, यातायात एवं चिकित्सा सुविधाओं का न होना है। सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी देश की सुरक्षा में द्वितीय पंक्ति के रूप में सीमाओं की रक्षा में तत्पर रहते है किन्तु फिर भी इन क्षेत्रों का समुचित विकास एवं सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। अतः मान्यवर, सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय प्राविधान किया जाये। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ खासतौर पर उद्योगों के लिए, सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से उद्योगों के विकास के लिए संवेदनशील है। मान्यवर, उत्तरांचल को हर्बल स्टेट बनाने की बात की जाती है। मेरा सुझाव है कि गोपेश्वर मण्डल में पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही जड़ी-बूटी संस्थान एवं विकास का जो मूल प्रारूप है उसके अनुसार इसका गठन किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, विगत तीन वर्षों से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार द्वारा चर्चा की जाती है। मान्यवर, इस अभिभाषण में सरकार के द्वारा एक तो इस प्रदेश के हितों के लिए योजनाएं बनाई जाती है। उनका जिक्र होता है और दूसरा जो योजनाएं पूर्व में की गई उनसे कितना लाभ इस प्रदेश की जनता को हुआ इसका भी जिक्र होता है। किन्तु उत्तरांचल की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर यहाँ का विकास नहीं किया जा रहा है। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के उत्थान के लिए कोई योजना नहीं है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी ही खराब है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, काशीपुर और हल्द्वानी में हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ प्रगति की है किन्तु सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में यदि आप ध्यान दें तो प्रसव के दौरान ही 50 महिलाओं में से एक महिला की मृत्यु हो जाती है या फिर पहाड़ से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह महिला चिकित्सीय सुविधाओं से वंचित रह जाती है। पिछली बार भी मैंने पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की पीड़ा को सदन के सामने रखा था और सुझाव भी दिया था उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए था। सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग आज प्राथमिक चिकित्सा से भी वंचित हैं। मान्यवर, जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, इनमें डाक्टर नहीं हैं, यह गम्भीर विषय है। यदि जो प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं इन्हें रोजगार देकर इनकी नियुक्ति इन खाली अस्पतालों पर कर दी जाय तो इससे जनता और इनको भी फायदा होगा और निश्चित रूप से कुछ हद तक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, परन्तु महामहिम के अभिभाषण में इस तरह की कोई योजना नहीं है। मान्यवर, यदि हम अवस्थापना सुविधाओं की बात करते हैं तो इसमें पर्वतीय क्षेत्र में यातायात की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मान्यवर, सुदूरवर्ती गांवों को सड़क से जोड़ा जाना चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास हो सकेगा। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने कहा हमने दो हजार करोड़ रु0 की स्वीकृतियां दी हैं। लेकिन तीन साल व्यतीत होने के बाद भी अभी तक दूरदराज के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, जो कि विचारणीय विषय है। मान्यवर, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 की स्वीकृति में कई सड़कें पूरी हुई हैं, कई सड़कों पर कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यह योजना वर्ष 2007 तक की है। इसके बाद इस योजना में बदलाव भी आ सकता है, इस मद का पैसा लैप्स भी हो सकता है। मान्यवर, निश्चित रूप से यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को 2007 तक नहीं जोड़ पायेगी।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूँ। मान्यवर, आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के 110 प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापक शिक्षा व्यवस्था है, जिसके कारण वे विद्यालय अधिकांश बन्द पड़े रहते हैं। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर कई विश्व विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। परन्तु विडम्बना यह है कि पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे इन स्कूलों में दाखिला पाने में असमर्थ हैं। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में तो एक भी महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण वहां के बच्चों को देहरादून, ऋषिकेश आदि जगहों पर एडमिशन में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि क्षेत्रीयता के आधार पर एडमिशन में 15 प्रतिशत की छूट होती है। जिसके कारण मेरे क्षेत्र के बच्चे यहां पर एडमिशन के लिए आते हैं तो उन्हें एडमिशन पाने में दिक्कतें आती हैं, कुछ का एडमिशन नहीं हो पाता है।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने रामनगर ईको पार्क प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कम्पनी को लगभग आठ सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि दे दी और ईको टूरिज्म पार्क का उद्देश्य होता है कि स्थानीय जनता को पर्यटन से जोड़ा जाए पर्यावरण से छेड़छाड़ किये बिना, परन्तु उनको जोड़े बिना वन भूमि लीज पर देने का कार्य हो गया। लेकिन उसको देखते हुये यह लग रहा है कि उसमें ऐसी कोई भी जनहित की भावना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पाँच सितारा होटल बनने का काम होगा जहाँ एक ओर अरबों की वन भूमि है, वहीं मान्यवर, मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय नेशनल पार्क आता है इसमें 40–50 गांव प्रभावित हैं, इनको हटाने के लिए सरकार का दबाव रहता है और यह कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय पार्क वन भूमि है और इसमें निर्माण नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हजारों एकड़ भूमि किसी प्राइवेट कम्पनी को दे सकते हैं तो जो गौहरी रेंज नेशनल पार्क में 40–50 गांव आते हैं उनके लिए भारत सरकार से कहें कि इस रेंज को राजा जी नेशनल पार्क से मुक्त करायें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। संशोधन के प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज वर्तमान सरकार सभी क्षेत्रों में विकास परक योजनाओं को लेकर चहुँमुखी विकास की ओर इस राज्य को ले जाने का काम कर रही है। मान्यवर, सूचना, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यटन, लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, सूचना संस्कृति इत्यादि सभी क्षेत्रों में सरकार का जो दृष्टिकोण है वह विकास परक है। हमारी सरकार के कार्यकाल में जो हमारे शहीदों का सपना था कि यह उत्तरांचल राज्य एक अच्छा राज्य बने, आज उनकी याद में हमने शहीद स्मारकों का निर्माण और शहीद परिवारों को और शहीदों को जिन्होंने राज्य निर्माण में भूमिका निभाई थी उनके परिवार के लिए सरकारी नौकरियों में समायोजन का कार्य कर रही है, इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ।

सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं और जहाँ तक इस प्रदेश में सड़कों के निर्माण की बात है तो निश्चित रूप से आदरणीय तिवारी जी के निर्देशन में, यह प्रदेश में 1337 करोड़ रूपये की लागत की 9086 किलोमीटर सड़कों और 192 पुल बनाने के जो निर्देश हैं वह विभिन्न स्थलों पर आज चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, यह आदरणीय तिवारी जी का ही नियोजन शिल्प है जिसकी वजह से 2005-2006 की जो योजना है वह 2700 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई है उसके लिए निश्चित रूप से मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूँ। मान्यवर, जब उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड निर्माण की बात चल रही थी तब-तब 2 राजनैतिक फैसले इस उत्तराखण्ड में लिये गये, एक फैसला लिया गया कि देहरादून को अस्थाई राजधानी बनाई जायेगी और दूसरा फैसला लिया गया कि नैनीताल में उच्च न्यायालय बनाया जायेगा। मान्यवर, दूसरा फैसला यह लिया गया कि नैनीताल के अन्दर उच्च न्यायालय बनाया जायेगा। ये दोनों फैसले लिये गये। नैनीताल में उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। लेकिन क्या वादकारी को सस्ता न्याय व न्याय के सिद्धान्त का प्रतिपादन हो रहा है इसको सोचना होगा। जब हम उत्तर प्रदेश के अन्दर थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच बनाने की बड़ी प्रबल माँग थी उसका कारण था दूरी का।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जसवन्त सिंह कमीशन 1981 में बना था, उसने कहा कि देहरादून में भी हाईकोर्ट की बैंच होनी चाहिए। मैं जब बार संघ का अध्यक्ष था, मैं उस समय तत्कालीन विधि मंत्री श्री जेटली जी से नैनीताल में मिला था। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। यह एक अहम मुद्दा है, दूरस्थ वादकारियों को नैनीताल में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, इस समय 1600 वकील देहरादून में हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय, नैनीताल की खण्डपीठ की स्थापना देहरादून में होनी चाहिए, चाहे वह देहरादून में बने या हरिद्वार में बने।

मान्यवर, देहरादून ख्याति प्राप्त शहर है, देहरादून की चार चीजें फेमस थी वह लुप्त प्राय हो रही हैं। चाय, चूना, चावल और लकड़ी ये चारों चीजें लुप्त होती जा रही हैं। आज हम देहरादून का विकास राजधानी के रूप में नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय शहर के रूप में करें। मान्यवर, यह शहर अपनी गौरव गरिमा खोता जा रहा है। देहरादून में ट्रेफिक जाम और सीवरेज आदि कई समस्यायें हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि तीन-तीन प्राधिकरण बनाये गये, ये तीनों विकास के लिए बनाये गये, हमें यह देखना है कि यह अपना काम कर रही हैं या नहीं? यह विकास के लिए बनायी गई थी अगर यह ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो इन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज देहरादून में बड़ी

मात्रा में जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह लोग बासमती उगा रहे हैं। उन्हें पौने सात लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी। मेरा कहना है कि जमीन का अधिग्रहण वहाँ होना चाहिए जो अनुपयोगी है। मान्यवर, बासमती से देहरादून का नाम पूरे विश्व में है। मान्यवर, अधिग्रहण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिग्रहण के मसले पर सरकार पुनर्विचार करे। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना अधिग्रहण करना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी में पूर्ण श्रद्धा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब श्रीमती इन्दिरा गांधी के आशीर्वाद से देहरादून के गरीब लोगों को छत देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। वे लोग आज भी नदी, नालों के किनारे बसे हुए हैं। आज देहरादून में लगभग 103 ऐसी बस्तियां हैं। इसमें से कुछ के पास पट्टे हैं और कुछ के पास नहीं हैं। ये लोग 15–20 सालों से वहां पर रह रहे हैं। कई बार इस बात का प्रतिवेदन आया कि उनको मालिकाना हक दे दिया जाये जिससे सरकार को आय भी प्राप्त होगी। यदि इन्हें मालिकाना हक दे दिया जाये तो इससे अतिक्रमण पर भी रोक लग सकेगी। जिसके पास मालिकाना हक होगा वह अन्य लोगों को अवैध कब्जा भी नहीं करने देगा। सरकार को मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देना चाहिए। आज देहरादून में सीवरेज, ड्रेनेज आदि की समस्या है। सीवर की समस्या के निदान के लिए देहरादून में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने चाहिए। अन्यथा पूरे शहर में गन्दगी फैलती रहेगी। इस शहर में जो यातायात की समस्या है, उसके लिए फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन इस अवधारणा पर आधारित था कि राज्य बनने के बाद पूरे प्रदेश में एक समग्र परिवर्तन पर आधारित व्यवस्था होगी, पर राज्य बनने के बाद वह परिवर्तन जिसकी अपेक्षा थी वह धूमिल होता नजर आ रहा है। सरकारी महकमों के दृष्टिकोण में जनता के प्रति परिवर्तन नहीं हो पाया है जनता को समर्पित, चुस्त प्रशासनिक तंत्र

की आवश्यकता है जिससे नव कार्य संस्कृति का सृजन हो सके। मान्यवर, जो मुद्दे राज्य बनने के साथ ही सुलझ जाने चाहिए थे वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं, चाहे राजधानी का मुद्दा हो, विकल्पधारियों का मुद्दा हो, मुज्जफरनगर में उत्तराखण्ड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की बात हो, आज तक ये मुद्दे अनसुलझे हैं। महामहिम के अभिभाषण में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है।

वर्ष 2005–06 की वार्षिक योजना का आकार बढ़ाकर 2700 करोड़ किया गया है। यह एक अच्छा कदम है। वार्षिक योजना का साईज बढ़ने से विकास योजनाएं लाभान्वित होंगी। इसके साथ–साथ मान्यवर, विकास और नियोजन का जो पिछला अनुभव है और जब साल के अन्त में मिला हुआ पूरा पैसा खत्म नहीं हो पाता है, जिससे उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। इसके साथ जो वित्तीय स्वीकृति दी जाती है, उसके सम्बन्ध में शासन द्वारा मैं समझता हूँ कि समीक्षा की जाती होगी, लेकिन मेरा सुझाव है कि इसकी क्वाटरली समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद उन अधिकारियों को जिन्हें यह कार्य कराना है उनकी जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए तथा उस समीक्षा को और उसके प्रगति के कार्य को इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को भी अवगत कराना चाहिए। यह बात ठीक है कि वार्षिक योजनाओं में वृद्धि हुई है परन्तु जो सबसे बड़ी बात है और मैं सदन में बार–बार उसे कहता रहा हूँ कि केन्द्रीय करों में से बाद में जो अनुदान हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए था, जो हिमालयी राज्यों का मिलता है, वह हमारे प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है, वह धनराशि आज भी हमें नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, जब हमारा नवोदित राज्य बना था तब तक 11वाँ वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका था परन्तु इस सरकार ने 12वें वित्त आयोग के सामने अपनी सारी बातें रखी होंगी। हमारे प्रदेश को भी केन्द्रीय करों में से जायज हिस्सा मिलना चाहिए।

मान्यवर, उत्तरांचल अलग होने के बाद, उत्तर प्रदेश से बंटवारे के बाद जो ऋण लाइबिलिटी भी हमारे हिस्से में आई है, मेरा सुझाव है कि उसमें भी विशेष राज्य के दर्जे के अनुपात में 90:10 का हिस्सा दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि हमारा थोड़ा ऋण भार कम हो सके। मान्यवर, बार–बार सरकार कहती है सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, अतः स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा, तो वह सब बातें नारों तक ही सीमित रह गई हैं। मान्यवर, यह योजना सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रह गई है जिनका अपना कारोबार है, इस क्षेत्र में सरकार में संकल्पबद्धता देखने को नहीं मिल रही है। मान्यवर, हमें लोगों की इन्टरप्रियनरशिप डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के बाद भी सी०डी० रेशियो ऋण जमा अनुपात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पा रही है।

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में कहा जाता है कि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है लेकिन यहां पर पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया और हमारे

प्रदेश में पर्यटन विशेषज्ञों की कमी नहीं है लेकिन इस परिषद् में इन विशेषज्ञों की अनदेखी की गई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस परिषद् में इन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए और इनके बगैर हम कुछ नहीं कर पायेंगे, इस क्षेत्र में अनुभवी लोगों की निरन्तर उपेक्षा के चलते परिषद् की भावना पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह चर्चा में सुनने को मिला और मेरी विधान सभा क्षेत्र में जितने भी हमारे सार्वजनिक सेवा के प्रतिष्ठान हैं, उनका निजीकरण कर उन्हें खत्म नहीं किया जाना चाहिए, इनका विस्तार होना चाहिए। मान्यवर, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम को मजबूत करने के बजाय लाभ में चलने वाले पर्यटक आवास गृहों को निजी हाथों में सौंपने का विचार किया जा रहा है जो कि निश्चित ही गैर जिम्मेदाराना बात होगी। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की भी नीति है कि केवल अलाभकारी सार्वजनिक इकाइयां जिन्हें चलाया जाना सम्भव नहीं है उन्हें ही निजी हाथों में दिया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मल्लीताल, नौकुचियाताल, सूखाताल आदि के जो टीआरसी हैं जो कि लाभ में चल रहे हैं उन्हें भी निजी हाथों में देने की बात हो रही है, यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि जो राज्य लोक सेवा आयोग की साक्षात्कार के द्वारा चयन की प्रक्रिया है, यह त्रुटिपूर्ण है। इसके चलते जो राज्य के फोर फर्स्ट क्लास हैं, जो नैट से क्वालिफाईड हैं, नेशनल इन्टरनेशनल जनरल में जिनका नाम है, उनको भी साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया है। मान्यवर, हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग, यू०पी०एस०सी० है, उसने भी इस त्रुटिपूर्ण पद्धति का परित्याग कर दिया है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह संवैधानिक संस्था है, हम इसका सम्मान करते हैं। संवैधानिक संस्था के सामने हमारी सरकार को यह प्रश्न रखना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। मान्यवर, नैनीताल हाई कोर्ट के बारे में कहना चाहता हूँ, मान्यवर, नैनीताल की जनता ने हाई कोर्ट की बहुत माँग नहीं की थी। राजधानी की बात आती है, तो अंग्रेजों के जमाने से नैनीताल राजधानी रही है। नैनीताल में राजधानी के लिए सबसे ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर है। जहाँ तक न्यायिक इतिहास की बात है, कुमाऊँ और गढ़वाल की सारी न्यायिक व्यवस्था पहले से नैनीताल में चलती थी। आजादी से पहले उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी न्यायिक पत्रावलियाँ यहाँ पर आती थीं। मान्यवर, जसवंत सिंह कमीशन की बात कही जाती है। मान्यवर, जसवंत सिंह कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उसमें नैनीताल और देहरादून में एक सर्किट बैंच बनाने की बात थी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खण्ड पीठ की बात कही गयी थी, लेकिन वह खण्ड पीठ आज तक नहीं बनी है।

मान्यवर, विकास प्राधिकरणों का जिक्र आया। मान्यवर, उप विभाजन के बाद नैनीताल में जो आवासीय क्षेत्र हैं, उनमें निर्माण पर रोक लगा दी गयी है, उसको

हटाया जाना चाहिए। मान्यवर, जो नैनीताल की नगर पालिका है, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश को भी मिलाकर देखें तो यह सबसे पुरानी नगर पालिका है, इसका बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, सरकार ने इसकी आमदनी के स्रोतों को बन्द कर दिया है। इसको शासन से जो अनुदान मिलता था, वह भी नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, फ्लोटिंग पॉपुलेशन तथा शिक्षण संस्थाओं में रहने वाले हजारों छात्र–छात्राओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, नैनीताल में पूर्व में विशिष्ट बी0टी0सी0 के 288 पद घोषित किए गए थे, लेकिन इनको घटाकर 150 कर दिया गया।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश काल से आज तक वन से सम्बन्धित जो कार्य है।, उनमें महत्वपूर्ण कार्य अनुपात नैनीताल वन का है। मान्यवर, वन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यालयों को हटाने की साजिश की जा रही है। मान्यवर, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन संरक्षक, का कार्यालय यहां पर खोला गया था। राज्य बनने के बाद से ही प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल और मुख्य वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के कार्यालय यहां पर खोले गये हैं। मान्यवर, उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूँ, यहां पर जो उद्योग लगाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनमें यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। नये उद्योगों के साथ–साथ जो पुराने उद्योग हैं, उनको भी शुरू किया जाना चाहिए। जैसे एच0एम0टी0 रानीबाग है, यह केन्द्र सरकार का है, केन्द्र सरकार से बातचीत करके इसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

*श्री मालचन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस अभिभाषण को देखने से मुझे ऐसा लगा कि पर्वतीय क्षेत्र के जो दूर–दराज के गांव हैं, जिस प्रकार सुनामी लहरों की बात श्री राज्यपाल के अभिभाषण में आयी, उसी प्रकार से जनपद उत्तरकाशी का जो मोरी नौगांव का बडियार क्षेत्र है, मान्यवर, विकास खण्ड मोरी में विगत वर्ष बहुत ही भयानक बाढ आई। मैं समझता हूँ कि यह आपके संज्ञान में होगी। मैंने वहाँ की जनता की पीडा को सदन के माध्यम से भी उठाया था और जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सर्वे भी किया गया। सौभाग्य से इस वक्त जनपद के प्रभारी भी यहां पर बैठे हैं। मान्यवर, पूर्व में जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तो उत्तरांचल के विकास खण्ड मोरी को अलग से बजट की व्यवस्था थी किन्तु आज विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जो गांव आते हैं वहा् के निवासी भूखे मरने की कगार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

पर हैं, वहाँ के किसानों की भूमि कट चुकी है, आने जाने के रास्ते बंद पड़े हैं, नहरें नहीं है और पुल एवं सड़कें भी नहीं हैं। बहुत ही विकट स्थिति बनी हुई है। मैंने वहाँ के लोगों की समस्याओं को इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी उठाया था और समाचार-पत्रों में भी छपा था। सुनामी लहर का जिक्र इस सदन में आया किन्तु मेरे क्षेत्र में ऐसी कुनामी लहर आयी कि पिछले वर्ष स्वास्थ्य उपचार न होने पर 18 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गाँवों में 4-5 फूट बर्फ गिरी हुई है, नैटवार क्षेत्र में जहाँ हजारों लोग निवास करते हैं उनके लिए व्यापार के रास्ते बंद पड़े हैं क्योंकि सारा माल नैटवार के रास्ते ही सप्लाई होता है। नौजवान व्यापारियों के रोजगार छिन चुके हैं क्योंकि उनका माल लाने एवं ले जाने की कोई सुविधा नहीं है, नैटवाड़ बाजार भूस्खलन से नष्ट हो गया है, उससे लगे जो अन्य चार गाँव हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। देई, मदाऊ, भौलाड, राणू, नौवाड आदि एवं वाडियार के चार गाँव हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है, उनको बचाने के लिए राहत पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं अपने जानवरों को चारा एवं बकरियों को पत्तियाँ खिलाने के लिए पेड़ पर चढ़ती हैं, यदि कभी दुर्भाग्यवश से वे पेड़ से गिर जाती है तो उनके मुआवजे के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया न ही महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र है।

मान्यवर, वर्तमान में ए0आई0वी0पी0 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जनपदों का वर्गीकरण किया गया है। मेरे क्षेत्र में रोपाई का काम भी नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र के करीब हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के लोग जब मेरे क्षेत्र में आते हैं तो कहते हैं कि आपके क्षेत्र में इतना सेब होने के बावजूद भी उसका व्यापार नहीं होता, आलू और सेब की हमारे क्षेत्र में बहुत पैदावार है, किन्तु वह सब सड़ रहा है क्योंकि विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मोरी को तहसील का दर्जा प्राप्त हो गया है किन्तु वहाँ की जनता को फिर भी अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से छुटकारा नहीं मिला है। मोरी के शकरी तालुक सड़क का समरेखण नहीं किया गया है। इसमें छोटी गाड़ियों का जिक्र नहीं हुआ है, समर्थन मूल्यों पर भी विचार नहीं किया गया है तथा इसके साथ ही भेड़ बकरियों के चरान-चुगान की तराई में सर्दियों में किसी प्रकार के परमिट की व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि अभिभाषण में इस बात को भी जोड़ा जाय कि जहां सड़कें नहीं हैं, वहां सड़कें बनायी जाय तथा जहाँ शिक्षा की मूल भूत सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मेरे विकास खण्ड "मोरी" की दुर्दशा को भी सुधारा जाय। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, जिसका प्रस्ताव माननीय हेमेश खर्कवाल जी ने रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में सभी मूलभूत सुविधाओं का जिक्र है। बिजली का जिक्र है, इस क्षेत्र में जगह–जगह डेम बन रहे हैं, ये डेम श्रीनगर में बन रहा है, देव प्रयाग में बन रहा है आदि अनेक डेम बन रहे हैं। मान्यवर, उत्तरांचल में पुराने जितने लकड़ी के खम्बे थे, वे अब चेंज हो गये हैं, इनके स्थान पर लोहे के पोल लग गये हैं, पुराने ट्रांसफार्मर बदले गये हैं।

मान्यवर, सड़क के बारे में कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछा दिया है। मान्यवर, हमें भागीरथी नदी के भी स्वच्छता पर ध्यान रखना होगा। मान्यवर, परिवहन, पर्यटन, सिंचाई, उद्यानीकरण कृषि के क्षेत्र में भी सरकार ने काफी प्रगति की है। खासकर जड़ी–बूटी के क्षेत्र में। मान्यवर, इन्दिरा जी के समय में पौड़ी में जड़ी–बूटी शोध संस्थान की स्वीकृति की गयी थी। मान्यवर, शोध संस्थान पौड़ी गढ़वाल सीना सैणा नामक स्थान पर खुलना चाहिए। वन विभाग के क्षेत्र में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो जंगलों में लकड़ी पड़ी–पड़ी सड़ जाती है, इसको नयी दिपान पद्धति के द्वारा इकट्ठा किया जाय, इससे राज्य की आय में वृद्धि होगी। जंगलों के कटान पर प्रतिबंध होना चाहिए यह हमारी बौद्धिक सम्पदा है।

मान्यवर, जब हम उत्तराखण्ड की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय एक नारा लगाया गया था– "आज दो, अभी दो।" मान्यवर, मैं भी खुद उत्तराखण्ड आन्दोलन के समय एक माह नैनी जेल में रहा। मान्यवर, इस उत्तरांचल की किस्मत से हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, इसलिए मैं अपने हाईकमान को भी बधाई देता हूँ, जिससे हमको बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री मिले, आप पुराने आदमी हैं, गहराई से सोचते हैं। मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप पारस हैं। मान्यवर, उत्तराखण्ड के आंदोलनकारियों के बारे में मैं सोचता था कि जब पिछली सरकार 9 तारीख को बनी तो वे आंदोलनकारियों को बुलायेंगे, पर ऐसा नहीं किया, यह हमारी कुण्ठा थी। मान्यवर, यह राज्य की लड़ाई थी। आज हम अपने घर में आ गये और ऐसे अनुभवी माननीय मुख्यमंत्री जी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात का सम्मान किया और आंदोलनकारियों के लिए घोषणा कर दिया।

मान्यवर, आज हर खेत में पानी भरा है और उस खेत में आनन्द आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तरांचल का बहुत सम्मान किया, आपको हजारों–लाखों लोगों का आशीर्वाद मिला। मान्यवर, अभी दो साल हैं देखिये आगे कितना विकास होगा। भगवान की कृपा होगी तो अगले पांच साल में भी काम होगा और मेरी भविष्यवाणी है कि अगले पांच साल में भी यह सरकार निश्चित है। मान्यवर, स्पेशल

कम्पोनेन्ट प्लान में तीन सौ करोड़ एस0सी0 के लिए है और 63 करोड़ रुपये एस0टी0 के लिए है। मान्यवर, गाँवों में 5–10 घर हैं उनके लिए बरात घर होना चाहिए और उनको सभी सुविधायें मुहैया होनी चाहिए (हंसी) मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो पैसा दिया जाता है वह उन्हीं पर खर्च किया जाय। मान्यवर, राजधानी के बारे में मेरी गुंजाईश बोलने की नहीं है, मगर मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ कि दो सौ साल पहले गुर्जर आते थे, वह जहाँ एक बार पड़ाव डालते थे वहाँ पर बस जाते थे। (हंसी) इसी के साथ मैं अपना बजट अभिभाषण समाप्त करता हूँ। जय हिन्द जय भारत।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम के दिशाहीन अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, अभी माननीय मंदरवाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी तो ऐसे हैं जिस गाड़ी पर उनकी निगाह पड़ जाय उस पर लाल बत्ती निकल जाती है। (हंसी) माननीय नेता सदन यहाँ मौजूद हैं, मैं गालिब का डेढ़ सौ वर्ष पुराना शेर कहना चाहता हूँ– 'तेरे वादे पर जिये हम तो ये जान झूठ जाना के खुशी से मर न जाते हम अगर एतबार होता।' मान्यवर, जब भी अभिभाषण सदन में पढ़ा जाता है तब लगता है कि यह राज्य स्वीटजरलैण्ड बन जायेगा। मगर जब आप कहते हैं कि यह शैशव अवस्था में है तो दुःख होता है। मान्यवर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शेरशाह सूरी को दो साल का समय मिला मगर उसने ग्रान्ट ट्रंक रोड बनायी और कई कार्य किये जबकि उसके ऊपर खतरे के बादल थे, मेरा कहना है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए।

मान्यवर, नेता सदन बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेवेन्यू सिस्टम है, वही सिस्टम है जो शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में लागू किया था। अकबर ने भी इसे ही लागू किया था। जब टैक्नोलॉजी नहीं थी, कम्प्यूटर नहीं था, तब उन्होंने 2 माह में इसे लागू कर दिया था तो आज यह काम क्यों नही हो सकता है? हमारी सरकार कहती है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, कब कम्प्यूटर लगेंगे। आप कम्प्यूटर लेना चाहे आज और लें, दो साल बाद तो आपको पी–1 के स्थान पर पी–4 लेना पड़ेगा। अभिभाषण में 3 साल से एक बात कही जा रही है कि स्मार्ट कार्ड, कम्प्यूटर प्रणाली आदि की व्यवस्था की जा रही है। 3–4 साल से आ रहा है कि देहरादून में आई0टी0 पार्क बनेगा। लेकिन कब? क्या यह 200 साल बाद देखने को मिलेगा? परम्पराओं का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। आपने भी कार्य स्थगन नहीं किया क्योंकि अभिभाषण के दौरान कार्य स्थगन की सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। मान्यवर, एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा।

श्री अध्यक्ष–

आप कह रहे हैं कि परम्पराओं का ध्यान नहीं रखा जाता है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने सरकार के बारे में कहा था, सदन के बारे में नहीं। एक पत्रकार ने एक बार मुझसे पूछा कि सत्र कब चलेगा तो मैंने कहा कि जब तक संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदन नहीं बुलाया जाता है। सरकार सदन बुलाना नहीं चाहती है।

मान्यवर, प्लानिंग कमीशन की बात आई है। हमारे मुख्यमंत्री जी वित्त विशेषज्ञ हैं। मान्यवर, 2200 करोड़ मांगे और 2700 करोड़ मिले। मान्यवर,एक बार एक देहाती व्यक्ति किसी दुकान पर गया और उसने कुछ सामान खरीदा तब दुकानदार ने बताया कि 12 रुपये हुए तो उसने कहा कि मैं तो 18 दूँगा। उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि 12 ज्यादा है या 18 ज्यादा हैं। हमारी सरकार को यह ज्ञान ही नहीं है। 2200 करोड़ मांगे और 2700 करोड़ मिले और हम खुश हो रहे हैं कि वित्त आयोग ने हमको ज्यादा दे दिया है।

अल्पसंख्यकों के बारे में पिछले अभिभाषण में कहा गया था कि हज हाउस बनाएंगे। दूसरे अभिभाषण में आया कि निर्माण शुरू हो गया है। मान्यवर, मैं सदन की जानकारी के लिए बता दूँ हज कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे अल्पसंख्यकों को कोई भला हो जायेगा, हज वही जाता है जो सम्पन्न हो। आप सम्पन्न की बात कर रहे हैं, गरीब की नहीं। मान्यवर, डोमोसाईल की बात आई है। लोकायुक्त के एक पत्र का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ जिसमें लिखा है कि "शासन स्थायी निवास प्रमाण पत्र को ग्रहण करने व जारी करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित नियमावली या स्पष्ट शासकीय आदेश जारी करने पर विचार करे ताकि इस विषय में विलम्ब, कुप्रशासन व भ्रष्टाचार का अन्त हो सके।" मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि लोकायुक्त महोदय भी इस बात को मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है।

मान्यवर, सिंचाई और कृषि का गाँवों में बुरा हाल है। सिंचाई के मुद्दे को आपने कार्य स्थगन में उठाने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन इन नहरों का मालिक उत्तर प्रदेश है और सिंचाई करता है हमारे राज्य उत्तरांचल का किसान, इन नहरों की सफाई के लिए हम डी0एम0 से लेकर सिंचाई सचिव से कहते हैं तो वह सफाई नहीं कराते क्योंकि मालिकाना हक उत्तर प्रदेश का है, रेवैन्यू आप ले लेते हैं, किसान यदि अपने आप रेता साफ करने लगता है तो जी0एम0वी0एन0 वाले कहते हैं कि इसकी रॉयल्टी लाओ। मान्यवर, इसी प्रकार गन्ने की बात है तो आपने यू0पी0 के साथ एम0ओ0यू0 साइन कर दिया 5 साल के लिए कि जहां आपका गन्ना है वहां आपका, जहां हमारा है वहां हमारा, लेकिन मान्यवर, 5 साल बहुत हैवी टाइम है, मान्यवर, कहीं मजबूत से भी एम0ओ0यू0 होता है।

इसी पर एक किस्सा आपको सुना रहा हूँ कि एक बार पटवारियों की ट्रेनिंग चल रही थी और वहां पर जैक्शन साहब कलेक्टर थे, तो उन्होंने एक पटवारी से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि पैमाइश का सही तरीका क्या है तो उसने कहा-''नो सर'' तो जैक्शन साहब ने बताया कि पैमाइश का सही तरीका यह है कि यदि सामने वाला कमजोर है तो उसका गला नापो और यदि मजबूत है तो अपना रास्ता नापो। तो मान्यवर, यह यू0पी0 तो हमारा गला नाप देगा। एम0ओ0यू0 यू0पी0 के साथ करके वह तो बहुत मजबूत है। सरकार की ओर से बार-बार कहा जाता है और यहां पर सदन में भी कहा जाता है कि 24 घण्टे बिजली दी जा रही है तो मान्यवर, यदि देहात में जाकर देखा जाय तो 12 घण्टे भी बिजली मुश्किल से आ रही है। माननीय नेता सदन के मेरे पिताजी शागिर्द रहे हैं और मेरे नाना आपके बहुत मुरीद हैं और मैं भी आपसे कई चीजें सीखने का प्रयास करता हूँ, आपने ही कहा था कि कुछ पुराने दस्तावेज भी पढ़ा करो तो मैं यह पुराने दस्तावेज पढ़ रहा हूँ।

महामहिम राज्यपाल बरनाला जी के अभिभाषण में लिखा था कि ''हर वर्ष 500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और 5 साल में यह 3000 मेगावाट भी हुआ। लेकिन इसमें कही गई बातें क्या 3 साल में पूरी भी हुई हैं? कोई बात पूरी नहीं हो रही है। एक बात और है कि सारे ऑफिसों में अधिकारियों और कर्मचारियों में यह बात होती है कि यह सरकार आ रही है, यह जा रही है आदि आदि। अखबारों को संज्ञान तो माननीय सदन नहीं लेता है, लेकिन सरकार में कितना कलह है इसको हमें चौराहों पर लोगों द्वारा बातचीत से ही पता चल जाता है, सरकार की लड़ाई चौराहों पर आम आदमी के माध्यम से सामने आ रही है। मान्यवर, पिछले 4 साल से एक ही अभिभाषण यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। यह ठीक है, क्योंकि जब कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो उसका पाठ्यक्रम नहीं बदलता है और उसी पाठ्यक्रम को वह फिर से पढ़ता है। वैसा ही इस सरकार के साथ हो रहा है, मेरी दुआयें और शुभकामनायें हैं कि आप इसी पाठ्यक्रम को पढ़ें पिछले साल यह अभिभाषण 57 पेज का था और इस बार 47 पेज का हो गया है, सिर्फ पन्नों की संख्या घट रही है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

काजी निजामुद्दीन-

मान्यवर, अन्त में मेरा कहना यह है कि जितने भी संशोधन यहाँ पर पेश किये गये हैं, उनका समावेश इस अभिभाषण में होना चाहिए, ताकि इस दिशाहीन अभिभाषण को दिशा मिल सके।

*श्री प्रदीप टम्टा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। श्री हेमेश खर्कवाल जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं, उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सरकार ने 3 साल में जो विकास की गति की और इस प्रदेश को बढ़ाया है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, 3 साल में 2700 करोड़ रुपये के बजट को हमने लिया है। निश्चित ही उत्तरांचल के विकास में इस सरकार ने जो आधार स्थापित किये हैं वह सराहनीय है। मान्यवर, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर और सितारगंज में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं जो आने वाले समय में मजबूत आधार बनेंगे।

मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में, हार्टीकल्चर के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को जड़ी–बूटी हर्बल के रूप में एक नया आधार देने की ओर हमारी सरकार जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया गया। पूरे उत्तरांचल का प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन किया गया। नई तहसीलें बनायी गयीं, यह भी विकास की नयी शुरुआत है। मान्यवर, आई०टी० और ऊर्जा क्षेत्र में आधार भूत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसे आगे बढ़ा रही है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, नेशनल हाई वे के बारे में हम जानते तक नहीं थे। आज पर्वतीय क्षेत्र में नये नेशनल हाई वे की शुरुआत हुई है। इससे आने वाले समय में यहां पर्यटन, कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। पर्यटन व्यवस्था को एक नया आधार दिया जा रहा है। पर्यटन को सिर्फ घूमने–फिरने से ही नहीं देखा जा रहा है, इसे किसानों की आय के रूप में भी देखा जा रहा है। पूरे राज्य में नये पर्यटन में केन्द्र बनाये जा रहे हैं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीतलाखेत है, ऐड़ादेव है, गढ़नाथ है, यह बहुत ही सुन्दर जगहें हैं। रानीखेत, कौसानी और अल्मोड़ा में पर्यटक आते हैं। अगर इन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा तो जो पर्यटक दो दिन के लिए रानीखेत और कौसानी में आते हैं, वह दो दिन और रुक जाएंगे। मान्यवर, कटारमल में सूर्यदेव का मन्दिर है, मेरा अनुरोध है कि इसके सौन्दर्यीकरण के लिए योजना बनायी जाय। हमारी सरकार ने वहां तक सड़क की मंजूरी दे दी है।

मान्यवर, हमारी यहाँ वास्तुकला का अच्छा इतिहास रहा है। मान्यवर, जागेश्वर है, बागेश्वर है, कटारमल है, यहाँ के जो मन्दिर हैं, इनकी वास्तुकला भी दर्शनीय है। इनको देखने से पता चलता है कि उत्तरांचल की वास्तुकला कितनी रिच रही है। कला के क्षेत्र में, आर्कीटेक्चर के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अग्रणी रहा है, इसके विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका विकास किए जाने की जरूरत है ताकि यहाँ पर बाहर से पर्यटक आ सकें और दो दिन के पड़ाव को 4 दिन तक बढ़ाया जा सके।

मान्यवर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ, दो चीजें हैं। यह सबसे कमजोर तबका है। दो चीजें इससे जुड़ी हैं। पहली तो भूमि की समस्या है। दूसरी, सरकारी नौकरी। रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। मान्यवर, कांग्रेस ने आजादी के दौरान भी और उसके बाद भी भूमिहीनों की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया तथा भूमिहीनों में भूमि का वितरण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर में रसा मालधन का बड़ा अच्छा उदाहरण है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको बढ़ावा दिया है। मान्यवर, माओवादियों पर सरकार की चिन्ता जायज है। वामपन्थी, चरम पन्थी आन्दोलन सामने आया। नैनीताल में जब पहली बार यह समस्या सामने आयी, तो वहाँ के एस0पी0 ने, जिन लोगों ने वहाँ पर जमीन ली थी, वहाँ रह रहे थे, उनका परीक्षण कराया और उन्हें ऊधमसिंह नगर भेज दिया। ये लोग ओखलकांडा और नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्र से आये भूमिहीन थे। ऊधमसिंह नगर के एस0पी0 ने कहा कि ये लोग वामपंथी आन्दोलन से जुड़े हुए हैं। इस समस्या को आज लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या मानने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें भूमि के वितरण का आन्दोलन भी चलाना होगा, तभी इस समस्या का स्थायी समाधान होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, भूमि वितरण पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। काशीपुर में 1200 एकड़ में जो एस्कार्ट फार्म है उसमें कई लोगों का अवैध कब्जा है उसका वितरण होना चाहिए। इसी तरह से तराई भाबर क्षेत्र में कई लोगों का वहाँ पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जा है। यदि इन जमीनों को अवैध कब्जा करने वालों से नहीं लिया गया तो जो कमजोर आदमी है वह क्या करेगा? उसके लिए मात्र आन्दोलन ही एक रास्ता बचता है, वही उसका हथियार है और कभी–कभी यह हिंसक रूप ले लेता है। यह लॉ एण्ड आर्डर का विषय नहीं है। सरकार भूमि वितरण की समस्या का कुशलतापूर्वक हल निकालेगी और इसे गम्भीरता से लेगी। माननीय नेता सदन का भूमि हीन आन्दोलन के साथ काफी जुड़ाव रहा है। मैं आशा करता हूँ कि वे स्वयं इसको देखेंगे कि जो भूमिहीन हैं उनको भूमि मिले। सैकड़ों एकड़ शिलिंग की भूमि पर भू–माफियाओं का कब्जा है, वे इस भूमि को इससे मुक्त करायेंगे। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए काफी प्रयास किया है और हमारी सरकार उनके उत्थान के लिए कटिबद्ध भी है और सारे विपक्ष के साथी हो या पक्ष के वे भी चाहते हैं कि इनका विकास हो। फिर भी मैं दो–तीन बातों को सुझाव के रूप में आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। करीब पाँच हजार पद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए खाली पड़े हैं उनकी भर्ती के लिए जिस प्रकार से स्वर्गीय राजीव गाँधी जी ने योजना चलाई थी विशेष भर्ती योजना इसको चालू किया जाए। मान्यवर, आप बहुत से लोगों को उत्तरांचल में रोजगार देंगे लेकिन जो कमजोर तबका है, उनके नौकरी के हक को पूरा करें।

मान्यवर, उत्तरांचल में विश्वविद्यालयों एवं प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रवक्ताओं के पद हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता में शिथिलता प्रदान की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवान भाई हैं वे भी समाज एवं देश के विकास के बारे में सोचते हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की माँग है कि यू0जी0सी0 द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर उन्हें पाँच प्रतिशत अंकों की छूट दी जाती है उसी तरह से राज्य सरकार को उत्तम शैक्षिक अभिलेख के लिए उन्हें 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करें। पूर्व में उत्तर प्रदेश में यह सुविधा सभी लोगों को प्राप्त थी। हमारी सरकार ने 135 पद प्रवक्ताओं के अनुसूचित जाति और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए सृजित किये हैं। हमारी सरकार की मंशा भी है कि इन पोस्टों को भरा जाए। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यू0जी0सी0 द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है उसी तरह से राज्य सरकार को भी उत्तम शैक्षिक अभिलेख के लिए 5 प्रतिशत की छूट दें। इस सम्बन्ध में पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी सरकार को पत्र लिखा है जिसकी चंद लाईन मैं पढ़कर सुना देता हूँ "यदि राज्य आरक्षित पदों को भरने में अभिरूचि रखती है तो उसे निर्धारित मानकों में शिथिलता देनी आवश्यक होगी तथा इण्टर व स्नातक स्तरों पर 5 प्रतिशत प्राप्तांकों में छूट देना। अर्थात् इण्टर में कम से कम 45 प्रतिशत, स्नातक में 45 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए अर्ह होने चाहिए। यदि यह छूट न दी गई तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद रिक्त ही रहेंगे।" मान्यवर, अर्ह होना चाहिए, यदि यह छूट नहीं दी गयी तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के पद रिक्त रहेंगे।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे कल आदरणीय राणा जी ने कहा था कि रोस्टर में एस0टी0 का स्थान 24वां है, मैं चाहता हूँ कि यह स्थान 24 से पहले आये। मान्यवर, रोस्टर में एस0सी0 का क्रमांक एक है, शायद अब इसे बदलने की बात कही जा रही है, मेरा अनुरोध है कि इसे न बदला जाय, इसे इसी क्रम में रखा जाय, इसे छठवें स्थान पर न रखें। मान्यवर, अभी 85वां संविधान संशोधन प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। मान्यवर, इससे परमोशन में एस0सी0 के लोगों को फायदा होगा। (व्यवधान) मान्यवर, यदि केन्द्र सरकार इसे लागू करती है तो, इसे राज्य सरकार भी लागू करे ऐसा मेरा अनुरोध है। अन्त में मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर, जो माननीय हेमेश खर्कवाल जी ने रखा है, पर बोलने का अवसर प्रदान किय। जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके- लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि मैंने पहले भी सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि समय का ध्यान रखें। परन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने इसका ध्यान नहीं रखा। लगभग सभी सदस्यों ने 15 से 20 मिनट लगाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, आपने पहले भी कई बार कहा है कि आपको बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मौका दिया है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है, सभी माननीय सदस्यों को पांच-पांच मिनट का समय दिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)-

मान्यवर, केवल प्रतिपक्ष के सदस्य ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी बोलना चाहते हैं। कृपया सभी को पांच-पांच मिनट का समय दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले भी सभी माननीय सदस्यों से समय सीमा के बारे में ध्यान रखने का अनुरोध किया था। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है तो उत्तर देने का समय आ जायेगा। परन्तु मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाय। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, 5-5 मिनट दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तरफ से एक नाम आ जाये तो मैं उन्हें बोलने का मौका दे दूँगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी तक तीन लोगों ने ही बोला है।

श्री अध्यक्ष–

काफी बोल चुके हैं, सार आ गया है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मुझे आप भले ही अनुमति न दें, लेकिन प्रतिपक्ष के लोग अपनी बात चर्चा के समय ही रखना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि सबको समय दे दें।

श्री अध्यक्ष–

सत्ता पक्ष के लोगों को भी नहीं समय मिलता है, समय जा रहा है आप पांच मिनट बोल लें।

*श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की चर्चा में मौका नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा?

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। मा० ऐरी जी आप बोलें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपका आभार व्यक्त करने के बाद मैं कह रहा था कि जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह महामहिम राज्यपाल जी का चौथा अभिभाषण है जिसमें महामहिम राज्यपाल जी अपनी सरकार द्वारा किये गये कार्यों और आने वाले समय में किये जाने वाले कार्यों से माननीय सदन को अवगत कराते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि हम सभी सम्मानित सदस्यगण और सरकार मिलकर प्रदेश के विकास के लिए एक नया वातावरण पैदा कर एक रचनात्मक सोच रखें और जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है तो हम सब मिलकर उन सबकी आशाओं के अनुकूल कार्य करें, यह महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से मालूम होता है, मैं पैरा दु पैरा बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, लेकिन मोटे तौर पर जो माननीय साथियों ने कहा है कि उसमें उस सद्भावना का, उस विचार का प्रतिवादन व्यवहारिक रूप से नहीं दिखाई दे रहा है।

मान्यवर, मैंने पिछले अभिभाषण में एक कहानी सुनायी थी उस कहानी का आखिर में सार यह निकला कि– "हिसाब किताब ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं इस कहानी को दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रगति नहीं हुई है, विकास नहीं हुआ है, लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। मान्यवर, यह सबसे बड़ा उदाहरण है हमने राज्य स्थापना की चौथी वर्षगांठ मनायी, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि वह आयोजन केवल सरकार तक ही आयोजित हो सका। मान्यवर, आम जनता में खुश होने की बात उसके जेहन में नहीं आयी, कारण यह कि राज्य बनने के चार साल बाद भी पहाड़ का विकास नहीं हो पाया। माननीय नेता सदन यहीं बैठे हैं, यह चिन्ता का विषय है और चिन्तनीय है, इसलिए मैं हृदय से यह बात कह रहा हूँ। मान्यवर, चार साल का समय कम नहीं होता है। मान्यवर, अमेरिका में राष्ट्रपति चार साल के लिए चुने जाते हैं। वह चार साल में देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास करता है, देश ही नहीं वह दुनियाँ की भी तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश करता है।

मान्यवर, कल इसी सदन में एक प्रश्न बंटवारे के सम्बन्ध में आया था, परिसम्पित्तियों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया, चिन्ता सबकी है। लेकिन यह बात जरूरी है कि हमारी राज्य की जनता किसी सरकार को किसी पार्टी को माने न माने उसको अपनी समस्याओं से कब निजात मिलेगी? यह हम लोगों के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। जनता को क्यों एहसास नहीं हो रहा है कि हमारा राज्य बना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गयी है, हमारी बेरोजगारी दूर हो गयी है। यह एहसास जनता को नहीं हो पा रहा है, हम यहाँ बैठे हैं हमको इसकी चिन्ता होनी चाहिए। मान्यवर, राजधानी के बारे में कहूँगा कि हमारी शुरूआत ही गलत हो गयी, अस्थायी राजधानी का चयन ही गलत हो गया। मान्यवर, जिस शहर को सीनियर सीटीजन सिटी कहते थे अपने आप में। श्री दिनेश अग्रवाल जी ने अभी कहा कि राजधानी बने न बने देहरादून का विकास होना चाहिए, जो यहाँ की आधारभूत जरूरतें हैं उनका विकास होना चाहिए, यह शहर तो विकसित होना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, राज्य की तो शुरूआत ही गलत हो गई। मान्यवर, होना यह चाहिए था कि राजधानी की घोषणा, स्थाई राजधानी की घोषणा हो जाती। तब तक के लिए आप चाहे देहरादून में अपना काम निपटाते, दिल्ली या लखनऊ में मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन कहा गया कि चुनी हुई सरकार स्थाई राजधानी का चयन करेगी। इसके लिए आयोग गठित कर दिया गया। माननीय नेता सदन यहां पर सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी है। मान्यवर, आज तक मेरे संज्ञान में किसी राज्य का ऐसा मामला नहीं आया जिसमें स्थाई राजधानी के चयन के लिए आयोग का गठन किया गया हो। उत्तरांचल के साथ ही 3 अन्य राज्य भी बने थे और उनकी राजधानी का चयन राज्य बनने के साथ ही कर दिया जबकि उत्तरांचल को एक षडयंत्र कहें या जान बूझकर कहें अस्थाई राजधानी का विकल्प दे दिया गया। आज इससे विवाद की स्थिति पैदा हो गयी है। आयोग बना और आयोग का विरोध हुआ, तो वह ठण्डे बस्ते में चला गया।

मान्यवर, हाइबरनेश एक शब्द है। हाइबरनेश में इसे जिन्दा रखा गया। इस सरकार को सबसे सही यही लगा कि आयोग को हाइबरनेश से बाहर निकाला जाये। 4 साल से लगातार आयोग ही आयोग है उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। आप भी मान्यवर, इससे सहमत होंगे, यह एक सच्चाई है जिस किसी मसले को ठण्डे बस्ते में डालना हो उसके लिए भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक परम्पराओं में यह बात सत्य साबित हो गई है कि उसके लिए आयोग गठित कर दिया जाये। मान्यवर, इस प्रदेश की जनता चाहती थी कि हमारे राज्य की स्थाई राजधानी बने। इसका नतीजा यह हुआ कि आन्दोलन शुरू हो गये, आमरण अनशन शुरू हो गये और बाबा मोहन सिंह उत्तराखण्डी की शहादत हो गयी। मान्यवर, इस सदन में मा0 मन्द्रवाल जी जैसे कुछ गांधीवादी नेताओं ने आन्दोलनकारियों की बात उठाई है। मान्यवर, 42 लोगों ने इस राज्य के बनने में शहादत पायी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे 9 लोगों ने शहादत पायी थी। यदि आप तुलना करें तो देश के किसी भी इतने बड़े भू–भाग में शायद यहां के लोगों की शहादतों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यह विदेशी दासता के खिलाफ हमारी लड़ाई थी। लेकिन अपनी सरकार से, अपने देश से, अपने लोगों से जब हमने अपने राज्य को मांगा तो हमें 42 लोगों की शहादत देनी पड़ी। 42 लोगों की कुर्बानी देकर राज्य बना, लेकिन मान्यवर, राज्य कैसा दिया गया, बहुत सारी खामियों, बहुत सारे अधिकारों को काट कर हमें राज्य दिया गया। हम कुछ नहीं पा रहे हैं। हमारे राज्य को शैशव अवस्था में ही रोग लग गया है। शैशव अवस्था में ही हमें अगर पोलियों लग जाये तो जवानी कभी नहीं आयेगी और यदि आयेगी भी तो वह विकलांग जवानी होगी। और उसी सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बात और आज तक हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण में नहीं बन पाई है, जिसके लिए राज्य की 65 फीसदी जनता की एक राय है, वह उसी को अपनी राजधानी मानने को तैयार है और यह सब एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी हुआ है।

आपको याद होगा कि वर्ष 1994 में कौशिक समिति बनी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री शामिल थे और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव इसके सचिव और पर्वतीय विकास सचिव उसके संयोजक थे। इस समिति ने अल्मोड़ा काशीपुर और लखनऊ में लोगों को बुलाकर उनकी व्यापक रायशुमारी की थी और समिति इस निर्णय पर पहुँची कि गैरसैंण ही राजधानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। कौशिक समिति की इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के माननीय सदन के पटल पर रखा और उन्होंने एक भी शब्द इसके घटाये–बढ़ाये बगैर इसे केन्द्र सरकार को भेज दिया। तो मान्यवर, ऐसी संवैधानिक समिति की रिकमन्डेशन थी और बाद में विभिन्न सरकारें इसी रिपोर्ट को आधार बनाती रहीं। मान्यवर, इस सबके बाद आयोग का गठन और उसका कार्य करना और निर्णय पर न पहुंचना, वह पता नहीं क्या निर्णय देगा?

मान्यवर, जब नैनीताल और देहरादून में मिनी सचिवालय खोले गये तो हमने विरोध किया और कहा कि यह गढ़वाल कुमाऊँ का भेद न पैदा करें, उस समय उत्तर प्रदेश में गर्वनर रूल था और चुनी हुई सरकार नहीं थी, हम इस समस्या को लेकर महामहिम राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी से मिले तो उन्होंने भी राजधानी के सर्वेक्षण के लिए 750 करोड़ रुपये दिये थे। मान्यवर, इस आयोग के गठन को मैं कदापि भी औचित्यपूर्ण नहीं मानता और मैं यह भी जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो तथ्य और सत्य की बात करेगा वह इसे औचित्यपूर्ण नहीं मान सकता है। मान्यवर, मैं इन बातों के जरिये सदन में अपनी और उत्तराखण्ड के लोगों की पीड़ा को रख रहा हूँ। मान्यवर, जनता आज भी आन्दोलन कर रही है, राज्य की स्थायी राजधानी की मांग को लेकर आन्दोलन कर रही है। देहरादून जो हमारे राज्य की अस्थाई राजधानी है वहां पर उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों के शहीद स्थल पर आज भी आमरण अनशन जारी है। आज हमारे दल के महामंत्री ए0पी0 जुयाल आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं। आखिर राज्य के लोगों को यह महसूस क्यों नहीं हो रहा है कि हमारा अपना राज्य बन गया है? क्यों हमारी जनता को यह नहीं लग रहा है कि राज्य बनने से हमारा मान हमारा सम्मान और हमारी स्थिति सुधरी है? क्यों नहीं सरकार की तरह हमारी जनता राज्य गठन की चौथी वर्षगांठ मना नहीं पा रही है, क्यों आज वह ऐसी स्थिति में नही है?

मान्यवर, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है विकल्पधारियों का, कई बार यहां पर इस मामले में प्रश्न भी आते हैं और सरकार द्वारा उनका जवाब भी दिया जाता है। 34 माह बनाम 14 माह का मुद्दा भी आ जाता है, यह आना भी चाहिए। जिस प्रकार हमारे भाई निज़ामुद्दीन ने अभी एक उदाहरण देकर हमारी और उत्तर प्रदेश की स्थितियों में तुलना की थी, उससे मैं सहमत हूँ। मान्यवर, हमारे 350 फार्मासिस्ट जिनका विकल्प उत्तरांचल/उत्तराखण्ड का था उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को बिना आपकी सरकार से पूछे कि क्या आप उन्हें लेंगे या नहीं? यह सब देखे बगैर एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया है और 31 दिसम्बर, 2004 को सारे के सारे जिन्होंने उत्तराखण्ड/उत्तरांचल का विकल्प भरा था उनको वहां से एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया।

मान्यवर, ये लोग कार्यमुक्त होकर यहां पड़े हुए हैं। इस सरकार के पास इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि इनको नियुक्ति दी जाय। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको जानकारी होगी। वे लोग आ गए हैं, उत्तर प्रदेश ने अपनी सीमा से उन्हें बाहर कर दिया है। आपके पास उनको नियुक्ति देने के लिए जगह नहीं है। कल के दिन उनके भविष्य की बात आएगी। 31 दिसम्बर, 2004 से आज तक उनको जगह नहीं मिली है, उनकी जो सर्विस ब्रेक हुई है, उसका क्या होगा?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, इनकी संख्या में बहुत अन्तर है। 60–70 की संख्या है और आपने साढ़े तीन सौ के करीब इनकी संख्या बतायी है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हो सकता है कि आंकड़ों में अन्तर हो। लेकिन अगर एक भी फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश ने बिना आपसे कन्सल्ट किए यहां पर भेज दिया है तो क्या आप उत्तर प्रदेश के कदम को अपनाते हुए यहां जो उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं, जो उत्तर प्रदेश जाने के लिए लालायित हैं। उनका कहना है कि हमारा भविष्य तय होना चाहिए, अगर हमको यहीं पर रहना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और अगर हमको उत्तर प्रदेश भेजा जाना है तो तुरन्त भेज दिया जाय। तो क्या आप उनको उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, केवल एक–दो विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मान्यवर, राज्य आन्दोलनकारियों के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा, हमने पहले भी माननीय नेता सदन से कहा था राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मान देने में आपने जो उदारता दिखाई है, मैं सदन के सम्मुख कह रहा हूँ, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। चाहे रामपुर तिराहा में स्मृति स्थल बनाने की बात हो, चाहे स्व0 बडोनी जी की प्रतिमा का सवाल हो, आपने उदारतापूर्वक काम किया है। लेकिन जहां तक आन्दोलनकारियों को सेवायोजित करने की बात है, सुनने में आ रहा है कि कुछ ही आन्दोलनकारियों को इसका लाभ दिया जाएगा, यह उचित नहीं है। आन्दोलनकारियों के बारे में आपकी जो कार्य प्रणाली है, उससे उनको लग रहा है कि भिखारियों की तरह से उनको कुछ दिया जा रहा है। मान्यवर, इनके चिन्हीकरण का जो क्राइटेरिया आपने तय किया है, वह ठीक नहीं है। हम अनुरोध करते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे।

मान्यवर, उद्यान और पर्यटन के बारे में दो तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा। सरकार ने यहां पर रोजगार बढ़ाने की बात कही है। हम बार–बार यह कहते हैं कि हमारे जो संसाधन हैं, उनको विकसित किया जाय। उद्यानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां के बेरोजगारों की सोसाइटी बनाकर उनको उद्यानों को लीज पर दिया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं किया जा रहा है। माननीय उद्यान मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, आज उद्यान कैसे चल रहे हैं, आप इससे विज्ञ हैं। उद्यानों का निजीकरण करने की दौड़ में बिना सोचे–समझे बैंगी को यहां पर लाया गया उसने यहां के नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को ऐसा सब्जबाग दिखाया कि उसने बिना किसी आधार के बिना किसी गारन्टी के बैंकों से ऋण भी ले लिया और किसानों से फल आदि सामान भी ले लिए। उसके बाद यहां से

भाग गया। यह सरकार की कार्य प्रणाली में दोष होने की वजह से हुआ, इसको दूर करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूँ जैसा कि श्री जंतवाल जी ने कहा कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम के जो 20-20 पर्यटक आवास गृह हैं। मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि सरकार 20 करोड़ रुपये में 40 पर्यटक आवास गृहों को 99 साल के लिए लीज में देने जा रही है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह अन्य किसी बैनी के चक्कर में न पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया तथा मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, समय की कमी के कारण मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में खत्म कर दूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, विगत तीन वर्षों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है। इस पर मैं बहुत अधिक कहूँगा। मान्यवर, अभी मनीषा हत्याकांड की बहुत दर्दनाक घटना हो गयी, सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत अधिक संवेदनशील नहीं है। आज हरिद्वार के अन्दर साधुओं को पीड़ित किया जा रहा है। साधुओं की हत्या हो रही है, जो बड़े आश्रम हैं उनसे उनकी आय का ब्यौरा मांगा जा रहा है और इसकी आड़ में अनेकों को परेशान किया जा रहा है। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। हरिद्वार के साथ भेदभाव बरता जा रहा है।

मान्यवर, शिक्षा विभाग की लिस्ट जारी हुई है। अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने पर विचार किया जा रहा है। किन्तु हरिद्वार जनपद के वर्ष 1984 तक के स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय अनुदान सूची में आते हैं जबकि पर्वतीय संवर्ग के वर्ष 1998 तक मान्यता प्राप्त अधिकांश विद्यालय अनुदान सूची में आ चुके हैं। मान्यवर, हरिद्वार जनपद भी उत्तरांचल का एक अंग है। हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य जनपदों के वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक के स्थाई मान्यता प्राप्त 57 जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में लेने पर विचार किया जा रहा है। जबकि हरिद्वार जनपद के प्रस्तावित एवं शासन को प्रेषित विद्यालयों की मान्यता उक्त विद्यालयों से पूर्व की होने के बावजूद भी उन पर विचार नहीं किया जा रहा है। जोकि छात्र हित एवं जनहित की दृष्टि से न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला तो उन्होंने कहा कि अनुदान सूची में हमने उन्हीं विद्यालयों को लिया है जिनकी लिस्ट हमें पूर्व में उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी। मान्यवर, यह अनुदान सूची की स्थिति है। यह बात मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। मान्यवर, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि उनकी पुत्रवधू काफी बीमार है और शरीर से भी अपंग है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्रवधू का नाम ऊषा गुप्ता है। उसका स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है जबकि आप भी स्वयं जानते हैं कि स्थानान्तरण का कार्य किस प्रकार से हो रहा है।

मान्यवर, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में गत 12 वर्षों से अल्पकालिक तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को विनियमित नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, शिक्षा अधिनियम मेरे पास है, इसमें स्पष्ट लिखा है यदि किसी शिक्षक का स्थानान्तरण किया जाता है तो आप परमोशन के साथ नहीं करेंगे। मान्यवर, प्रधानाध्यापकों का हरिद्वार में स्थानान्तरण हो रहा है। मान्यवर, मेरे पास एक लिस्ट है, इसके अनुसार 10 सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के तौर पर हरिद्वार में स्थानान्तरित किया गया है। मान्यवर, यहां के लोगों में भय व्याप्त है, इनके परमोशन का हक मारा जा रहा है। जब शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं तो वे कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिये। मान्यवर, आखिर यह सब हरिद्वार जनपद के प्रति क्यों हो रहा है।

मान्यवर, चकबंदी के बारे में कहना चाहता हूँ, गजट हुआ 18 साल से चकबंदी चल रही है, दुबारा गजट नोटिफिकेशन हो गया है 200 गांव चकबंदी क्षेत्र में आ गये हैं, इस विषय को लेकर पूरे हरिद्वार के लोग आन्दोलित हैं। मान्यवर, इस विषय के सम्बन्ध में हरिद्वार में जाम भी रहा है। मान्यवर, फिर हरिद्वार की स्थिति वही हो रही है। मान्यवर, बोलने के लिए बहुत है परन्तु समयाभाव के कारण यहीं समाप्त करता हूँ, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में उत्तरांचल के भविष्य का स्वरूप क्या होगा यह सब आ गया है। मान्यवर, योजना आयोग द्वारा 27 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय किया गया। सरकार द्वारा भविष्य को देखते हुए 10 वर्षीय लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना की गयी है यह एक सराहनीय कदम है, इससे सुदूरवर्ती इलाके के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। मान्यवर, न्यायालय के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार किये गये हैं। मान्यवर, विभिन्न विभागों के नियमों का गठन हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में 292 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई, आज हायर तकनीकी मशीनों के द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। मान्यवर, आज सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और नारायण कृषक जैसी योजनाएं गरीबों के हितकारी हैं, ये कार्य जनहित में कराये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। मान्यवर, तराई के क्षेत्र ग्रीष्मकालीन फसल की बुवाई की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इस पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि इससे नुकसान होगा। इस पर गम्भीरता से सरकार को विचार करना होगा।

मान्यवर, पेयजल के सम्बन्ध में भी सरकार को सोचना होगा। मान्यवर, छोटे कृषकों को ऊपर वाले नलकूपों से पानी मिलना दुर्लभ हो जायेगा, सरकार को अण्डर वाटर कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना होगा। मान्यवर, छोटा कृषक 30 से 60 फीट की गहराई तक बोरिंग करता है, लेकिन बड़ा किसान एक लाख तक की फीट तक बोरिंग करता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसके कारण छोटे किसानों को पानी की बहुत समस्या होती है। मान्यवर, हमें किसानों को दलहन एवं तिलहन की खेती की ओर प्रेरित करना चाहिए। मान्यवर, सिडकुल द्वारा वी0आर0एस0 योजना द्वारा काशीपुर एवं जसपुर में अभी तक 40 करोड़ रुपये वितरित किया गया है, सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि दी परन्तु कोई विवाद नहीं हुआ। मान्यवर, सिडकुल ने बहुत अच्छा कार्य किया इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में मांग करूँगा कि जो 94 एकड़ जमीन जसपुर की है उसमें 14 एकड़ जमीन स्टेडियम के लिए कर दिया जाए, जिससे वहाँ के लिए लाभकारी होगा।

मान्यवर, खनन के क्षेत्र में जो बेरोकटोक खनन हो रहा है उसमें सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए। मान्यवर, पॉलीथीन के बारे में हम बार–बार मांग उठाते रहे हैं कि यह पर्यटन प्रदेश है और पॉलीथीन की वजह से बहुत बड़े–बड़े ढेर सड़कों के किनारे होते हैं। मान्यवर, मैं आन्ध्र प्रदेश गया तो वहाँ पर पॉलीथीन पर रोक लगी है, तो इतने बड़े राज्य में यह हो सकता है तो इस छोटे राज्य में क्यों नहीं हो सकता है? यह समझ से परे है। मान्यवर, इसी प्रकार से कचरा उत्पाद के लिए सरकार ने बहुत कहा था, पर उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में इससे 10 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और यह बहुत सार्थक होगा और कूड़ा बढ़ेगा उसके भी निराकरण के लिए सही रहेगा। मान्यवर, ऊर्जाकरण में जिस प्रकार से लाइनों का विस्तार हो रहा है, पर लाइन मैनों की संख्या बहुत कम है और जो हैं भी वे भी 50 साल से अधिक उम्र के हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा लाइन मैनों की भर्ती की जाए, अन्यथा जो नई लाइनें बनाई जा रही हैं उनकी देखभाल नहीं हो सकेगी और मीटर रीडिंग में भी समस्या आ रही है, उसमें अचानक बिल आ जाता है, तो बहुत अजीब सी समस्या इस क्षेत्र में बनती जा रही है। मान्यवर, वैट के ऊपर मैं अपना विचार रखना चाहूँगा, अभी कल ही श्वेत–पत्र जारी हुआ उसमें 50 लाख रुपये की योजना को रखने का प्रतिवेदन किया, तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि इस योजना के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित करें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं कुण्डा क्षेत्र में थाना खोलने की बात करता हूँ। मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि उत्तरांचल सरकार श्री पी0 चिदम्बरम जी को देहरादून में आमंत्रित करें ताकि यहाँ की समस्या पर उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। श्री चन्द्रशेखर जी आप बोलें।

*श्री चन्द्रशेखर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं हो पाया है। अतः इतने प्रस्ताव के साथ यह जोड़ दिया जाता, किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, मेरा भगवानपुर विधान सभा एक पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है। यह 70 विधान सभा क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा है। मान्यवर, इस विधान सभा क्षेत्र को घाड़ कहा जाता है, जहाँ ज्यादा वर्षा हो जाय तो उसे घाड़ कहते हैं अगर कम वर्षा होती है तो जो बीज किसान डालता है उतना भी नहीं निकल पाता है। मान्यवर, भगवानपुर क्षेत्र में आई0टी0आई0 खोले जाने के लिए थी, इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है, पेयजल की वहाँ पर समस्या रहती है उसे दूर करने के सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नहीं है। भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बिहारीगढ़ से होती हुई रोशनाबाद तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में भी अभिभाषण में नहीं कहा गया है। मान्यवर, मेरे भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में जंगली जानवरों से गाँव वालों एवं फसलों की सुरक्षा के बारे में भी अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। नदियों से हो रहे भूमि कटाव के सम्बन्ध में भी अभिभाषण में कुछ नहीं आया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों एवं पुलों एवं पुलियों के निर्माण के बारे में भी इस अभिभाषण में कोई बात नहीं आयी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पशु चिकित्सा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में भी अभिभाषण में कोई बात नहीं आयी। मान्यवर, किसानों के गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा गया। भगवानपुर विधान सभा के ग्राम लालवाला खालसा में जू0हा0 का उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में अभिभाषण में नहीं आयी है इसलिए इन्हें अभिभाषण के अन्त में जोड़ दिया जाय। मान्यवर, मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैंने 15 सूत्रीय माँग की है इसको मैं सम्बद्ध करना चाहता हूँ। मान्यवर, आपने पहले ही कह दिया है कि टाइम कम है इसलिए मैं अपनी बातों को संक्षेप में रखना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं अभिभाषण के बारे में कहना चाहूँगा कि नये डिब्बे में पुराना माल पैक करके पेश हुआ है। जहाँ तक मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूँ, प्रदेश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, पी0डब्लू0डी0 विभाग की तरफ से, कई बार जिला योजना राज्य सेक्टर की तरफ से पैकेज मिला है। मान्यवर, जो पुरानी सड़कें हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी हालत बहुत खराब है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आनन्द खेड़ा–महेशपुर मार्ग पंतनगर गदरपुर में मसीत सैकनियां मोटर मार्ग, गदरपुर, गदरपुर–करतारपुर मोटर मार्ग, गदरपुर में खानपुर पश्चिम मोटर मार्ग, दुर्गापुर धीमरी ब्लाक मोटर मार्ग गड्ढायुक्त है, की मरम्मत कराया जाना उचित है। रामपुर–बिन्दुखेड़ा–नैशलन हाई–वे 74 मोटर मार्ग की मरम्मत कराया जाना, इसके अलावा भी कई सड़कें ऐसी हैं जिनमें कि बीच सड़क में गड्ढा है उनको गड्ढायुक्त सड़क कहना ही उचित होगा। मान्यवर, दैवी आपदा के तहत पी0डब्लू0डी0 का प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय की संस्तुति के माध्यम से देहरादून आया है अभी तक उसमें न कोई फण्ड मिला है न ही वहाँ पर गड्ढों का भराव हुआ है।

मान्यवर, इसके साथ–साथ कई स्कूलों के उच्चीकरण की भी मांग करता हूँ। इनके नाम मैंने अपने संशोधन में दे दिये हैं। इन स्कूलों का उच्चीकरण होना चाहिए। मान्यवर, दिनेशपुर घनी आबादी वाला क्षेत्र है। एक ही इन्टर कॉलेज है। अभी एक माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि ग्रीष्म कालीन धान पर रोक लगा दी जाये। मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूँ। आज यदि ऊधमसिंह नगर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है तो यह ग्रीष्मकालीन धान के कारण हुआ है। मान्यवर, हमारे उत्तराखण्ड को विद्युत प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हम विद्युत बेचकर प्रदेश चलाने की बात करते हैं। मान्यवर, मेरे जिले में सुबह और शाम 2–2 घंटे मिनिमम कटौती की जा रही है। यह समय बच्चों के पढ़ने का होता है। मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि दिनेशपुर में मण्डी की स्थापना की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, नियम 311 के तहत मैंने एक मामले को उठाने का प्रयास किया था। इसे तो आपको सुनना ही पड़ेगा। यह मेरी गुजारिश है। मान्यवर, बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाय। दो–दो बार इसकी संस्तुति इसी माननीय सदन से की गई है लेकिन मुझे लगता है कि वह कागजों में ही अटक कर रह गयी है। बंगाली समाज इस प्रदेश का अंग है और ये अनुसूचित जाति के लोग हैं। इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का जो प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिए था वह नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मैं मंडी परिषद् के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी विधायकों के मान–सम्मान की बात भाई तसलीम अहमद जी ने उठायी थी। उसका आपने समाधान भी किया है। ऐसी घटनाएं होती रहती है। मंडी परिषद् द्वारा वर्ष 2003–04 और 2004–05 के लिए जिन सड़कों की स्वीकृति हुई है उसकी लिस्ट मैं पेश करते हुए बताना चाहता हूँ कि जिन सड़कों को मैंने संस्तुति किया था उन्हें नहीं

लिया गया और दूसरी सड़कों को ले लिया गया है। शायद वे मुझे विधायक ही नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आखिर सड़कें तो बन ही रही हैं।

श्री प्रेमानन्द महाजन--

मान्यवर, यह विधायकों के मान-सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री विजयपाल सिंह सजवाण--

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड की प्राप्ति के लिए जिन भी आन्दोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया उनको नमन करता हूँ तथा उन आन्दोलनकारियों को हमारी सरकार के द्वारा सरकारी सेवाओं में नौकरी, पेंशन आदि की व्यवस्था इस जन कल्याणकारी सरकार द्वारा ही की गयी है। निश्चित रूप से इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

प्रदेश में जितनी भी विकास योजनायें चलाई गई, उसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री प० नारायण दत्त तिवारी जी को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस राज्य की बेहतरी के लिए और राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए वार्षिक परिव्यय के लिए योजना आयोग और भारत सरकार से वर्ष 2004-2005 के वार्षिक परिव्यय को बढ़ाकर 2700 करोड़ रुपये का पैकेज लाकर और 890 करोड़ रुपया बढ़वाकर अपने अनुभव और अपनी दूरदृष्टि एवं विकासोन्मुख सोच का परिणाम है। इसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और योजना आयोग को भी बधाई देता हूँ।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा संकल्पना की गई थी कि इस नव निर्मित प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित किया जाय। जिसमें मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ऊर्जा के क्षेत्र में 5 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की उत्पादन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें वर्तमान में 4170 मेगावाट क्षमता की योजना निर्माणाधीन है तथा 4289 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त परियोजनायें आवंटित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के विकास से पाला मनेरी, बवाला, नंद प्रयाग आराकोट त्यूनी, त्यूनी पलासू तथा कुछ अन्य योजनायें भी चल रही हैं, मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देता हूँ। मान्यवर, जो भी परियोजनायें हमारे प्रदेश में केन्द्र की या हमारी चल रही हैं, उन परियोजनाओं

के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उनमें स्थानीय बेरोजगार युवकों को चाहे वे डिप्लोमाधारी बेरोजगार हों या अन्य डिग्रीधारी उन्हें इनमें समूह ग और घ में नियुक्ति दी जाय, हमारे यहां पर कोई उद्योग धन्धे न होने से बाद में उन लोगों से अपनी आजीविका चलाने में समस्या आयेगी इसलिए एम0ओ0यू0 में ही यह व्यवस्था करनी आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त भूमि का प्रतिकर मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए, मैं यह सुझाव और अनुरोध कर रहा हूँ कि भूमि का यह प्रतिकर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसान अपनी भूमि अपनी मर्जी से इन परियोजनाओं के लिए दें। मान्यवर, वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा जो सर्किल रेट तय करके मुआवजा दिया जाता है वह बहुत कम होता है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इन कृषकों को जिनकी भूमि ली गई है उन्हें मुआवजा आज के रेट में नहीं बल्कि 15–20 साल बाद का रेट देना चाहिए ताकि वह अपनी मर्जी से जमीन दें और परियोजनायें हमारी सुचारू रूप से चल सकें। मान्यवर, इसके अतिरिक्त प्रदेश में 1337 करोड़ की लागत से 9038 किलोमीटर मोटर मार्ग और 192 पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ और इसके लिए 59 सहायक अभियन्ता और 380 अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई है इससे निश्चित ही प्रदेश की यातायात की प्रगति का फायदा होगा। मान्यवर, एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि जिस भूमि का प्रतिकर किसानों को उत्तर प्रदेश के समय की नहीं मिली है, उसे भी उन किसानों को दिये जाने की मांग करता हूँ।

मान्यवर, मैं सरकार को आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अच्छे और नये आयाम स्थापित करने के लिए भी बधाई देता हूँ। जिसमें आपदा प्रबन्धन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की स्थापना की और आपदा न्यूनीकरण केन्द्रों की स्थापना भी है और यू0एन0डी0पी0 के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता अभियान में एक वृहत योजना क्रियान्वित की जा रही है।

मान्यवर, उत्तरांचल के 8 जनपदों नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी के प्रत्येक गांव हेतु आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के निर्माण के साथ–साथ प्रत्येक गांव में ग्राम स्तरीय अन्तराक्षेपण दलों का भी गठन किया जा रहा है और आपदा प्रबन्धन में सूचना के महत्व को देखते हुये केन्द्र द्वारा आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई है। मान्यवर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरा जिला और विधान सभा क्षेत्र दैवीय आपदा की चपेट में रहता है और सितम्बर 2003 में वरूणावत पर्वत में भूस्खलन हो जाने पर हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली से केन्द्र सरकार से उसके ट्रीटमेंट के लिए जो 250 करोड़ रुपये का पैकेज लाकर वहां पर कार्य प्रारम्भ करवाया है, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, इसके साथ ही वरूणावत के ट्रीटमेंट का जो पैकेज है। जैसा कि मौरी के बारे में अभी माननीय मालचन्द्र जी ने भी कहा। हमारी सरकार ने मौरी में आपदा से क्षतिग्रस्त हुई परिसम्पत्तियों के लिए और वरूणावत के ट्रीटमेंट पैकेज से जो धन उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूँ। मान्यवर, मैं बहुत सारे विषयों पर बोलना चाहता था लेकिन समय की कमी के कारण नहीं बोल पा रहा हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार उत्तरांचल राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। मेरा निश्चित मत है कि इस सरकार के रहते उत्तरांचल सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अग्रणोन्मुखी राज्य बनेगा। धन्यवाद।

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गए संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, मैं अपने आपको विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था जब सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा चन्द लाईनें धन्यवाद में कहने के बाद अभिभाषण की कमियां यहां पर प्रस्तुत की जा रही थी।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सम्मान दिए जाने और उनको सरकारी नौकरियों में लिए जाने की बात कही गयी है। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि मेरे जनपद के मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन आन्दोलनकारी, जिन्होंने ऊधमसिंह नगर और रामपुर तिराहा के आन्दोलन में हिस्सा लिया। श्री शिव सिंह नेगी, श्री राजेन्द्र सिंह नेगी तथा श्री प्रताप सिंह, वे तीनों शासन की, प्रशासन की और सरकार की दर–दर की ठोकरें खाते जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में इस अभिभाषण में कोई भी बात नहीं कही गयी है। मान्यवर, इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि जनपद रुद्रप्रयाग एक नया जनपद है, यह 1997 में गठित हुआ था। मान्यवर, आज आठ साल बीत जाने के बाद भी यह जनपद 3 जनपदों से संचालित हो रहा है। लेकिन अभिभाषण में उनके एकीकरण के बारे में कोई बात इस अभिभाषण में नहीं कही गयी है। मान्यवर, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह तक 3–3 जनपदों टिहरी, पौड़ी और चमोली से निकल रही है। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा जनपद में कई विभाग ऐसे हैं, जिनमें कोई विभागाध्यक्ष नहीं हैं।

मान्यवर, आई0टी0आई0, पर्यटन विभाग, सेवा योजन आदि कई ऐसे विभाग हैं, जो आज भी चमोली जनपद से संचालित हो रहे हैं। यदि कोई विभाग हमारे यहां खोल भी दिए गए हैं तो आज तक उनके विभागाध्यक्ष तैनात नहीं किए गए हैं। मान्यवर, विभागाध्यक्ष तैनात नहीं किया गया। जिले की जो वार्षिक जिला योजना होती

है उस वार्षिक योजना का 19 करोड़ रुपये में से अभी तक मात्र 40 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है। इससे हम और आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि विकास के कितने कार्य हुए हैं। महामहिम के अभिभाषण में बड़ी–बड़ी बातें कही गई हैं, बड़े–बड़े ख्वाब यहाँ की जनता को दिखाये गये हैं किन्तु वर्ष 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहाँ पर प्रदेश की जनता को और विकास को जहाँ पर छोड़ा था आज भी वह उसी स्थिति में है। रत्ती भर भी विकास नहीं हुआ है।

मान्यवर, उत्तरांचल को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए बहुत सी बातें सरकार द्वारा कहीं जाती है किन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है एक भी मोटर मार्ग की व्यवस्था का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। जब पर्यटन की मूलभूत आवश्यकता सड़कों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं होगा तब तक पर्यटन राज्य बनाने की बात बेमानी है। मान्यवर, चोब्ता, द्यूरेताल आदि जो बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनके विकास के लिए भी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। बाहर से पर्यटक इस राज्य में तभी आयेंगे जब सड़कें होंगी, चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं होंगी, वरना वे यहाँ क्यों आयेंगे? मान्यवर, इसी प्रकार से सरकार द्वारा कहा गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने तकनीकी विश्वविद्यालय खोल दिये हैं, संस्कृति विश्वविद्यालय की बात सरकार कर रही है लेकिन कितना अच्छा होता सरकार महामहिम के अभिभाषण में यह बात होती, हमारे विद्यापीठ में संस्कृति विश्वविद्यालय खोलती। इस सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक जनपद में आदर्श विद्यालय खोलेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन अगस्तमुनि महाविद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने तथा विज्ञान विषय खोलने की मांग जनता कर रही है। क्षेत्रीय निवासी स्कूल के अभाव में परेशान हैं, अगस्तमुनि में आदर्श महाविद्यालय खोलने की जनता की माँग है जिससे वहाँ के छात्र–छात्राओं को सुविधा प्रदान हो किन्तु अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में एक भी मोटर मार्ग मेरे क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, एक भी सड़क की कटनी प्रारम्भ नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि तीन सालों में किस जिले को किस डिवीजन में कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस अभिभाषण प्रस्ताव के संशोधन पर बल देती हूँ। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे हमारे माननीय सदस्य श्री हेमेश खर्कवाल द्वारा प्रस्तुत महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव और श्री गणेश गोदियाल जी द्वारा संशोधित पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का प्रतिबिंब है। जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया,

इससे न केवल मैं बल्कि यह पूरा सदन एवं प्रदेश की जनता अभिभूत है। मान्यवर, अभिभाषण में शिक्षा, पर्यटन, लोक निर्माण, पेयजल, आबकारी, कृषि, वन पंचायतीराज, ऊर्जा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, युवाकल्याण, सूचना वित्त एवं नियोजन, पर्यावरण, समाज कल्याण, पशुधन, आपदा प्रबन्धन, परिवहन आदि क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किया है। मान्यवर, राज्य विकास की दिशा में अग्रसर है, इससे प्रदेश की जनता को अनेक अपेक्षाएं हैं, जो समय–समय पर पूरी की जा रही हैं इसके लिए मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को तथा उनके पूरे मंत्रिमण्डल को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले अमर उजाला समाचार पत्र में एक समाचार छपा था कि जनपद टिहरी के 37 हजार 492 लोग, वोटर लिस्ट में कमी आई है, यह सच्चाई है श्रीमान, यहाँ के नौजवान बेरोजगारी के कारण पलायन हुये हैं। मान्यवर, इसमें रोजी–रोटी की तलाश में सबसे बड़ी संख्या विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर की है, जहां से मैं विधायक हूँ। मान्यवर, टिहरी बांध के कारण यह क्षेत्र अलग–अलग हो गया है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जैसे किसी आदमी के हाथ–पैर काट दिये गये हों। मैं लोक निर्माण मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रश्नों सं0–52, 53, 54, 55 पर बहुत शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इसके लिए मैं उनका पुनः आभारी हूँ।

मान्यवर, मैंने वन मंत्री जी से भी अपने प्रश्न सं0 59, 63 से अनुरोध किया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी विषम परिस्थिति है कि जहां पर जंगली पशु 16 गांवों की फसल को नष्ट करते रहते हैं, इसे रोकने के लिए घेरबाड़ की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मंत्री जी ने संसाधनों के अभाव की बात की है। इस पर मेरा सुझाव है कि आपके अधीन वन विभाग टिहरी के पास राज्य सरकार की ओर से जो फूड फार वर्क (काम के बदले अनाज) योजना है उससे दिवाल बंदी का कार्य कराया जाये। मान्यवर, जितना सम्भव है इस क्षेत्र में फूड फार वर्क से कार्य कराया जाए।

मान्यवर, मैंने ऊर्जा मंत्री जी से पूछा था कि आप अवगत हैं कि दिनांक 23–7–2004 को मु0अ0सं0 621/144–04 धारा 39/44 भारतीय विद्युत अधि0 संशोधन 1986 के अधीन विद्युत वितरण उपखण्ड अधिकारी टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल में एम/एस–पी0ई0एस0 इंजी0 प्रा0लि0 कम्पनी कोटी कालोनी, टिहरी के विरुद्ध विद्युत चोरी की कोई रिपोर्ट प्रार्थी की सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई गई, तो उत्तर आया कि जी हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत कठोर पत्र लिखकर अधिशासी अभियन्ता के हस्तान्तरण करने का निर्देश दिया था लेकिन अभी तक हस्तान्तरण नहीं किया गया। मान्यवर, मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से प्रश्न किया था कि जनपद टिहरी में सिरखोली–मैंतलाखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 10.50 किमी0 लम्बाई और एक 42 मीटर स्पान पुल सहित शासनादेश संख्या 1645/28–5–51 लोनि/92 टी0सी0 दिनांक 31–3–93 में 91.30 लाख की स्वीकृति प्राप्त है पर इसके बाद भी निर्माण अधूरा है। माननीय मंत्री जी योग्य मंत्री हैं, आज आपका कार्य पूरे प्रदेश में सराहनीय है, पर मैं चाहता हूँ कि इस पर कार्य करें।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव पेयजल की योजना से प्रभावित हैं, यह योजना भारत सरकार को गई है, मेरा अनुरोध है कि उसको कराने की कृपा करें। मान्यवर, सरकार के इस निर्णय के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति के लिए आन्दोलन करने वाले उन लोगों को जिन्होंने 2 दिन से अधिक जेल में सजा पाई है उनको सुविधायें दी हैं।

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, राज्यपाल का बजट अभिभाषण सरकार की नीतियों का और कार्यकलापों का दर्पण होता है, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा दर्पण सरकार ने अपने पास रखा है जिसको देखकर वह देहरादून में खुश होती रहती है? सरकार को अगर दर्पण देखना है तो हमारे साथ पहाड़ के बीहड़ क्षेत्रों में चलें जहाँ पर पेयजल की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सड़कों की समस्या है, विद्युतीकरण की समस्या है, तब उनको पता चलेगा कि हमने कितना विकास किया है।

मान्यवर, मैं प्रदेश के उन नागरिकों की बात कहना चाहता हूँ जिनके कारण हम आज यहाँ बैठे हैं, अभी तक उन आन्दोलनकारियों को नौकरियाँ नहीं मिल पायी। मान्यवर, जनपद चमोली में एक आन्दोलनकारी को नौकरी दी गई है जबकि अनेक आन्दोलनकारी दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं वह आज तक नियुक्ति पत्र नहीं पाये हैं। सरकार बात करती है विद्युतीकरण की कि 2009 तक सभी गाँवों को विद्युतीकरण से जोड़ दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा मैंने अभी कहा कि सरकार का दर्पण देहरादून में रखा है। मैं उन अधिकारियों की बात करता हूँ जो गाँवों में सर्वे कराते हैं। मान्यवर, राइट्स कम्पनी विद्युत विभाग से सर्वे करके दिल्ली पहुँची है, फिर निर्माण निगम को ठेका दिया जाता है उनके यहाँ जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है, यह दर्पण है सरकार का।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राइट्स भारत सरकार की सरकारी संस्था है उसे कन्सलटेंसी के लिए बुलाते रहते हैं।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, वह दलाल है, वह कम्पनी यहाँ नहीं घुस सकती है। मान्यवर, विद्यालयों में कम्प्यूटर रख दिया मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं है और न ही विद्युत है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ महाविद्यालय में प्रवक्ता नहीं है, दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री ने विज्ञान संकाय खोलने की संस्तुति दी थी लेकिन आज तक विज्ञान संकाय नहीं है। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य धन्यवाद दे रहे थे कि वार्षिक बजट में 890 करोड़ की वृद्धि कर दी है, क्या इसका सदुपयोग हो पायेगा? अगर एग्रोकाप जैसी संस्था यहाँ आयेगी तो इन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, आज हमारे बीहड़ के क्षेत्रों में नायब तहसीलदार नहीं है। आप कृपया सरकार को आदेश करें कि इसकी व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के द्वारा बताया गया और जैसा अभिभाषण में भी उल्लिखित है कि 2700 करोड़ की स्वीकृति योजना आयोग ने उत्तरांचल के लिए की है। मैं इसके लिए योजना आयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूँगा कि उत्तरांचल के लिए एक अच्छा बजट मिला है। लेकिन मान्यवर, सवाल यह है कि इसका उपयोग कैसे होगा? अगर इसका सदुपयोग नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि पैसा कितना भी आ जाये अगर यह अन्य कामों में खर्च होता रहा तो इससे कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। एग्रोकाप जैसे कम्पनियां करोड़ों रुपया लेकर भाग गयी। हल्द्वानी में सरकारी जमीन को सरकार ने ही खरीदा। एस0एन0 शर्मा नामक व्यक्ति ने यह जमीन बेची थी। यदि सरकारी जमीन को सरकार ही खरीदती रही। यदि ऐसी ही घटनाएं घटती रही तो यह पैसा कहां लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

मान्यवर, जैसा अभी माननीय काजी जी ने कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे अभिभाषण में कहा गया है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यदि ऐसा ही होता रहा तो यह उत्तरांचल के कोई शुभ संकेत नहीं हैं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की मांग हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों की मांग थी। जहां विकास की किरण नहीं पहुँच पायी थी इसके लिए, इस राज्य के लिए हमारे लोगों ने संघर्ष किया, इसके लिए हमारे नौजवानों ने, बहनों ने बलिदान दिया लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि सरकार और हमारी गलत नीतियों के कारण पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली आदि 13 जिले हैं। 7 जिलों का एक भी छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नहीं पा सका है। इसका कारण यह है कि जो हमने जो अर्हता निर्धारित की है। हमने केवल डोमोसाइल को आधार बनाया है। फर्जी डोमोसाइल बनाकर बाहरी प्रदेशों के लोग इनमें प्रवेश पा रहे हैं। बिहार के 124 लोगों ने गलत तरीके से प्रवेश पाया है। डोमोसाइल में 10 प्लस दो होना चाहिए। मैंने फर्जी डोमोसाइल की जांच के लिए देहरादून और हरिद्वार के डी0एम0 से जांच के लिए कहा। हरिद्वार में श्री कृष्ण पाल सिंह को फर्जी तरीके से डोमोसाइल जारी किया गया। श्री आनन्द समर सिंह ने निरंजनपुर देहरादून से फर्जी डोमोसाइल बनवा कर प्रवेश पाया।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और कहा कि आप एक जांच करवा लें और उनसे यह ऐफिडेविट लिखवा लें कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाये हैं वह सही हैं, लेकिन मान्यवर, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं उत्तर प्रदेश की डी0जी0 (हैल्थ) मिसेज माहेश्वरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी भेजी जांच रिपोर्ट कहने पर उन दोनों छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया।

मान्यवर, मैं उन मिसेज माहेश्वरी, डी0जी0 हेल्थ, उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से। मान्यवर, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की बात करना चाहूंगा वहां पर ट्यूशन फीस डेढ़ लाख रुपये रखी गई है और जब कि मनिपाल यूनिवर्सिटी में जिसे सरकार कोई अनुदान नहीं देती है वहां पर यह राशि 1.3 लाख रुपये ही है और मान्यवर, इस विद्यालय में मानकों से कहीं अधिक फीस वसूली जा रही है, मान्यवर, अधिक से अधिक 13 हजार रुपया के0जी0एम0सी0 में लिया जा रहा है और कहीं पर 800,900 या 9 हजार रुपया ही सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लिया जा रहा है। मान्यवर, यह धनराशि लगभग 2 लाख हो जाती है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहां पर हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे टाप मोस्ट ब्यूरोक्रेट को कितना रुपया वेतन प्रतिमाह मिलता है? मैं समझता हूँ कि 35–36 हजार रुपया ही मिलता होगा और उनमें से कुछ आयकर में चला जाता होगा, तो क्या मान्यवर, वह अपने बच्चों को वहां पर पढ़ा पायेगा? तो फिर मान्यवर, हमने यह कॉलेज क्या बाहर वालों के लिए या एन0आर0आई0 के लिए खोला है? मान्यवर, उत्तरांचल में मेडिकल की स्थिति बहुत दयनीय है, मेरे स्वयं गांव के मकान में, 25 बैड का अस्पताल किराये में है लेकिन वहां पर कोई डाक्टर नहीं है। आज हमारे पास डाक्टर नहीं हैं। मान्यवर, पूर्वांचल के जो 7 स्टेट हैं और गुजरात में इस बात की व्यवस्था है। नेफा जो 7 स्टेटों का संगठन है वहां पर यह जरूरी कर दिया है और शपथ–पत्र लिखाया जाता है कि आप 5 साल तक अपने प्रदेश की सेवा करेंगे और यही बात गुजरात प्रदेश में भी है कि आप 3 साल तक गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। मान्यवर, आज भी इंटीरियर में 50 में से 1 महिला प्रसव वेदना के समय दम तोड़ देती है और कई लोग असमय ही इलाज के अभाव में मर जाते हैं, यदि इस तरह की व्यवस्था होगी तो यह स्थिति नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष–

रावत जी, कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, दो बिन्दु और कहना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, मान्यवर, यहां पर जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और विविध बोर्ड हैं वहां पर लैंड यूज चेंज का बहुत ही खतरनाक विषय आ गया है अगर आप अपनी कृषि भूमि को मकान आदि में चेंज करना चाहते हैं तो 100 प्रतिशत लिया जाता है और यदि वहां पर कुछ कामर्शियल एक्टीविटी करना चाहते हैं तो 200 प्रतिशत भू उपयोग परिवर्तन शुल्क देना पड़ता है।

मान्यवर, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा शहीद मेजर विवेक गुप्ता जिन्हें देहरादून से 12 किलोमीटर की दूरी पर सरकार ने पेट्रोल पम्प दिया था आज उनकी बहन को इनके द्वारा 22 लाख रुपये लैंड चेंज की पैनाल्टी के लिए नोटिस दिया है, मान्यवर, अब वे इतना पैसा कहां से देंगे। मान्यवर, यही स्थिति आज ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है और लोगों में इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है।

मान्यवर, जब से सदन प्रारम्भ हुआ है तब से शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब लोगों ने इन प्राधिकरणों के खिलाफ धरना आदि न दिया हो। इसके अतिरिक्त एक–दो बातें और कहना चाहता हूँ कि जो जैविक परिषद् द्वारा बासमती की खेती देहरादून और ऊधमसिंह नगर में खेती की जा रही है। मान्यवर, इसके खिलाफ देहरादून के कृषकों ने जो बासमती उगाते हैं कल ही घंटाघर पर बासमती की होली जलाई है। क्योंकि मान्यवर, उन्हें पिछले वर्ष 25 रुपये दिया गया था और इस बार मात्र साढ़े 17 रुपये ही दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

रावत जी कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के विभिन्न आये स्रोतों से कुल कितनी आय हुई है, इसका जिक्र नहीं किया गया है। प्रदेश में प्रतिवर्ष डेढ़ से दो हजार करोड़ रुपये का ब्याज चढ़ता जा रहा है। योजनागत का जो पैसा है वह सब कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन पर खर्च किया जा रहा है। 4 साल पहले जो उद्योग बन्द पड़े थे, उनमें आज भी ताले पड़े हैं, उनको चलाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है और जो चालू हालत में है, वे आज बन्द होने की कगार पर हैं। मान्यवर, आज जितने भी निगम प्रदेश में चल रहे हैं, सब घाटे में चल रहे हैं।

जहां तक ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात है। आज जनपद पिथौरागढ़ में जितनी भी परियोजनाओं में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, उनमें प्रतिदिन लाख दो लाख रुपये की हानि हो रही है और उत्पादन सिर्फ 30–35 प्रतिशत ही हो रहा है। मान्यवर, छड़देव में 500 किलोवाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था लेकिन इसमें उत्पादन सिर्फ 200 किलोवाट ही हो रहा है। मान्यवर, इसी तरह कनतूजोति सहित कुल पांच योजनाएं हैं। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग द्वारा 31 मार्च, 2002 को एक शासनादेश

जारी किया गया कि 31 मार्च, 2002 से पूर्व जो योजनाएं स्वीकृत थीं, उनको रोक दिया जाय और उनका आगणन सरकार के पास भेजा जाय। मान्यवर, आज तीन साल हो गए हैं, उनका आगणन भी सरकार के पास भेजा जा चुका है लेकिन आज तक उन योजनाओं पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, पिथौरागढ़ में थल से लेजम तक एक सड़क स्वीकृत हुई थी, उसका पे ऑर्डर 31 मार्च, 2004 भी बन गया है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, सरकार से पूछने पर यही उत्तर मिलता है कि वित्तीय उपलब्धता होने पर आपका कार्य किया जाएगा। लेकिन जो 1337 करोड़ रुपये की बात कही गयी।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह पैसा जा कहां रहा है? केवल कुछ विधान सभाओं में यह पैसा खर्च किया जा रहा है। आज मंत्रीगण केवल अपने विधान सभा क्षेत्र को ही देखते हैं। आप पिछला विधान सभा इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो भी मंत्री केवल अपने विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रहा और जिसने दूसरी विधान सभा देखा भी नहीं, वह दोबारा विधान सभा में लौट कर नहीं आया। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह पैसा जनता की मेहनत का पैसा है, किसी पार्टी के विधायकों का पैसा नहीं है कि केवल उन्हीं के क्षेत्र में विकास का कार्य किया जा रहा है और सड़कें बनायी जा रही हैं, जो सत्ता के हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कम से कम आप लोगों को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप लोगों को एक–एक करोड़ रुपया अलग से मिला है। हमारे विधायक इस बात को कहें तो समझ में आता है क्योंकि उन्हीं की तरह आपको भी समान रूप से पैसा दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जो पुरानी योजनाएं हैं, वह वहीं पर रुकी हुई हैं, वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिल रही है, सारे कार्य रुके हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जंगली सुअरों ने आतंक फैला रखा है। ये झुण्ड के झुण्ड आते हैं और फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं। इनके भय से लोगों ने खेती करना बन्द कर दिया है। मान्यवर, बोराबुगा में कुंदन सिंह तथा राजेन्द्र सिंह को जंगली सुअरों ने घायल कर दिया उनका इलाज कराया गया तो उनका एक हाथ काटना पड़ा। मुआवजे के लिए कहा गया तो यह बताया गया है कि जंगली सुअर के काटने पर मुआवजा नहीं दिया जाता है। केवल शेर और चीते के काटने पर मुआवजा दिया जाता है। मान्यवर, यदि उत्तर प्रदेश के शासनादेश के हिसाब से यहां पर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। सुअर के काटने पर भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होकरा में मात्र एक अध्यापक है और जी०जी०आई०सी० में दो प्रवक्ता अध्यापक हैं। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में डीडीहाट में जो जूनियर हाईस्कूल

हैं उसमें एक ही अध्यापक है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

*श्री शूरवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इस राज्य का निर्माण जनता के असीम संघर्षों के कारण लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जेल गये और यातनायें भी सही, तब इस राज्य का निर्माण हुआ। इस राज्य के निर्माण में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब यह राज्य बन गया तो यहाँ की जनता को बहुत आशा थी कि राजनीतिक दल महत्वपूर्ण निर्णयों पर जनता से पूछेंगे तथा राजधानी निर्माण के मसले पर भी उनकी राय ली जायेगी किन्तु जनता राज्य बनते ही हतप्रभ रह गई। उनको कहीं नहीं पूछा गया। जिस दिन राज्य बना और मंत्रिमण्डल को शपथ दिलाई गई। बड़ा अफरा–तफरी का माहौल था यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस जनता ने इस राज्य को पाने के लिए इतना संघर्ष किया उसकी ओर कोई नहीं देख रहा है, जनता सोच रही थी कि राज्य में उसकी भागीदारी होगी, अच्छी सहभागिता रहेगी लेकिन वे जो सरकार बनी उससे निराश हुए और जब चुनाव हुए तो जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी।

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश के अन्दर सड़कों का जाल बिछा दिया है। निश्चित रूप से सड़कें विकास का आईना है किन्तु अभी भी गाँव की जनता को सड़कों का इन्तजार है। हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि जिस ग्राम की आबादी 250 होगी वहाँ भी सड़कों का निर्माण किया जायेगा। लोगों की उम्मीद इस सरकार से बड़ी भी है क्योंकि वह विकास कार्यों को देख रही है। आज सभी विकास चाहे वह फारेस्ट हो, परिवहन हो या हार्टिकल्चर हो उनमें आधारभूत ढाँचा हमारे मुखिया माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में तैयार हो गया। हमारे इस राज्य को उनके अनुभव का लाभ भी मिल रहा है और जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही है उसका लाभ हमको तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगा।

मान्यवर, आज उत्तराखण्ड की जनता पूरे सदन से यह जानना चाहती है कि आखिर इसकी राजधानी कहाँ बननी चाहिए? राजधानी के लिए जो आयोग बना है उसके निर्णय को सुनने के लिए यहाँ की जनता व्याकुल है। राजनीतिक दलों को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए, हमारे अन्दर दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। हमारे कई सदस्यों का राजधानी के मामले में गोल–मोल जवाब होता है। राजधानी मसले पर सभी दलों की एक साथ बैठक होनी चाहिए ताकि इस मसले को हम भली प्रकार से तय कर सकें। राजधानी मुद्दे पर कभी गैरसैंण का जिक्र भी हमारे कई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथी करते हैं, तो कभी रामनगर, हरिद्वार एवं ऋषिकेश का नाम राजधानी के लिए लिया जाता है। राजधानी निर्माण के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमारे पास दो जगहें मेरे हिसाब से हैं, एक तो आई०डी०पी०एल० जिसके लिए सर्वसम्मति हो सकती है। बोलने के लिए विरोध करें तो बात अलग है। मान्यवर, बोलने के लिए विरोध करेंगे। मान्यवर, ऋषिकेश में राजधानी बनने पर सबसे कम खर्चा आयेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं। मान्यवर, इससे पहले भी एक सरकारी सदस्य की भावना को हमने सार्वजनिक रूप से सुना। मान्यवर, मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह सरकार का पक्ष है या माननीय सदस्य का निजी पक्ष।

श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, यह सरकार का पक्ष नहीं है, यह मेरा निजी पक्ष है। इस सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत रूप से अधिकांश सदस्यों से बात हुई है, वे भी मेरी बात से सहमत हैं, भले ही वे अपनी राय को सार्वजनिक न करे। मैं चाहता हूँ इस मसले पर खुलकर बहस होनी चाहिए। मान्यवर, हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई और राज्य आन्दोलन में जितनी शक्तियां थी उनका सम्मान किया है, इसकी सब जगह चर्चा है। मान्यवर, इसके जो 07 दिन मानक रखे हैं, मैं चाहता हूँ इसमें परिवर्तन हो। इसके नियम वैसे ही रखे जायं जैसे देश की आजादी के हैं। मान्यवर, मैं यहां पर मण्डी की बात सुन रहा था, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जहां कच्चा माल पैदा होता है जब तक वहां मण्डियों का स्वरूप नहीं होगा तब तक किसानों को उसका सही मूल्य नहीं मिल पायेगा। मेरा अनुरोध है कि आप वहां मण्डियों का स्वरूप दें।

मान्यवर, जितना महत्वपूर्ण स्थाई राजधानी का सवाल है उतना ही महत्वपूर्ण चकबन्दी का सवाल भी है। मान्यवर, यहां का पलायन तभी रूकेगा। मान्यवर, जब तक आपने चकबन्दी के लिए दृढ इच्छाशक्ति नहीं दिखाई तब तक प्रदेश में चकबन्दी लागू नहीं होगी। यदि यह लागू होगी तो सबके अपने–अपने चैक होंगे, इस पर हम सभी लोगों को एक मत होना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश में ऊर्जा, पर्यटन, सड़क, नहरों आदि के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है।

मान्यवर, प्रतिपक्ष ने जगह–जगह स्वीकारा है कि जो योजनायें बनी हैं वह दीर्घकालिक बनी हैं और इन योजनाओं का लाभ भविष्य में मिलेगा, वह देख रहे हैं कि आज योजनाओं का प्रारूप क्या होगा? मान्यवर, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, निश्चित रूप से हमको प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसके साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया मैं धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, सम्मानित विधायक श्री हेमेश खर्कवाल जी द्वारा प्रस्तुत-महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है, 108 बिन्दुओं पर। इस उत्तरांचल के समग्र विकास की चर्चा अभिभाषण में की गई है मैं उसके लिए माननीय नेता सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, इसका लाभ इस उत्तरांचल की जनता को मिलेगा। मान्यवर, विकास के सम्बन्ध में नये राज्य उत्तरांचल में विगत ढाई वर्ष में उपलब्धि एक अभूतपूर्व है, चाहे ऊर्जा, सिंचाई, सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में हो, कार्य किया गया। मान्यवर, जो विकास हुआ है उसको जनता देख रही है, जो दीर्घकालिक योजनायें हैं उनका लाभ अवश्य मिलेगा। मान्यवर, सरकार युवा शक्ति के लिए चिन्तित है और उसके लिए काम करने के लिए विभिन्न योजनायें बनाई गयी हैं। मान्यवर, आज पूरे उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध विकास की योजनायें बनाई जा रही हैं। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय नेता सदन को कि उनके अधिक प्रयासों से कार्य हो रहा है।

मान्यवर, इसके साथ–साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि 450 करोड़ की ग्राम्य योजना 11 जिलों में विश्व बैंक के माध्यम से चलायी जा रही है, इससे प्रत्येक गाँव में एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होगा। नेता सदन को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विकास का अनुभव जिनके पास है उनसे विकास कार्य हो रहे हैं, पूर्व में किसानों का गेहूँ सड़ रहा था, पानी टपक रहा था और एक–एक साल तक किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा था वह उन्होंने दिलवाया, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं बहुत सी बातें रखना चाहता था लेकिन समय कम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने इसे स्वीकारा है कि बिन्दुखत्ता में विकास हुआ है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमने विकास की बात नहीं की, हमने विनियमितीकरण की बात कही थी।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, सरकार ने विकास कार्य किये हैं। पूर्व में जो भी सरकारें आयी हैं किसी ने कहा बिन्दुखत्ता उजाड़ो तो किसी ने उखाड़ो। नेता सदन ने उनके दर्द को समझा है। मैं खोलमंद, पोडेखत्ता, इसपुर, डोली, साय कठानी, पुराना बिन्दुखेड़ा बिन्दुखत्ता जहाँ पर 50–60 हजार की आबादी है वहाँ का समग्र विकास होना चाहिए। पेपरों में हमने पढ़ा कि माओवादी गतिविधियाँ भी यहाँ पर सक्रिय हो रही हैं।

मान्यवर, उन खत्तों में हमारे गुजर भाई रहते है। वहाँ पर कृषि कार्य कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के लिए हमारी सरकार आगे आयी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में यह सरकार अच्छा कार्य कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, पहाड़ का विकास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव का पुरजोर से समर्थन करता हूँ, इससे उत्तरांचल की जनता का हित होगा।

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ इस पर सभी लोग बोल चुके हैं। हमारे माननीय नेता सदन ने एक ऐतिहासिक कार्य किया कि हमारी वार्षिक योजनाओं को 1534 करोड़ से 2700 करोड़, भारत सरकार से पास कराया। मान्यवर, यदि सारा सदन, सारा विपक्ष विरोध की नियति को छोड़कर माननीय नेता सदन, माननीय प्रधानमंत्री जी और योजना आयोग के प्रति आभार प्रकट करता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन मान्यवर, यहां पर तो केवल विरोध के लिए विरोध किया जाता है। विपक्ष ने सरकार की बात का विरोध करना अपना धर्म समझ लिया है।

माननीय कण्डारी जी के बारे में मुझे एक घटना याद आ रही है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय एक फिल्म आई थी शोले। उसमें एक डायलॉग था। माँ कहती है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जायेगा। मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय कण्डारी जी के क्षेत्र में कोई बी0डी0ओ0 गब्बर सिंह जैसा जरूर रहा होगा। तभी इन्हें हर चीज में अफसरशाही हावी है, यह नजर आता है। (हँसी) जब वे मंत्री थे तब भी व अब नेता विपक्ष हैं तब भी मान्यवर, राज्य आन्दोलन के समय एक नारा उठा था कि कोदा–झंगोरा खाएंगे, अपना राज्य बनाएंगे। इसी नारे की अवधारणा को लेकर हमारे मातृ शक्ति, छात्र शक्ति एवं नौजवानों ने राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। हमारी सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों का सम्मान किया है उन्हें सरकारी नौकरियों में समायोजित किया गया है। यदि हमारे विपक्ष के साथियों में दम है तो (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप अपना घोषणा पत्र देख लें। मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, विगत वर्ष 1345 करोड़ की सड़कें, हमारी सरकार ने स्वीकृति दी जिस पर निर्माण का कार्य चल रहा है। पिछले 15 सालों में भी कोई भी सरकार यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी है। क्या उसके द्वारा लोगों को रोजगार नहीं मिला है। मान्यवर, इसमें 982 किलोमीटर सड़कें और 192 पुल बनाये गये हैं। क्या इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? 500 मीटर का एक जाब होता है जिसमें कम से कम 50 लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा मण्डी परिषद् के द्वारा भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 523 ग्राम प्रहरी क्या यह रोजगार नहीं है? फूड वर्क एवं सब विकास योजना फारवर्ड आदि अनेकों ऐसी योजनाएं जिससे लोगों को रोजगार मिला है व मिलेगा। मान्यवर, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये विपक्षी सरकारी नौकरी के प्रति लोगों को भड़का रहे हैं। आज हिमाचल में वित्तीय संकट का यह एक बहुत बड़ा कारण है। मान्यवर, रोज चक्का जाम, रोज चक्का जाम। हर बात पर चक्का जाम। मान्यवर, ये आन्दोलनकारियों और बेरोजगारों को भड़का रहे हैं। हमारी सरकार ने आन्दोलनकारियों का सम्मान किया है, उन्हें नौकरियों में समायोजित किया है और ये मान्यवर, राज्य आन्दोलनकारियों को भड़का कर, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं तो कहूँगा कि चक्का जाम पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। चक्का जाम को पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर दिया जाये। इसमें पूरे सदन का सहयोग चाहिए। इस राज्य को पर्यटन राज्य के रास्ते पर आगे बढ़ाना है इसलिए रोज–रोज चक्का जाम करना ठीक नहीं है।

अभी माननीय प्रकाश पंत जी ने तीन दिन पहले ही सदन में कहा था कि मैं आगाह कर रहा हूँ कि परिवहन विभाग के संविदा कर्मी जो धरने पर बैठे हैं वे कहीं पानी की टंकी पर न चढ़ जाएं और मान्यवर, आज वो चढ़ भी गये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूँकि मेरा नाम लिया गया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह उनकी लिखित सूचना थी मैंने केवल इसकी जानकारी सदन में दी थी।

श्री सुबोध उनियाल–

एक बात और कहना चाहता हूँ कि जनता में कई चीजों को लेकर पीड़ा है तो वह यह पीड़ा है कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वह यह सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार को आरोप लगते रहते हैं। मान्यवर, मैंने तो यह भी सुना कि पूर्ववर्ती सरकार में किसी ने 3 करोड़ रुपये लेकर बिजली के दाम बढ़ा दिये, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मान्यवर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए यह तभी सम्भव है जब सत्ता और हमारे विपक्ष के साथी हमें सहयोग करें और एक कार्य भावना से कार्य करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ अपने हितों

के लिए और अपने दलों के हितों के लिए चक्का जाम या धरना जैसी संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो यह ठीक नहीं है। मान्यवर, अभी यहां पर राजधानी बनाने की बात आई तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि हम तराई भावर पार्टी बना रहे हैं तो मान्यवर, यह स्थितियां ठीक नहीं हैं।, मैदान या पहाड़ की बात करके लोगों को गुमराह करना ठीक बात नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, प्रदेश में विभिन्न उद्योग लगा कर के 27 हजार रोजगार उपलब्ध कराने की पहल हमारी सरकार द्वारा की गई है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। इसके अलावा हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में 3000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया था और यह 5 वर्ष का लक्ष्य है और मुझे यह कहते हुये गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने 3 साल में 4100 समधिग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 4500 के करीब प्रस्तावित है तो 3000 मेगावाट के सापेक्ष 9 हजार मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना अवश्य ही स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, विपक्ष के साथी कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है जहां पर आजादी के 50 साल होने के बाद सड़क नहीं थी वहां पर सड़क बन गई है और शिक्षा के क्षेत्र में पदोन्नति नहीं हो रही थी, पर हमारी सरकार ने पदोन्नति की, चाहे वे प्राथमिक में हो या माध्यमिक में हो, पूर्ववर्ती सरकार ने सस्ती लोकप्रियता के लिए जिन शिक्षा बन्धुओं का 3000 रुपये पर छोड़ दिया था उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया है और विजिटिंग प्रवक्ताओं का 5 हजार से बढ़ाकर 9000 रुपया कर दिया है और इनको निरंतरता बनाये रखने का भी आश्वासन सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह सरकार का सराहनीय कदम है।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

(माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन के अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहने पर।)

मान्यवर, माननीय सदस्य तो सरकार के खिलाफ बेबुनियाद हथियार छोड़ते रहते हैं लेकिन काम पड़ने पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को मम्मी कहकर काम निकाल लेते हैं।

(हँसी)

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूँगा कि समाज के 3 पीड़ित वर्ग होते हैं एक हैं विद्यार्थी, जिनके लिए हमारी सरकार ने विद्यार्थी सुरक्षा योजना और दूसरा किसान, इसमें कृषकों के लिए नारायण कवच योजना से सम्बल प्रदान किया है और तीसरा वो वर्ग है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और इनके लिए भी हमारी सरकार ने जन श्री योजना को प्रारम्भ किया है। (व्यवधान)

मान्यवर, यदि हमारे विपक्ष के सदस्य इसमें आना चाहते हों या कोश्यारी जी और कंडारी जी कह दें तो सरकार उस पर भी विचार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष–

उनियाल जी, कृपया समाप्त करें।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, थोड़ा समय और लूंगा। मान्यवर, हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के मामले में भी सराहनीय कार्य किया है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो सस्ती लोकप्रियता के लिए विद्यालय खोले थे, यहां पर हमारी सरकार ने 14 महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बनाये रखने हेतु वहां पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान की जा रही है। मान्यवर, लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया जा रहा है। मान्यवर, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने जा रही है इस बात के लिए मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी की बात का समर्थन करता हूँ कि यह तकनीकी विश्वविद्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया जाय।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक अभूतपूर्व कार्य किया है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी और हमने भी कई बार यह कहा है कि इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी पर्यटन है। सरकार ने जिस तरह से पंतनगर, गोचर और चिन्यालीसौंण में हवाई पट्टी बनाने की बात कही है, उसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ेगी। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार के ऊपर लाल बत्ती को लेकर तमाम आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ तो विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि अफसरशाही हावी हो रही है और दूसरी तरफ यदि किसी आयोग के अध्यक्ष पद पर कोई नौकरशाह बैठा था और उसको हटाकर, जन प्रतिनिधि को बैठा दिया गया तो इसके लिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि लाल बत्तियां बांटने के लिए ऐसा किया गया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप अपना दर्जा बढ़ाइये, हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, कोश्यारी जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, यदि यह अनुरोध आप माननीय नेता सदन से कर देते। मान्यवर, हमारी सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखकर जैन समुदाय का सम्मान किया है तथा रवांई, जौनपुर व अन्य कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रखकर एक सराहनीय काम किया

है। मान्यवर, यहां पर माओवाद के संकट की बात आयी। इसके लिए हमारी सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए तुरन्त ही इंडिया रिजर्व वाहिनी के गठन का फैसला किया है। इससे यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और माओवाद भी समाप्त हो सकेगा। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, कर्मचारियों के हितों के बारे में हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं। हमारी सरकार ने बरसों से बन्द पड़ी एल0टी0सी0 सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है, इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, हमारी सरकार ने पहली बार इस राज्य निर्माण से पर्वतीय राज्य की जो परिकल्पना थी, उसको साकार करते हुए नरेन्द्र नगर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित करने की बात कही है।

मान्यवर, पिछले अनुपूरक बजट में उसके लिए 50 लाख का प्राविधान किया गया था तथा बाद में रेगुलर बजट में उसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूँगा कि पुलिस विभाग और गृह विभाग को निर्देशित करें कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाय। यदि इस पैसे का सदुपयोग समय पर नहीं कर लिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि हमारी सरकार पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना के लिए गंभीर नहीं है। मान्यवर, अभी श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल जी ने बिन्दुखत्ता के बारे में कहा, इसी तरह मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में शीशमझा और ढालवाला में भी वहां पर 40–50 वर्षों से लोग अपना–अपना मकान बनाकर रह भी रहे हैं, उन लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हेमेश खर्कवाल जी द्वारा रखे गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देते हुए उसका समर्थन करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री हेमेश खर्कवाल जी ने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है तथा माननीय श्री गोदियाल जी द्वारा इसका समर्थन किया गया उस पर मैं बल देती हूँ तथा हमारे माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी, सम्मानित श्री हरीदास, हरबंस कपूर, प्रीतम सिंह पवार, महेन्द्र भट्ट, श्री गोपाल सिंह राणा, चौधरी यशवीर सिंह, श्री नारायण पाल, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री प्रदीप टम्टा, श्री मदन कौशिक, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री चन्द्र शेखर, श्री बिशन सिंह चुफाल आदि माननीय सदस्यों द्वारा जो अपने विचार तथा जो बातें माननीय श्री सुबोध उनियाल जी ने यहाँ पर कहीं मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करती हूँ। अभी हमारी सरकार को सत्ता में आये मात्र ढाई वर्ष का समय हुआ है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा तीन साल कहा गया)

ठीक है मैं तीन साल मान लेती हूँ। वैसे तीन वर्ष मार्च में पूरे होंगे। यह उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित सरकार है जिसे इस राज्य में आने का अवसर मिला।

इस राज्य का यह सौभाग्य भी है कि राज्य की जनता को माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जैसा अनुभवी व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में मिला। उन्हें काफी दीर्घकालीन अनुभव और उनके अनुभवों के कारण, धन की उपलब्धता न होने के बावजूद भी 10 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य चल रहे हैं और इतने ही निर्माण कार्य प्रस्तावित है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि लगातार योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चाहे वह पूर्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेई जी हों या मनमोहन सिंह जी और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारीगणों से माननीय तिवारी जी उनके सम्पर्क में रहते हैं और जब–जब योजना आयोग के सदस्य यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने यह तरीका निकाला कि कम से कम हम अपनी बात को यहाँ के विकास कार्यों को, यहाँ की विकास योजनाओं को उनके सम्मुख रखें क्योंकि 11वें वित्त आयोग के समय हम अपनी बात को उनके सामने नहीं रख सके थे क्योंकि वे वित्त आयोग की संस्तुतियाँ राज्य बनने से पूर्व हो गयी थी। मान्यवर, जब हमारी सरकार आई तो मात्र 17 करोड़ ही सरकार के पास थे। किन्तु जनता को इस से काफी अपेक्षाएं थी।

मान्यवर, अभी मात्र ढाई साल का समय सरकार को मिला है और इतने कम समय में बिजली, सड़क तथा पानी की समस्या का सम्पूर्ण समाधान होना कठिन है, इसके साथ ही साथ रोजगार, शिक्षा, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने रखा है हम इनको सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध हैं। यह ठीक है कि जिन लोगों ने इस राज्य के लिए आन्दोलन किया वे आज सत्ता में भागीदार नहीं हैं किन्तु आप सदन में उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। राज्य निर्माण में जिन लोगों ने विकास का स्वप्न देखा था, जिस ढंग से देखा था उसे पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं तीन वर्षों के दौरान राज्य का भारी विकास हुआ और यह जमीनी हकीकत के रूप में दिखाई भी दे रहा है। हाँ, यह जरूर है कि कुछ जगहों में विकास ज्यादा तेजी से हुआ है। जहाँ विकास कम हुआ है उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार हैं जिस कारण सुदूर क्षेत्रों में विकास की रोशनी कम पहुँची है। लेकिन हम सुदूर क्षेत्रों के विकास के लिए धन का पूरा प्रबन्ध कर रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनका भी पूर्ण एवं तीव्र विकास तेजी के साथ होगा।

मान्यवर, विद्युत लाइन की व्यवस्था में कमी हो सकती है, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो सकती है। मान्यवर, पूर्व में निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण मुझे कई बार क्षेत्र में जाने का मौका मिला। मान्यवर, देहरादून में टूटी–फूटी और गड्ढेयुक्त सड़क होती थी। परन्तु इस एक वर्ष के कार्यकाल में यहां की सड़कें ठीक हुई हैं। मान्यवर, पूर्व सरकार के माननीय शहरी विकास मंत्री जी को भी ज्ञात है कि पूर्व में यहां की सड़कें कैसी रहती थी और आज कैसी हैं। मान्यवर, कहीं पर पानी रुकने के कारण गड्ढे हो गये होंगे इससे मैं इन्कार नहीं कर रही हूँ। मान्यवर, यहां पर फारेस्ट के मलेट्री के लोग रहते हैं। मान्यवर, आर्मी के लोगों की उत्तर में पहली पसन्द देहरादून

तथा दक्षिण में पहली पसन्द बंगलौर है। यदि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के सपने को याद करें तो देहरादून उनके सपनों का एक शहर था। मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी अपनी चमक है।

मान्यवर, मुझे सौभाग्य से बाहर जाने का मौका मिला, वहां भी मुझे ऐसे लोग मिले जिनके घर देहरादून में हैं। मान्यवर, देहरादून को राजधानी बनाने के लिए पूर्व में किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, उन कारणों की ओर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। देहरादून के प्रति लोगों का आकर्षण पहले भी था और आज भी है। मान्यवर, पेयजल के बारे में कहना चाहती हूँ कि जब मुझे पर्वतीय क्षेत्र में जाने का मौका मिला तो मैंने वहां हर एक किलोमीटर और आधा किलोमीटर की दूरी पर हैण्ड पम्प लगे हुए देखे थे, इस दिशा में यह एक सराहनीय प्रयास है। पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है।

मान्यवर, केवल हरिद्वार के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि वहां पर अर्द्धकुम्भ हुआ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और वहां पर स्थाई पुलों का निर्माण कराया। मान्यवर, यहां पर देश–विदेश से लोग आते हैं इन पुलों एवं सड़कों को देखने के लिए तीन–तीन एजेंसियां रखी गयी थी, जिसके कारण गुणवत्ता दिखाई दी। मान्यवर, हो सकता है कहीं सड़क टूट गयी हो, मैं स्वयं वहां जाऊंगी जिस ओर माननीय सदस्य ने ध्यान इंगित किया। मान्यवर, वहां तमाम बाईपास एवं फ्लाईओवर पर काम हो रहा है। माननीय काजी निजामुद्दीन बड़ा सटीक और पैना सवाल करते हैं, उनकी इस योग्यता के लिए उन्हें बहुत–बहुत बधाई। मैं उनके सवालों पर नहीं जा रही हूँ।

मान्यवर, जहां तक विद्युत व्यवस्था की बात है तो इसकी स्वयं मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं। मान्यवर, वह समझते थे कि अगर अवस्थापना किसी राज्य की ठीक हो जायेगी तो वह राज्य को दिखाई देगा। यह सही है कि बर्फ न पिघलने, लोकल फाल्ट आदि होने के कारण दिक्कतें आई, आपको 24 घण्टे बिजली मिलेगी। हम कृत संकल्प हैं। मैंने वह दिन भी देखा था जब कहते थे कि एक सड़क भी मिल जाये तो बड़ी बहार आ जाये। मान्यवर, पी0एम0जी0वाई0एस0 सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, 2007 का लक्ष्य है तो हम उस लक्ष्य की ओर जायेंगे। मान्यवर, प्रयोग कभी–कभी गलत हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे नहीं बढ़ें। इसका यह मतलब नहीं कि हम कार्य की गति रोक दें।

मान्यवर, कितनी योजनायें होती हैं जिसे स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, अम्बेडकर बाल्मीकी योजना, जिसके लिए नोडल अधिकारी है, क्षेत्र के विधायक के नाते प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्वयं जाना पड़ता है। मैंने कल ही गढ़वाल क्षेत्र की समीक्षा का सर्वे किया कि कितनी सड़क हो गई, फारेस्ट में कितना भाग है और जो बच गया वह कितने दिन में हो जायेगा। मान्यवर, चार्ट में है और चार्ट मंगवाया है। कुमाऊं मण्डल में गई तो पता चला कि अमीन कम हैं तो मैंने कहा कि तत्काल प्रभाव

से रख लें, जो भी एजेंसियां प्राप्त हैं उनसे सर्वे कराया, इसी तरह से वन विभाग में कितने लम्बित हैं चार्ट मंगवाया और हम चार्ट की समीक्षा भी करेंगे। मान्यवर, जैसे लोगों ने चिन्ता व्यक्त की तो जब तक सड़क उनके क्षेत्र तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम नहीं कह सकेंगे कि विकास हुआ, कहाँ का विकास दिखाई देगा।

मान्यवर, चाहे वह दुर्गापाल जी का क्षेत्र हो। मैंने टिहरी के क्षेत्र में इंजीनियर्स को आदेश दिये हैं कि वहाँ का पैकेज जिससे कि लोगों को कष्ट न हो कि बांध बन रहा है। चाहें वहाँ के जो विधायक हैं हमने उनसे भी कहा है कि टिहरी के लिए एक पैकेज लायें, हमने वहाँ के लिए पूरा पैकेज माँगा है। हमें यह सिद्ध नहीं करना है कि हम बड़े काम कर रहे हैं। हम पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, मैं समीक्षा करती हूँ, अभी भी समीक्षा के लिए अधिकारी बैठे होंगे, वे अभी भी मिल जायेंगे। हमारी यह समस्या नहीं है कि काशीपुर, नैनीताल, हल्द्वानी में काम हो, हमारी चिन्ता है सुदूर अंचलों में चाहे वह पिथौरागढ़ हो या पौड़ी आदि में सड़क बन जाये। मान्यवर, 2007 तक मुख्य मार्ग, पुल जो तमाम गाँव को जोड़ते है वह बनें उनको भेजिए उन पर पुल ही बन जाये। हम तो समाचार पत्रों की कतरन भी भेजते हैं। मान्यवर, सड़क निर्माण 6 महीने होता है, अप्रैल, मई, जून और 15 जुलाई तक वह भी वर्षा पर निर्भर करता है। 15 अगस्त से 15 नवम्बर तक वह भी तापमान के आधार पर सड़क बनेगी। मान्यवर, 100 फीसदी स्वीकृत सड़कों का टेण्डर निकल जाय, वह विकास का हिस्सा है, यदि कहीं निकलना होगा तो उसके लिए दबाव बनायें जा रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, टिहरी में पानी की बात पर भी बोल दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपको सत्ता पक्ष के लोगों का उत्तर देना है तो हम भी यहाँ से बोलें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, वह संसदीय परम्परा है, कि सत्ता पक्ष का मुझे जवाब देना है, सरकार की उपलब्धियाँ बतानी हैं नेता प्रतिपक्ष ने बोल दिया उसका जवाब हम दे रहे है। हम किसी सदस्य का उत्तर नहीं दे रहे हैं, जो हम आँकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं आपने रोजगार पर, विद्युत पर और कई विषयों पर प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि यह लिखित दस्तावेज बनता है और इसका रिकार्ड होता है।

मान्यवर, मैं आँकड़े दे रही हूँ। 22 हजार 659 लोगों को शिक्षा में नियुक्ति मिली है। आप यदि डिटेल चाहेंगे तो मैं डिटेल भी दे दूँगी। मान्यवर, 95 लोगों को नौकरी तकनीकी शिक्षा में मिली है और लोक सेवा आयोग से होने वाली नियुक्तियों में पशु चिकित्साधारी 60 हैं अकेले स्वास्थ्य विभाग में 430 एलोपैथिक चिकित्सक, 20 होम्योपैथिक चिकित्सक यदि यह फीगर गलत होगी तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे

है वे बता देंगे। स्वास्थ्य विभाग में 387 चिकित्सक संविदा पर रखे गये हैं। ये वे आँकड़े है जो नियुक्तियाँ की गयी हैं। 215 सहायक अभियन्ता हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) सबको ज्वाइनिंग लेटर दिये गये है, जो ज्वाइन नहीं करेगा उसके स्थान पर दूसरे को बुलाया जायेगा, उनकी तो वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। आपने जो सवाल पूछा है, आपकी चिन्ता सही हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी हो सकती है और डाक्टर बचते भी हैं। लेकिन इसमें शर्त ही यह रखी गयी थी, संविदा पर इसीलिए रखा गया था। सलेक्शन के डाक्टर नहीं मिल रहे थे इसलिए संविदा पर रखा गया। पूरी कोशिश की जा रही है कि डाक्टर सुदूर अंचल तक पहुँचे। जो ज्वाइन नहीं करेगा उसकी ज्वाइनिंग का इंतजार नहीं किया जायेगा, उनको नोटिस दे दिया जायेगा और दूसरे को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जायेगा।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दौरा भी कर आये हैं। 215 सहायक अभियन्ता, 42 सिविल जज, 18 प्रवर एवं अवर वर्ग सहायक, 849 अवर अभियन्ता, पुलिस विभाग में 2065 ग्राम प्रहरी, 999 ग्राम चौकीदार, 4000 कांस्टेबिल, 2068 सहकारिता विभाग में स्वरोजगार की दृष्टि से। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना में 555 परिवारों को सीधे रोजगार और उसी प्रकार 76 हजार 65 लोगों को मानव संसाधन के अन्तर्गत कार्य मिला है और इससे भी अधिक को मिलने की सम्भावना है। ये वे आँकड़े हैं जो मैंने पिछली बार भी प्रस्तुत किये थे कुल इसमें बढ़ोत्तरी हुई है इसलिए मैंने इनको आपके सम्मुख रखा। मान्यवर, साहसिक पर्यटन के लिए दयाराबुग्याल के विकास हेतु 4.61 करोड़ रुपये, पर्यटक स्थलों को रोप वे से जोड़ने के लिए फिजीबिलिटी की स्टडी हेतु 0.15 लाख, उत्तरांचल में बौद्ध पर्यटन को विकसित करने के लिए 63.10 लाख, पर्यटन क्षेत्रों से दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में आने जाने के लिए माउन्टेन एयर लाईन की स्थापना विषयक उसकी फिजीबिलिटी के लिए 0.15 लाख विभिन्न पर्यटन से जुड़ी विधाओं में कार्यरत सेवादाताओं को और कुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि 0.30 लाख, पर्यटन एवं होटल उद्योग में कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हेतु देहरादून में 3 करोड़ रुपये दिये गये हैं। पर्यटन के क्षेत्र में निजी पूँजीनिवेश की भागीदारी हेतु गवर्नमेन्ट डेस्टनी टूरिज्म हेतु हेमपुर में 512 करोड़ की पूँजी निवेश हेतु एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर कराये गये। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तरांचल पर्यटन को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। जिसमें से एक गैलीलियों टेबिल टूरिज्म एवार्ड भी, प्राप्त हुआ है। इसमें माननीय पर्यटन मंत्री जी की सुन्दर फोटो भी अखबार में छपी थी।

मान्यवर, विद्युत के बारे में कहना चाहती हूँ। यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं एक घंटे की कटौती हुई, कहीं 4 घंटे की भी हुई। लेकिन कुल 15 हजार 664 राजस्व ग्रामों में से 12563 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है शेष 3101 गाँव विद्युतीकरण के लिए अवशेष थे। जिसमें से अब तक कुल 1156 गाँवों का विद्युतीकरण हो गया था और 400 गाँवों का विद्युतीकरण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से किया

जा चुका है। 2004–05 में 756 तोकों की योजना स्वीकार की गई थी जिसमें इसके सापेक्ष 402 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था और शेष गाँवों का विद्युतीकरण 2007 तक, सुन लें 2009 तक नहीं 2007 तक पूरा हो जायेगा। वर्ष 2005 में 599 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये हैं और अगर आप इसकी डिटेल मागेंगे तो इसका सर्कुलर करवा दूँगी। अब रहा विद्युत दरों के बारे में माननीय कंडारी जी ने अपनी शिकायत कही थी तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो घरेलू विद्युत की दर पहले 2.80 थी वह आज 2.10 हो गई है और कामर्शियल में देखें तो यह पूर्व में 4.50 प्रति यूनिट थी और अब 3.50 रुपया प्रति यूनिट है। यह दर मैंने इसलिए दी क्योंकि यह दरें घटी हैं।

पेयजल, इसके लिए 3743 हैण्ड पम्प और स्वजल जिनमें से स्थापित हुये के सापेक्ष 1657 लग गये, स्वजल धारा के अन्तर्गत 120.95 लाख रुपये की स्वीकृति सभी जनपदों के लिए की गई है। भारत सरकार के वित्त पोषित स्वजल धारा के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के 51 ग्राम पंचायतों, 3 वन पंचायतों और 106 ग्रामों में पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है और जिनमें से 55 का निर्माण हो चुका है, अवशेष कार्यों हेतु हरिद्वार में, निजामुद्दीन पेयजल बता रही हूँ गांवों का अवशेष 4.98 करोड़ रुपये की धनराशि का आंकलन भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अन्तर्गत 32 हजार शौचालयों का निर्माण जो मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत है, 32 हजार में से 28 हजार में निर्माण का कार्य चल रहा है।

इसमें उद्यान विभाग की बात आई है जैसा आपने एग्रोकार्प का नाम लिया था उद्यान विभाग में उपलब्धता को देखते हुये उद्यान विभाग में अमेरिका और न्यूजीलैंड से उन्नत किस्म की फल पौधों एवं रोपण सामग्री को आयातित करके चौबटिया और रानीचौरा में इसका रोपण किया गया और हमारे जो उद्यान थे, वे सारे बेकार पड़े थे। इस दृष्टि से वे लीज पर दिये गये हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार बदल दिया जायेगा, जो हाईटेक नर्सरी की स्थापना यहां पर की जा रही है। लीची निर्यात क्षेत्र, पुष्प निर्यात क्षेत्र एवं बासमती निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गई है और लीची की बहुत बड़ी बैठक रामनगर में हुई थी। इसका बड़ा क्षेत्र रामनगर में ही है, वहीं लीची उत्पादन के लिए मशहूर है जिसमें 67.70 टन ताजा और प्रसंस्कृत लीची का निर्यात किया गया। फूड वर्ल्ड के जरिये 100 टन लीची का निर्यात तथा मदर डेयरी के आधार पर पूरे देश में निर्यात तथा संगठनात्मक तरीके से बेचने के लिए 205 टन लीची उपलब्ध कराई गई। लीची की दुनिया में भारी मांग है। अभी जितनी लीची का डिमांड है उतनी लीची हम दे नहीं पा रहे हैं। हम अभी नहीं दे पा रहे है। लेकिन अब लोग इसके बगीचे लगाने लगे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, पूरे ऊधमसिंह नगर का अमरूद यहां से दिल्ली तक और अब विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। वहां पर 30 रुपया, 35 रुपया किलो अच्छा वाला अमरूद ऊधमसिंह नगर से जा रहा है खासकर सितारगंज से। कहां गये नारायण पाल जी वह उन्हीं का क्षेत्र है।

इसी के साथ पुष्प निर्यात के क्षेत्र में गुलाब, लिलियम, जरबेरा आर्किड आदि के लिए चार निर्यातकों से अनुबंध हुआ। यह एक ऐसा कार्य है जो एक दिन में नहीं दिखाई देता है। लेकिन उद्यान के क्षेत्र में भी, फलों के क्षेत्र में भी और पुष्प के क्षेत्र में भी भारी कार्य हुआ है और इस समय भीमताल, कैंची और इन जगहों में लोग देश से दिल्ली की मंडियों से खुद खरीदने आ रहे हैं, जैसा कि मैंने स्वयं देखा। मान्यवर, मैंने खुद इसको अनुभव किया है। मैं फूलों की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन फूल से सबको लगाव होता है, खुशबू से पता चल जाता है कि अच्छा फूल है। आज इसके द्वारा पैसा प्राप्त किया जा रहा है, जिसके पास एक नाली, दो नाली या तीन नाली जमीन है वह भी इन फूलों की खेती करके अच्छा पैसा कमा रहा है, इसके लिए सिर्फ परिश्रम की आवश्यकता है। इनको खरीदने के लिए, इनके बाई बैक के लिए लोग आगे आ रहे हैं। उनका कहना है कि आप फूलों की खेती करो, हम इनका निर्यात विदेशों में कर देंगे। मान्यवर, जड़ी बूटियों के बारे में बताना चाहती हूँ कि धवन इन्टरनेशनल एवं इण्डोफाइटो कैमिकल्स के साथ प्रत्येक वर्ष लगभग 400 मै0 टन जड़ी–बूटी राज्य से खरीदे जाने के लिए अनुबन्ध किया गया है। निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत चिरायता, जटामांसी, कुट, कुटकी, तगर, वनककडी, लेवैन्डर, अतीस, कलिहारी, सर्पगन्धा आदि प्रजातियों के व्यापक कृषिकरण के लिए ठोस प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, सेब की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से एफ0ए0ओ0 सहायतित एपिल इम्प्रूवमेन्ट परियोजना का कार्य शुरू किया गया है। जिसके अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से नवीनतम प्रजातियों के रूट स्टाक के आयात किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, हार्टिकल्चर टैक्नालॉजी मिशन के अन्तर्गत 20 दिसम्बर, 2004 तक फलों के अन्तर्गत 1573.90 हैक्टेयर क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के अन्तर्गत 1047.50 हैक्टेयर, पुष्पों के अन्तर्गत 55 हैक्टेयर क्षेत्र विस्तार, 2 सामुदायिक टैंकों का निर्माण, 12 हैक्टेयर ड्रिप सिंचाई, 68 हैक्टेयर स्प्रिंकलर तथा 5 लो कोस्ट ग्रीन हाउस की स्थापना की गयी है।

मान्यवर, यहां पर चाय विकास की संभावनाओं को देखते हुए चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मान्यवर, चाय से सब लोग परिचित हैं। यहां की चाय की खुशबू सब लोग अनुभव करते हैं यहाँ की जो चाय है उसकी खुशबू और उसके फ्लेवर के प्रति लोगों का आकर्षण है। यदि आप चाय पीते हैं तो इसकी सुगन्ध में आपकी रूचि होगी। उत्तरांचल की चाय की देश में अच्छी प्रतिष्ठा है। वर्ष 2004–2005 में अब तक 2658.10 हेक्टेयर क्षेत्र में आंवला, हरड़ बहेड़ा, रीठा आदि प्रजातियों का रोपण किया गया है। भेषज संघ, सुगन्ध पौध केन्द्र सेलाकुई एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा 179.16 हेक्टेयर भूमि पर जिरेनियम, बड़ी इलायची, लेमनग्रास, कुटकी, तगर, कूट तेजपात, बचा, रीटा, कपूरकचरी, सफेद मूसली तथा स्टीविया आदि का कृषिकरण किया जा रहा है। मान्यवर, प्रथम बार 0.35 लाख के रेशम का निर्यात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व स्पेन को किया गया। इस वर्ष अब तक 3400 कीटपालकों के माध्यम से 87.2 मै0 टन रेशम कोया का उत्पादन किया गया।

पर्वतीय क्षेत्र के 719 कीट पालकों के माध्यम से 40 लाख ओक टसर कोया का उत्पादन किया गया है और 260 किलोग्राम टसर धागा तैयार किया गया है।

मान्यवर, 18 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है तथा 1 अशासकीय अनानुदानित महाविद्यालयों का प्रान्तीकरण किया गया है एवं पूर्व स्थापित 4 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर तक उच्चीकरण किया गया है। अब तक 88 इण्टर कॉलेज, 138 हाईस्कूल, 430 जूनियर हाईस्कूल, 314 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में मैंने जानकारी कर ली है, मैं दोहरा नहीं रही हूँ। मान्यवर, यह कहा जाता है कि कम्प्यूटर तो दे दिये हैं किन्तु बिजली नहीं है। इसके लिए जनरेटर दिये गये हैं यदि जनरेटर फेल होते हैं इंस्टीट्यूशन की भी जिम्मेदारी है। यह थोड़े कि फेल हो गया तो ठीक ही नहीं करायेंगे, अपने घर की हिफाजत खुद करनी पड़ती हैं यह थोड़ी कि हमने क्यारी में पेड़ लगा दिये और उनकी सुरक्षा यदि हम नहीं करेंगे, तो कैसे सुरक्षित रहेंगे, कोई भी बाहर का आदमी तोड़ कर ले जायेगा।

मान्यवर, परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को काफी जिज्ञासा है तो इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहती हूँ कि परिवहन निगम द्वारा 883 बसें एवं 94 अनुबंधित बसें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 630 बसें टी0जी0एम0ओ0 एवं अन्य संगठनों द्वारा पर्वतीय मार्गों के लिए 827 बसें के0एम0ओ0यू0लि0 द्वारा कुमाऊँ क्षेत्र के पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों पर 400 बसें एवं निजी वाहन यूनियनों द्वारा प्रदेश के मैदानी एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर 800 ठेका बसें भी संचालित की जा रही हैं इसके अतिरिक्त राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों पर 267 ठेका बसें भी संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली आदि की भी 100 बसें उत्तरांचल राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों पर संचालित की जा रही हैं।

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण समाज कल्याण के क्षेत्र में हुआ है स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दिसम्बर 2004 तक 5500 के सापेक्ष 550.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष 382.607 लाख रुपये का अनुदान रुपये 80.398 लाख मार्जिन मनी ऋण की धनराशि अवमुक्त की गई तथा 378.45 लाख का अनुदान रुपये 75.699 लाख मार्जिन मनी ऋण एवं 547.88 लाख का बैंक ऋण वितरित किया गया। इस प्रकार कुल 3895 व्यक्तियों एवं परिवारों को लाभान्वित किया गया जिसमें 935 महिलायें हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार आई0टी0 क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। आई0टी0 क्षेत्र में हमने सैक्रिटियेट लोकल एरिया नैट वर्क का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं इसका उपयोग किया जा रहा है, सी0एम0आई0एस0- का कार्य पूर्ण हो गया तथा यह नियमित रूप से कार्य कर रहा है। विडियो कांफ्रेसिंग का भी नियमित उपयोग किया

जा रहा है, विभागों के बैकइंड कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा प्रथम चरण में समाज कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, समस्त नगर पालिकायें नगर पंचायतें, खाद्य एवं रसद विभाग एवं वन विभाग प्रस्तावित किये जा रहे हैं। दूसरे चरण में लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग कृषि विभाग प्रस्तावित है।

सॉफ्टवेयर बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा परियोजना स्वीकृत कर दी गई है एवं विश्व बैंक के मानकों के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। मान्यवर, ई–गवर्नेन्स की प्रगति में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य का अपना पोर्टल विकास करने के लिए ओपन स्कोर पर आई0आई0टी0 रुड़की के प्रबन्धन में टी0सी0एस0 विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल में सभी विभागों की बेबसाइट तथा प्रार्थना पत्रों के प्रारूप उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मान्यवर, 2006–07 तक राज्य का चौमुखी विकास होगा, हर कोई यहां का रहने वाला निवासी भी इस बात को मानेगा कि हमने विकास के नये कीर्तिमान बनाये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल एवं सड़क के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठाये गये जिनका उत्तर देना मैं आवश्यक समझती हूँ। माओवादी घटनाओं को रोकने के बारे में माननीय सुबोध उनियाल जी ने भी अपनी बात को यहां पर रखी। मान्यवर, दो कम्पनियां पी0ए0सी0 प्रदान की गई, जिसके द्वारा सीमा क्षेत्र में निरन्तर काम्बिंग की जा रही है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त सीमा पर 25 चौकियां भी स्थापित की गई हैं। तथा पांच नई चौकियां स्थापित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल में पवेश्वर, रीठा साहिब, कनालीछीना, लमगड़ा चौकियां सृजित की जा रही हैं। मान्यवर, परिसम्पत्तियों के बंटवारे के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि इसका पूरा विवरण केन्द्र सरकार को संदर्भित है, इसमें समुचित निर्णय होगा। मान्यवर, जहां तक कर्ज की बात है तो इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि पूरा देश यहां तक कि अमेरिका भी कर्जे में डूबा हुआ है। मान्यवर, हमें इस कर्जे को वापिस करना होगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने धैर्य के साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उदगार सुने। मेरा अनुरोध है कि मेरी बात को भी आप धैर्य से सुनें। मैं कुछ तथ्य यहां पर रख रहा हूँ और चाहता हूँ सरकार उन पर शीघ्र कार्यवाही करे। मान्यवर, उत्तरांचल हमारा है और यहां की गरीब जनता के दुःख–दर्द दूर करना हमारा कर्त्तव्य है हमें एक टीम भावना के रूप में कार्य करना होगा। मान्यवर, मैंने महामहिम के अभिभाषण में रिस्पनापुरम में रह रहे कर्मचारियों को जो वहां चार वर्ष से रह रहे हैं, उनको आवंटित किया जाय और उसका किराया मानकानुसार लिया जाय, की बात कही थी। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहीं पर भी भ्रष्टाचार, लालफीताशाही की बात नहीं कही। मैं चाहता हूँ आपने इस पर क्यों नहीं बोला? मान्यवर, मैं चुनौती के साथ कह रहा

हूँ कि सरकार ने जितने आंकड़े कागजों में दिखाये ये धरातल पर नहीं हैं। यदि सरकार इन आंकडों को जानना चाहती है तो आपका गुप्तचर विभाग है उससे आप ये आंकड़े मांग लें कि क्या-क्या हो रहा है।

मान्यवर, रिस्पनापुरम में जो 4 वर्ष से रह रहे हैं उनकी बिजली काटी गयी, यह किसने काटी। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि इसे कटवाने के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं राज्य सम्पत्ति विभाग ने ऐसे आदेश नहीं दिये होंगे। मैं जानता हूँ ये बिजली किसने काटी है, ये अफसरशाही ने काटी है। मान्यवर, आप कहते हैं अफसरशाही की बात करते हैं। किसने यह बिजली काटी इसकी जांच करें। जो लोग यहां रह रहे हैं वे इस सचिवालय में काम करते हैं और आज भी इस समय काम कर रहे हैं, इनको अंधेरे में रख दिया है। मान्यवर, विद्युत दर के बारे में आपके पास सही आंकड़े होने चाहिए, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, 2003 में डोमेस्टिक रेट 2 रुपया किलोवाट था और आपने 2.80 कर दिया। कामर्शियल में 3.50 से बढ़ाकर 4.50 कर दिया, प्राइवेट ट्यूबवेल में .70 पैसे से बढ़ाकर 2.80 रुपये कर दिया, इन्डस्ट्री में 2.45 से बढ़ाकर 4.60 कर दिया और सिंचाई में 2.15 से 2.05 कर दिया, यहाँ पर राहत दी। पानी के बारे में आपने टोटी के लिए 50 रुपया प्रति माह कर दिया, अगर घर में 4 टोटी होगी तो 50 रुपये दर के हिसाब से आयेगा। मान्यवर, सीवर टैक्स 2.0 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपया प्रति शीट कर दिया। माननीय त्रिवेन्द्र जी ने प्रश्न किया था कि हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज सरकारी है या गैर सरकारी? यह हमको पता नहीं। मान्यवर, मणिपुर में मेडिकल कॉलेज की फीस मात्र 360 रुपया है, नई दिल्ली में 12 सौ रुपया है, यू0पी0 में 13 हजार, कर्नाटक में 2 हजार, पंजाब में 11 हजार, मध्य प्रदेश में 11 हजार, महाराष्ट्र में 6 हजार।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)-

मान्यवर, स्पष्टीकरण पूछा जाता है, भाषण नहीं दें।

श्री मातबर सिंह-

मान्यवर, मैं बोल रहा हूँ आप क्यों बौखला रहे हैं।

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, यह असंसदीय शब्द है, इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री मातबर सिंह-

मान्यवर, मैंने पहले सुना और अब आप टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, जब जवाब दिया जाता है तो स्पष्टीकरण पूछा जाता है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा कहना है कि उत्तरांचल ने डेढ़ लाख से 5 लाख गरीब जनता मेडिकल कॉलेज में अपने छात्र छात्राओं को भेज पायेंगे, मेरा अनुरोध है कि इसको घटायें। मान्यवर, इसमें परिव्यय 133 करोड़ हुआ और खर्च जो जारी हुआ वह 105 करोड़ की स्वीकृति हुई और 46 करोड़ व्यय हुआ। वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में कहना चाहूँगा इसमें 14.67 करोड़ का बजट था केवल 12 प्रतिशत की स्वीकृति जारी हुई। मत्स्य में 3 करोड़ का बजट था 18 लाख की स्वीकृति हुई, इसी तरह सूचना विभाग में 3.63 करोड़ के सापेक्ष केवल 57 लाख रुपये जारी हुआ, अल्पसंख्यक कल्याण में केवल 14 प्रतिशत व्यय हुआ, प्रधान मंत्री सड़क योजना में भूमि मुआवजे में 62 करोड़ के सापेक्ष कोई स्वीकृति नहीं हुई, लघु सिंचाई में 70.77 करोड़ के सापेक्ष 11.33 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष दोबारा भाषण दे रहे हैं, उसी बात को दोहरा रहे हैं, यह तो परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में अपना भाषण दें और पुनरावृत्ति न करें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन बोल रहे हों तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मान्यवर, आपदा प्रबन्धन के बारे में बताना चाहता हूँ इसमें 100 करोड़ का बजट है इसमें कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई, स्वीकृति नगण्य है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक का हवाला दे रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, तिथि बता दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह 27–11–2004 का है।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष कृपया पुनरावृत्ति न करें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, परिवहन निगम के एम0डी0 ने 40 डीलक्स बसों को बिना टेण्डर के खरीदा, यह तो भ्रष्टाचार है। एम0डी0 वहाँ पर कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहा है, वहाँ पर कर्मचारी आन्दोलनरत है। मान्यवर, 40 बसें कैसे खरीद ली? मैं माननीय

परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जाँच की जाय और इसे सदन में रखा जाय।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, यह आरोप निराधार है फिर भी कहीं से आवाज उठी है, हम इसमें अपर मुख्य सचिव को जाँच के आदेश दे चुके हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसका मतलब है कि मेरी बात सत्य है। तभी तो जाँच के आदेश दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल में एक पद है, एक अधिकारी है निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उसको आपने लेखा परीक्षा भी बना दिया, उसको आपने अपर सचिव भी बना दिया यह ठीक परम्परा नहीं है। ऑडिट वाले अलग होने चाहिए। ताकि सही रिपोर्ट मिल सके। एक पृथक निदेशालय लेखा परीक्षा का होना चाहिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो प्रश्न नेता प्रतिपक्ष ने पूछे हैं मैं उनका उत्तर दे देती हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह पत्र हिमांचल प्रदेश के डिप्टी का है। (व्यवधान) इसमें लिखा है उन्होंने डी0एम0 रुद्रप्रयाग को लिखा है कि पुलिस वालों ने 50–50 रुपया प्रति गाड़ी लिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि आपने 22 निजी कॉलेजों में बी0एड0 की मान्यता दे दी है? मान्यवर, जो बी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं उनको तो आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो फिर अन्य कॉलेजों को इसकी अनुमति क्यों दी जा रही है? आपने कहा कुम्भ मेला। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेई जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुम्भ मेला में इतनी बड़ी धनराशि दी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कार्यदायी संस्था तो हम ही थे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं तो अनुरोध करूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो एम्स जो स्वीकृत हो चुका है उसे शुरू कराए, औद्योगिक पैकेज–2007 जो दिया है उसे आप यथावत् बनाये रखें तो अच्छा होगा। मैं माननीय श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी जी का आभार प्रकट करता हूँ जब वे राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने ऐतिहासिक सड़कें बनाई। आज जो भी सड़कें बन रही हैं, उसका श्रेय मा0 खण्डूरी जी को जाता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग ने निर्माण किया है। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तब सत्ता पक्ष के मा0 विधायक बीच में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह स्वस्थ संसदीय परम्परा नहीं है हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप मुझे जो सजा देना चाहें दें लेकिन, मेरी बात को सुन लें।

(व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह कभी–कभी कह देते हैं, सजा तो कोश्यारी जी दे ही चुके हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कह चुका हूँ कि यह सरकार उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रही है। आज माननीय वन मंत्री जी भी यहां पर आप कृपया सुन लें, मेरे पास आज एक गुप्त पत्र आया है, चोरगलिया हल्द्वानी से उसमें लिखा है कि माननीय कण्डारी जी, सादर नमस्कार, आशा है सपरिवार कुशल से होंगे, "महोदय जिला–नैनीताल का चोरगलिया में आजकल हमारे जंगलों में लकड़ी की चोरी का धन्धा बहुत जोर से चल रहा है, जिसमें कीमती लकड़ी साल, शीशम व सागौन की लकड़ी की तस्करी जोर से चल रही है। जिसे हमारे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही संरक्षण दिया जा रहा है। जिसमें बड़े कर्मचारी का हाथ है। इसके अलावा ऊंचे नेता की छाया भी है, इस आड़ में हजारों लाखों लकड़ी रोज यहां से हल्द्वानी व और शहरों को जा रही है। छोटे वन कर्मी को तो डरा धमकाकर चुप करा देते हैं। दिन में ही जंगल से लकड़ी ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आये चिरानों के बीसियों जोड़े काम कर रहे हैं, छोटा वन कर्मी, चोरगलिया नैनीताल।"

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह पत्र अब सदन में आ गया है उसकी प्रापर्टी बन गया है हालांकि इसमें कोई नाम नहीं लिया गया है फिर भी मैं निश्चित ही इसकी जांच कराऊंगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो यहां पर आश्रम पद्धति के स्कूल हैं, उन पर वर्ष 2002–03 में 2732 का खर्च कुल था जिसमें से 1.97 करोड़ रुपये को खर्च करना था लेकिन वह खर्च बढ़कर 3.41 करोड़ रुपया हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पेयजल विभाग के बारे में कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में लगभग 60 हजार के करीब स्टैंड पोस्ट हैं और उन पर सरकार प्रति स्टैंड पोस्ट 50 रुपया टैक्स लगाने जा रही है, तो मान्यवर, यह सरकार आखिर क्या करना चाहती है? माननीय वन मंत्री जी आप बैठे हैं आपके अध्यक्ष हरीश रावत जी का एक पत्र भी मेरे पास है, उसमें उन्होंने लिखा है कि "डिप्टी मेयर के चुनाव यहां के पार्षद करवाना चाहते हैं और वहां पर माननीय मंत्री जी उप महापौर का निर्वाचन शीघ्र करें।"

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, यह पत्र भी सदन के अन्दर आया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सरकार में कोई सरकार जैसी बात भी है या नहीं? सारे के सारे पत्र यहां पर आ रहे हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और वहां से सारे के सारे लोग बोल रहे हैं तो मेरा कहना है कि इस सरकार में कोई सरकार जैसी चीज भी है या नहीं? इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए मान्यवर।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आईटास्ड इस्टीट्यूट, जो कि काशीपुर में है, यह संस्थान हमारे पिथौरागढ़, बागेश्वर/अल्मोड़ा और नैनीताल के कई छात्र छात्राओं को 15 से 30 हजार रुपये लेकर बी0एड0 में प्रवेश दे रहा है। जबकि यह संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यवर, उन छात्र–छात्राओं ने जब सुना कि यह संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है तो उन्हें बहुत निराशा हुई। मान्यवर, इस प्रकार छात्र–छात्राओं का शोषण हो रहा है। सरकार ऐसी संस्थाओं पर अंकुश लगाए, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन सरकार इन पर अंकुश लगाने में असफल है। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी यहां पर नहीं बैठे हैं, मैं विशिष्ट बी0टी0सी0 के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि एक नियम निर्धारित होना चाहिए। हमेशा नेता प्रतिपक्ष अभिभाषण पर सबसे पहले बोलते हैं। उनके भाषण की जो पुस्तिका है, वह मैंने मंगा रखी हैं परन्तु अब बहुत सारी नई बातें आपके द्वारा कही जा रही हैं, इसका मतलब है कि इसके लिए कल फिर सदन बैठे और मैं आपके द्वारा बोले गए भाषण की कार्यवाही यहां पर मंगाऊँ। मान्यवर, यह परम्परा नहीं है, मान्यवर, इस सम्बन्ध

में हम आपका संरक्षण चाहते हैं। परम्परा यह है कि नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले बोलते हैं। आप इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन मान्यवर, आपके द्वारा कई नए प्रश्न उठाए जा रहे हैं। यह गलत परम्परा हो जाएगी। हम तो देर तक बैठ जाएंगे लेकिन गलत परम्परा बन जाएगी तो सबको कष्ट होगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सच हमेशा कड़ुआ होता है। आपमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जब मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे तो मैं सुनता गया अब आपको भी सुनना चाहिए। मान्यवर, यह बजट का सार है। जो उधार और अन्य देनदारी है, मैं उसके आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मान्यवर, 2001 में यह 206.91 करोड़ था, 2001–02 में यह 1101.9 करोड़ रुपये, 2002–2003 में 2885.34 करोड़ रुपये हो गया। अर्थात् यह बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, राजस्व घाटे के बारे में बताना चाहता हूँ 2001 में यह 10 करोड़, 2001–02 में यह 99.62 करोड़ 2002–03 में यह 457.29 करोड़ हो गया है। राजकीय घाटा 2001–2002 में 424.19 करोड़ था और 2002–03 में यह 888.82 करोड़ हो गया है। यह घाटा भी बढ़ रहा है। सरकार क्या कर रही है, यह तो वही जाने। मान्यवर, सरकार ने इस अभिभाषण के माध्यम से यह कहा है कि प्रत्येक जनपद में हर वर्ष एक ऐसा महाविद्यालय बनाया जाएगा जो उत्कृष्ट होगा। लेकिन आपने अभी तक यह महाविद्यालय नहीं खोले हैं। आपने कहा कि हम 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करेंगे लेकिन माननीय विधायक जी, हरिद्वार यहां पर बैठे हैं, वहां की जनता से पूछा जाय कि कितने घण्टे वहां पर बिजली की आपूर्ति होती है? आपने सदन में यह कहा है कि हम 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति देंगे। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलेंगे।

*कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, कई जनपदों में खुल गए हैं और कई में खोले जा रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसका मतलब है कि हमारे साथ ही भेद–भाव किया जा रहा है। मान्यवर, आपने कहा कि हम कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी, आपकी सारी बातें आ चुकी हैं। संक्षेप में अपनी बात कहें। मान्यवर, आप अपनी बात पहले कह चुके हैं और उन्हीं बातों को पुनः दोहरा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप कहते हैं कि बैठ जाइये तो मैं बैठ जाऊँगा लेकिन आपकी सरकार द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है, आप मुझे संरक्षण प्रदान करें। मैं बहुत हताश हूँ।

श्री अध्यक्ष–

हताश होनी वाली कोई बात नहीं है। कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप परम्पराओं के रक्षक हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है। माननीय नेता प्रतिपक्ष पहले अपनी बात को कह चुके हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

सत्ता पक्ष की तरफ से अत्यधिक टोका टाकी, के कारण समय अधिक बर्बाद हो रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, हमने अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे तीन साथियों ने आज कुछ भी चर्चा में अपनी बात को नहीं रखा।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सत्ता पक्ष के विधायकों को तथा विपक्ष के विधायकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार को बहुत ही सराहनीय सुझाव दिये इन-सुझावों से विकास को गति मिलेगी। हम सभी सरकार का मार्गदर्शन कर हम सभी आपको सुझाव दे रहे हैं तो आपको बड़ी पीड़ा हो रही है। यदि मैं आपकी जगह पर बैठता तो मैं आपकी बात को ध्यान से सुनता। जब आप अपना भाषण दे रही थी तो मैं आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला शिक्षा योजना में माननीय विधायकों को वहाँ नहीं बुलाया जाता। जिला शिक्षा समिति में माननीय विधायकों को बुलाया जाना चाहिए। माननीय नेता सदन यहाँ पर नहीं है

सरकार के बाद आप ही हैं। मैं आपसे ही कहूँगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय विधायकों को विधायक निधि के रूप में एक करोड़ दिया जा रहा है हम चाहेंगे यहाँ भी 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ और यह सरकार उत्तरांचल के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज सारे विकास के कार्य ठप्प पड़े हुए हैं।

मान्यवर, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ। यह सरकार गरीब जनता, कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों आदि के हित में काम करे, ताकि कुर्सी में बैठकर इस उत्तरांचल का भला हो सके। मान्यवर, इन्होंने [x x x] आंकड़े दिये हैं। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, [x x x] शब्द असंसदीय है, कृपया इसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष–

[x x x] शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, जब मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा था तो मेरे मन में यह था कि जो कार्य इस सरकार ने तीन वर्ष के कार्यकाल में किये हैं उन पर धन्यवाद ज्ञापित करने के समय हमारे माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य धन्यवाद देंगे और उनका हमें सहयोग मिलेगा। मान्यवर, जब राज्य गठित हुआ, इसका मूल उद्‌देश्य विकास था। जिसकी बुनियादी आवश्यकताएं नहीं थी। इन तीन वर्ष में इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्य किया। यह सौभाग्य है कि पण्डित नारायण दत्त तिवारी का नेतृत्व मिला, जिसने विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप बार–बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। (व्यवधान)

*श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, जब मैं महामहिम के अभिभाषण पर बोल रहा था। उसके बाद माननीय काजी निजामुद्‌दीन ने मुझसे कहा कि आप तो एकदम चालाकी पर उतर आये हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि जो बातें मैंने यहां पर कही उन दोनों बातों को आप सही मानें। नजर में चश्मा पहन कर न देखें। मान्यवर, मेरे जिले में 05 डिग्री कॉलेज

[x x x] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, यहां पर हाईस्कूल खुले हैं। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि विकास कार्य नहीं हुआ है। मान्यवर, यह विकास सभी जगह हुआ है। मान्यवर, सड़कों का निर्माण प्रदेश में हुआ है। मान्यवर, सभी को हमने एक–एक करोड़ रुपया दिया है, इसे राजनीतिक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मान्यवर, माननीय नेता सदन लगभग 18–18 घण्टे लगातार काम करते हैं, ये लगातार प्रदेश की प्रगति के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से यह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें।

मान्यवर, मैं यहां पर सभी माननीय सदस्यों की बात को ध्यान से सुन रहा था। मान्यवर, मुझे माननीय अजय भट्ट जी की कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति और उसकी घरवाली की कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति थका हारा घर आया। उसे बड़े जोर से भूख लगी थी तो उसकी पत्नी ने उसे खाने के लिए उबला हुआ अण्डा दिया, उसने कहा मेरा आमलेट खाने का मन कर रहा था, तुमने तो अण्डा उबाल दिया। दूसरे दिन उसकी घरवाली ने आमलेट बनाकर दिया तो, उसने कहा आज तो मेरा उबला हुआ अण्डा खाने का मन कर रहा था, तुमने आमलेट बना दिया। तीसरे दिन उसकी घरवाली ने आमलेट और अण्डा दोनों खाने को दिये तो उसने कहा कि यह तुमने क्या किया, जिस अण्डे को उबालना था उसका आमलेट बना दिया और जिसका आमलेट बनाना था उसको उबाल लिया।

मान्यवर, सभी वरिष्ठ सदस्य हैं तो सदन में बोलते हैं तो सदाशयता की बात करते हैं। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है, आज सब चीज सरकार के ऊपर डाल कर नहीं छोड़ना होगा चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो। मान्यवर, हम अनेकों स्कूल बता सकते हैं जिसमें एक भी ईंट सरकार के पैसे से नहीं लगी, उन्होंने कहा कि हमें जगह दे दें और हम बना लेंगे। (व्यवधान)

मैं निवेदन करूँगा हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों से कि आज सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। मान्यवर, आप संशोधनों के माध्यम से उन बातों को कह चुके हैं। मान्यवर, काफी चीजों का समावेश इस अभिभाषण में नहीं किया जा सका, मगर जो चीजें छूट गई हैं उनके प्रति सरकार संवेदनशील है, चाहे ऊर्जा, कृषि के क्षेत्र में हो। मान्यवर, स्वाइल टेस्टिंग लैब खोलने जा रहे हैं। मान्यवर, जिस प्रकार से सदाशयता दिखाई और अपने संशोधनों को वापस लेकर इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास करके इस उत्तरांचल के विकास में कार्य करेंगे। जय भारत, जय उत्तरांचल।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन प्रस्ताव से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2005 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से उत्तरांचल पुलिस में पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति के मानकों में वरिष्ठता का मापदण्ड अपनाये जाने के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज सहित 15 वर्षों बाद की जा रही वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पन्त की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

(अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे तक के लिए।)

(सदन की कार्यवाही 9 बजकर 20 मिनट पर बुधवार दिनाँक 19 जनवरी, 2005 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र

देहरादून
18 जनवरी, 2005

सचिव विधान सभा
उत्तरांचल।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्र0सं0 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

संख्या 46/लो0नि0-2/2003-606 पीडब्ल्यूडी/2001-टी0सी0-II

प्रेषक,

आनन्द बर्धन,

अपर सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1

लोक निर्माण विभाग,

देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनाँक 03 जनवरी, 2003

विषयः- लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को विनियमित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लोक निर्माण अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 7553/लो0नि0-2/2001-606 पीडब्ल्यूडी/2001 दिनांक 10-12-2001 एवं शासनादेश संख्या 8214/लो0नि0-2/2001-606पीडब्ल्यूडी/2001 दिनांक 29-12-2001 द्वारा कतिपय मार्ग दर्शन सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये थे।

कार्य प्रभारित अधिष्ठान के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रत्यावेदनों एवं माँगों को दृष्टिगत रखते हुये इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर पुनः विचार किया गया और शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 7553/लो0नि0-2/2001-606 पीडब्ल्यूडी/2001 दिनांक 10-12-2001 एवं शासनादेश संख्या 8214/लो0नि0-2/2001-606पीडब्ल्यूडी/2001 दिनांक 29-12-2001 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुये कार्य प्रभारित कर्मियों के विनियमितीकरण तथा उन कर्मियों द्वारा रिक्त किये गये पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:-

1. उत्तरांचल राज्य में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मियों को नियमित पदों के विरुद्ध विनियमितीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल में दिनांक 29–6–91 अर्थात् वर्कचार्ज पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हेतु जारी कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1009/का–1/1991 दिनांक 29–6–91 से पूर्व नियुक्त ऐसे कार्य प्रभारित कर्मी जो अभी तक निरन्तर कार्य कर रहे हैं, को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष (स्थाई अथवा अस्थाई) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. विनियमित कर्मी को राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य सभी सुविधायें अनुमन्य होगी।
2. वही कार्य प्रभारित कर्मचारी विनियमितीकरण किये जाने के पात्र होंगे जिनका कार्य एवं आचरण अच्छी श्रेणी का है और जिनके विरुद्ध कोई कार्यवाही लम्बित न हो।
3. विनियमित करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित कार्मिक उस पद के लिये निर्धारित योग्यता रखता हो। यदि किन्हीं पदों की योग्यता निर्धारित न हो तो उसे मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा निर्धारित करने का प्रस्ताव करके शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
4. ऐसे निर्धारित योग्यता रखने वाले वर्कचार्ज कर्मियों की ज्येष्ठता (श्रेणीवार) वर्कचार्ज पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी तथा इसके लिये सूचना जनपद स्तर से प्राप्त की जायेगी। अन्तिम ज्येष्ठता सूची क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर पर रखी जायेगी। ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।
5. अर्हताओं के पूर्ण होने की दशा में किसी श्रेणी के पद पर विनियमितीकरण उस श्रेणी में उपलब्ध कर्मियों की ज्येष्ठता (अनुपयुक्त को छोड़कर) के अनुसार किया जायेगा। विनियमितीकरण के लिये मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 द्वारा एक स्क्रीनिंग/चयन समिति का गठन कार्मिक विभाग द्वारा उस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा जो अपनी संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को देगी। सक्षम प्राधिकारी विनियमितीकरण करने से पूर्व विनियमितीकरण हेतु पात्र अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कर्मचारियों के मूल निवास के जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कराते हुये विनियमित्तीकरण आदेश जारी करेंगे।
6. विनियमितीकरण केवल सम्बन्धित श्रेणी में उपलब्ध ऐसे पदों/रिक्तियों के विरुद्ध किया जायेगा जो लोक सेवा आयोग की परिधि में न हो।

7. विनियमितीकरण करते समय आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान नियमों/आदेशों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त कार्य प्रभारित कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन पदों को रिक्त रखा जाय। संगत नियमावली में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप सीधी भर्ती से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से चयन करके भरी जायेगी।

8. इस प्रकार नियमित किये गये कार्य प्रभारित कर्मियों की ज्येष्ठता पूर्व से नियमित कार्य प्रभारित कर्मियों के बाद वरिष्ठता क्रम में जोड़ते हुये निर्धारित की जायेगी। विनियमित कार्मिकों की परस्पर ज्येष्ठता वह होगी जिस क्रम में चयन समिति द्वारा चयन उपरान्त सूची में नाम रखे जायेंगे।

9. कार्य प्रभारित अधिष्ठान में ऐसे कर्मी जो विनियमितीकरण के फलस्वरूप नियमित हो चुके हैं, के द्वारा रिक्त किये गये पद पर वरिष्ठता के आधार पर 29-6-91 से पूर्व नियुक्त एवं निरन्तर संतोषजनक कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कार्यरत कर्मियों को समायोजित किया जायेगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की वरिष्ठता सूची उसी आधार पर निर्धारित की जायेगी जैसे कि कार्य प्रभारित कर्मियों की वरिष्ठता सूची निर्धारित करने हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था दी गई है।

10. ऐसे कार्य प्रभारित कर्मी जो इस शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुरूप नियमित पदों पर विनियमितीकरण किये जाने हेतु पात्र हैं, की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को कर्मी की मृत्यु से 1 वर्ष के अन्दर मृतक आश्रित के रूप में दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के रूप में तैनात किया जा सकेगा।

11. विनियमित किये गये सभी कर्मियों की सेवा निवृत्ति की आयु वही होगी जो उस श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के लिये पूर्व में निर्धारित है।

12. उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी दशा में कार्य प्रभारित एवं दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

13. जिन कार्य प्रभारित कर्मचारियों द्वारा विभिन्न आधारों पर विनियमित किये जाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में रिट याचिकायें योजित की गई हैं, और मा0 न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित हैं, ऐसे कर्मचारियों का विनियमितीकरण मा0 न्यायालयों के अन्तिम निर्णयों के अधीन होगा।

14. कार्य प्रभारित कर्मियों को नियमित पदों पर विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा जारी परिपत्र सं0 कैम्प-नैनीताल-20 डब्ल्यूसी-प0रा0/2001 दिनांक 9-6-2001 तथा इस सम्बन्ध में जारी अन्य समस्त परिपत्र तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

15. उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी दशा में कार्य प्रभारित एवं दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(आनन्द बर्धन)
अपर सचिव।

संख्या 46/लो0नि0वि0–2/2003 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
4. कार्मिक अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5. वित्त अनुभाग–1/2/3 उत्तरांचल शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
उप सचिव।

पी0एस0यू0(आर0ई0) 26 वि0स0/746–17–03–2005–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।